[ 2018 ] 14 एस. सी. आर. 128

स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

वी.

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

& ओआरएस।

( सिविल अपील सं। 7326-7327 2018 का)

30 अक्टूबर, 2018

[ आर. एफ. नरीमन और नवीन सिन्हा, जे. जे.]

दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ

इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) रेगुलेशन, 2017-दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ ऑर्डर, 2017-रेगुलेशन और टैरिफ ऑर्डर की संवैधानिकता को चुनौती दी गई-आयोजितः विनियमन

और प्रशुल्क आदेश हितधारकों और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था और एस में निहित नियामक शक्ति के अंतर्गत हैं। 36 ट्राई अधिनियम।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997:

एसएस। 11 ( 1 ) ( क) (iv), 11 (1) (ख), 36 (1)-ट्राई की भूमिका-ट्राई एक नियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, जो दोनों प्रसारकों के हितों को देखता है।

और ग्राहक दोनों के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए-प्रसारक अंतिम उपभोक्ता को प्रसारित करने के लिए टीवी चैनलों के लिए जो भी सामग्री चुनता है उसे प्रदान करने के लिए स्वतंत्र है-किसी भी स्तर पर टीवी चैनल की सामग्री को विनियमित करने की मांग नहीं की जाती है, और विनियमन और शुल्क आदेश में निर्धारित टीवी चैनलों से संबंधित मूल्य निर्धारण प्रसारकों के अधिकारों और उपभोक्ताओं के हितों के बीच एक संतुलनकारी कार्य है-प्रसारक अपने टीवी चैनलों के मूल्य निर्धारण की व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र है जब तक कि वे गैर-भेदभावपूर्ण हैं और अन्यथा गुलदस्ते या ला कार्टे चैनल चुनने के लिए ग्राहक की पसंद को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करने का प्रभाव नहीं है-दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (पता प्रणाली) विनियम, 2017-खंड 2

अंतिम उपभोक्ता को केवल कॉपीराइट अधिनियम द्वारा विनियमित किया जाता है और कोई भी रॉयल्टी केवल कॉपीराइट अधिनियम द्वारा शासित होती है और यह जब ट्राई दरें तय करता है और/या सामग्री में हस्तक्षेप करता है,

128 स्टार इंडिया पीवीटी। लिमिटेड। वी. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

यह कॉपीराइट अधिनियम के तहत संसद द्वारा निर्धारित विशेष क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहा है और चूंकि ट्राई अधिनियम और कॉपीराइट अधिनियम, दोनों संसद द्वारा पारित अधिनियम हैं, इसलिए उनका सामंजस्य बनाए रखना होगा, और इस तरह का सामंजस्य बनाए रखा जा सकता है यदि ट्राई को कॉपीराइट अधिनियम के दायरे से पूरी तरह से बाहर रखा जाए। जब एस में "प्रसारण" की परिभाषाएँ। 2 ( कॉपीराइट अधिनियम के डी.) और विवादित विनियमन के खंड 2 (जे) में "प्रसारण सेवाओं" की तुलना की गई है, यह स्पष्ट है कि "द्वारा प्राप्त किए जाने का इरादा" शब्द आम जनता या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कॉपीराइट में निहित "प्रसारण" की परिभाषा से पूरी तरह से गायब है।

इसलिए, कॉपीराइट का उद्देश्य मालिक के स्वामित्व हित की रक्षा करना है, जो तत्काल मामले में एक प्रसारक है, "कार्य" में, यानी मूल कार्य, इसका प्रसारण और/या उसके द्वारा इसका पुनः प्रसारण-अंतिम उपयोगकर्ता या उपभोक्ता का हित कॉपीराइट अधिनियम का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है-दूसरी ओर, ट्राई अधिनियम को प्रसारक द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रसारण सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करना है जो अंतिम उपभोक्ता को प्रभावित करते हैं-दोनों अधिनियम अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं-इस मामले को देखते हुए, कॉपीराइट अधिनियम अपने स्वयं के दायरे में काम करेगा, प्रसारक को दोनों में से किसी एक के लिए पूरी तरह से लचीलापन दिया जाएगा।

इन अधिकारों का, लेकिन केवल एक नियामक के रूप में, सार्वजनिक हित में, प्रसारकों द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रसारण सेवाओं का कार्य करता है और इसका लाभ उठाया जाता है भारतीय अंतिम उपभोक्ता दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (पता लगाने योग्य प्रणाली) विनियम, 2017 द्वारा।

विधियों की व्याख्याः सामंजस्यपूर्ण निर्माण

प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम, 1957-भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997-आयोजितः कॉपीराइट अधिनियम के साथ-साथ ट्राई अधिनियम दोनों केंद्रीय अधिनियम हैं जो स्पष्ट रूप से यह प्रावधान नहीं करते हैं कि एक दूसरे को ओवरराइड करता है-इस स्थिति में, दोनों अधिनियमों को दोनों के बीच किसी भी टकराव/संघर्ष की स्थिति में सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए ताकि दोनों को प्रभावी बनाया जा सके-क्योंकि टेलीग्राफ प्राधिकरण,

टेलीग्राफ अधिनियम और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम के तहत कार्य करते हुए, जनहित में कार्य करना आवश्यक है, उक्त प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र को ट्राई अधिनियम के प्रावधानों द्वारा अनियंत्रित छोड़ दिया गया है-इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि ट्राई और टेलीग्राफ प्राधिकरण दोनों जनहित में कार्य करते हैं-ट्राई अधिनियम, टेलीग्राफ अधिनियम और भारतीय [2018] 14 एस. सी. आर.

जहाँ तक वायरलेस टेलीग्राफी और प्रसारण का संबंध है, वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, जो समान रूप से कानून है, एक संहिता बनाता है-यदि

टी. आर. ए. आई. अधिनियम के तहत अपनी नियामक शक्ति का प्रयोग करते हुए, टी. आर. ए. आई. को कॉपीराइट के लिए देय मुआवजे का उल्लंघन करना था, दोनों कानूनों में सामंजस्य स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका यह कहना है कि टी. आर. ए. आई. अधिनियम, सार्वजनिक हित में परिकल्पित एक क़ानून होने के नाते, जो प्रसारकों और उपभोक्ताओं दोनों के हित की सेवा करने के लिए है, को प्रभावी होना चाहिए। कॉपीराइट अधिनियम पर किसी भी विसंगति की सीमा, जो एक ऐसा अधिनियम है जो प्रसारकों के संपत्ति अधिकारों की रक्षा करता है-इसलिए, कॉपीराइट अधिनियम के तहत प्रसारकों को देय रॉयल्टी/मुआवजे को ट्राई अधिनियम के तहत ट्राई द्वारा सार्वजनिक हित में विनियमित किया जाता है, पहला बाद वाले को रास्ता देगा।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

टी. आर. ए. आई. अधिनियम की धारा 11 (1) (ए) (iv) के तहत, प्राधिकरण का एक कार्य, हालांकि अनुशंसित है, सुविधा प्रदान करना है। प्रतिस्पर्धा और दूरसंचार सेवाओं (जिसमें प्रसारण सेवाएं शामिल हैं) के संचालन में दक्षता को बढ़ावा देना ताकि ऐसी सेवाओं में विकास को सुविधाजनक बनाया जा सके। धारा 11 (1) (बी) के तहत, विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच अंतर-संपर्क के नियम और शर्तें तय की जानी चाहिए, जो अनिवार्य रूप से

इसमें ऐसे शब्द शामिल हैं जो न केवल सरल परिवहन से संबंधित हैं, बल्कि प्रसारक, एमएसओ, केबल टीवी संचालक और अंतिम उपभोक्ता के बीच परस्पर संपर्क के सभी नियमों और शर्तों से संबंधित हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिनियम के उद्देश्य को पूरा किया जाए, अर्थात्, प्रसारक और उपभोक्ता दोनों को एक उचित सौदा मिले। धारा 11 (2) यह स्पष्ट करती है कि प्राधिकरण समय-समय पर प्रसारण सहित दूरसंचार सेवाओं की दरों को अधिसूचित कर सकता है।

भारत के भीतर और भारत के बाहर सेवाएं निम्नलिखित के तहत प्रदान की जाएंगीः यह अधिनियम। धारा 11 (2) की सरल शाब्दिक भाषा यह स्पष्ट करती है कि जिन दरों पर प्रसारण सेवाओं की पेशकश की जाती है और

भारत के बाहर ट्राई द्वारा तय किया जा सकता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि जब विभिन्न सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के बीच कई दौर के परामर्श के बाद दरें तय की जाती हैं, तो प्रत्येक के हित को देखते हुए, यह कहना असंभव है कि किसी भी प्रसारक के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। [ पैरा 30] [177-जी-एच; 178-ए-एफ] स्टार इंडिया पीवीटी।

लिमिटेड। वी. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

अविषेक गोयनका बनाम। भारत संघ (2012) 5 एससीसी 275: [ 2012 ] 5 एस. सी. आर. 547; होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन। वी. स्टार इंडिया (पी) लिमिटेड (2006) 13 एस. सी. सी. 753 [2006] 9 पूरक।

एस. सी. आर. 602-निर्भर।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड v.

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (2015) 9 एस. सी. सी. 209: [ 2015 ] 7

एस. सी. आर. 215-लागू नहीं है

2. किसी भी स्तर पर किसी टीवी चैनल की सामग्री को विनियमित करने की मांग नहीं की जाती है, और टीवी चैनलों से संबंधित मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। विनियमन और प्रशुल्क आदेश प्रसारकों के अधिकारों और उपभोक्ताओं के हितों के बीच एक संतुलनकारी कार्य है, जिसे इस आधार पर आक्षेप नहीं किया गया है कि किसी भी अधिकार या मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है, बल्कि केवल इस आधार पर कि विनियमन के साथ-साथ प्रशुल्क आदेश भी ट्राई के "अधिकार क्षेत्र" से बाहर हैं। अधिनियम की धारा 36 (1) के तहत शक्ति बहुत व्यापक है और धारा 11 के प्रावधानों द्वारा सीमित नहीं है। [ पैरा 30,32] [178-एफ-जी; 17 9-सी]

बीएसएनएल वी. ट्राई (2014) 3 एससीसी 222: [ 2013 ] 12 एस. सी. आर. 999; होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन। वी. स्टार इंडिया (पी) लिमिटेड (2006) 13 एस. सी. सी. 753: [ 2006 ] 9 पूरक। एस. सी. आर. 602-निर्भर।

प्रसारकों, प्रभाव यह है कि ग्राहक केवल गुलदस्ते लेने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि इन गुलदस्ते में पाए जाने वाले भुगतान चैनलों की ए-ला-कार्टे दरें बहुत अधिक हैं। इसके परिणामस्वरूप व्यक्तिगत भुगतान चैनलों की तुलना में गुलदस्ते के विपरीत मूल्य निर्धारण होते हैं। में प्रक्रिया, जनता अवांछित चैनलों के लिए भुगतान करती है, जिससे नए और बेहतर टीवी चैनलों को अवरुद्ध किया जाता है और प्रतिबंध लगाया जाता है

ग्राहकों की पसंद। यही कारण है कि छूट की सीमा तय की गई है। हालांकि, ऐसा करते समय, पूर्ण लचीलापन दिया गया है प्रसारक एक [2018] 14 एस. सी. आर. पर अपने भुगतान चैनलों की कीमतों की घोषणा करेंगे।

ला-कार्टे आधार। प्राधिकरण ने दिखाया है कि वह अपने व्यवसाय की व्यवस्था करने के लिए प्रसारकों की स्वतंत्रता का अतिक्रमण नहीं करता है

वे चुनते हैं। इसके अलावा, जब इस तरह की छूट सीमित होती है, तो एक ग्राहक अपनी पसंद के ला-कार्टे चैनल चुनने के लिए स्वतंत्र हो सकता है। इस प्रकार, एक गुलदस्ता के गठन के लचीलेपन, यानी, ऐसे चैनलों की सामग्री के साथ गुलदस्ते में शामिल किए जाने वाले चैनलों के चयन को प्राधिकरण द्वारा छुआ नहीं जाता है। यह केवल प्रतिस्पर्धा को विफल करने और ए-ला-कार्टे विकल्प को कम करने के उद्देश्य से किए गए प्रयास हैं, जिनमें हस्तक्षेप किया जा रहा है। समान रूप से, जब भुगतान चैनलों के अधिकतम खुदरा मूल्य पर 19 रुपये की सीमा प्राधिकरण द्वारा तय की जाती है, जिसे गुलदस्ते के एक हिस्से के रूप में प्रदान किया जा सकता है, तो प्राधिकरण का ध्यान ग्राहकों के साथ-साथ प्रसारकों दोनों के लिए निष्पक्ष होना है। आई. एन. आर. 19 पहले के विनियमन द्वारा तय आई. एन. आर. 15.12 की पिछली सीमा में सुधार है जिसे किसी ने चुनौती नहीं दी है। अभिदाताओं के हितों और प्रसारकों के हितों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए, प्राधिकरण फिर से यह स्पष्ट करता है कि प्रसारकों को मूल्य चैनलों की पूरी स्वतंत्रता है जो किसी भी गुलदस्ते का हिस्सा नहीं हैं और केवल ए-ला-कार्टे आधार पर पेश किए जाते हैं। बाजार नियामक के रूप में, प्राधिकरण का कहना है कि विवादित विनियमन और शुल्क आदेश पत्थर में नहीं लिखे गए हैं, लेकिन बाजार में विकास पर नजर रखते हुए इसकी समीक्षा की जाएगी। इसलिए, विनियमन और शुल्क आदेश हितधारकों और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं और ट्राई अधिनियम की धारा 36 में निहित विनियमन शक्ति के अंतर्गत हैं। [ पैरा 37] [189-सी-एच; 190-ए-सी]

एंटरटेनमेंट नेटवर्क (इंडिया) लिमिटेड बनाम सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2008) 13 एससीसी 30: [ 2008 ] 9 एससीआर 165

संदर्भित किया गया है

प्रसारक द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रसारण सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करना जो अंतिम उपभोक्ता को प्रभावित करता है। इसलिए, ट्राई का ध्यान एक नियामक प्राधिकरण पर है, जो प्रसारक और ग्राहक दोनों के हित को देखता है ताकि एक समान अवसर प्रदान किया जा सके।

दोनों के लिए क्षेत्र जिसमें नियम निर्धारित किए जा सकते हैं जो अंतिम उपभोक्ताओं तक प्रसारण के तरीके और परिवहन को प्रभावित करते हैं। एक बार जब दोनों अधिनियमों के सापेक्ष दायरे को समझा जाता है, तो स्टार इंडिया पी. वी. टी.।

लिमिटेड। वी. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

गुलदस्ता या ए-ला-कार्टे चैनल। विवादित विनियमन और प्रशुल्क आदेश को एक नियामक प्राधिकरण द्वारा विभिन्न हितधारकों की आपत्तियों पर अपना दिमाग लगाने के बाद पारित किया गया है, जिसमें विनियमन और प्रशुल्क आदेश निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें शुरू में स्वयं प्रसारकों द्वारा स्वीकार किया गया है। मामले के इस दृष्टिकोण में, कॉपीराइट अधिनियम अपने क्षेत्र के भीतर काम करेगा, प्रसारक को व्यक्तिगत रूप से या सोसायटी के रूप में रॉयल्टी या तीन प्रकार के मुआवजे के लिए पूर्ण लचीलापन दिया जा रहा है। कॉपीराइट। टी. आर. ए. आई., टी. आर. ए. आई. अधिनियम के तहत अपने नियामक कार्यों का प्रयोग करते हुए, वास्तव में, इनमें से किसी पर भी प्रभाव नहीं डालता है।

ये अधिकार, लेकिन केवल एक नियामक के रूप में, सार्वजनिक हित में, प्रसारकों द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रसारण सेवाओं के लिए कार्य करते हैं और जिनका लाभ उठाया जाता है

अंतिम उपभोक्ता द्वारा। [ पारस 63,64] [210-एफ-एच; 211-ए-ई]

5. कॉपीराइट अधिनियम के साथ-साथ ट्राई अधिनियम दोनों केंद्रीय अधिनियम हैं जो स्पष्ट रूप से यह प्रावधान नहीं करते हैं कि एक दूसरे को ओवरराइड करता है। इस स्थिति में, कानूनों की व्याख्या का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि दोनों अधिनियमों में सामंजस्य स्थापित किया जाए -

दोनों के बीच किसी भी टकराव/संघर्ष की घटना ताकि दोनों को प्रभावी बनाया जा सके। चूंकि टेलीग्राफ अधिनियम और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम के तहत कार्य करने वाले टेलीग्राफ प्राधिकरण को जनहित में कार्य करना आवश्यक है, इसलिए उक्त प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र को ट्राई अधिनियम के प्रावधानों द्वारा अनियंत्रित छोड़ दिया गया है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि ट्राई और टेलीग्राफ प्राधिकरण दोनों ही जनहित में कार्य करते हैं। टी. आर. ए. आई. अधिनियम, टेलीग्राफ अधिनियम और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, समान सामग्री में क़ानून होने के कारण, एक संहिता बनाते हैं, जहाँ तक वायरलेस टेलीग्राफी और प्रसारण का संबंध है। चिंतित हैं। यदि टी. आर. ए. आई. अधिनियम के तहत अपनी नियामक शक्ति का प्रयोग करते हुए, टी. आर. ए. आई. को कॉपीराइट के लिए देय मुआवजे का उल्लंघन करना था, तो दोनों कानूनों में सामंजस्य स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि टी. आर. ए. आई. अधिनियम, सार्वजनिक हित में परिकल्पित एक क़ानून है, जो दोनों प्रसारकों और [2018] 14 एस. सी. आर. के हितों की पूर्ति के लिए है।

किसी भी विसंगति की सीमा तक, उपभोक्ताओं को कॉपीराइट अधिनियम पर प्रबल होना चाहिए, जो एक ऐसा अधिनियम है जो प्रसारकों के संपत्ति अधिकार। इसलिए, विस्तार के लिए

कॉपीराइट अधिनियम के तहत प्रसारकों को देय रॉयल्टी/मुआवजे को टी. आर. ए. आई. अधिनियम के तहत सार्वजनिक हित में टी. आर. ए. द्वारा विनियमित किया जाता है, पहला बाद वाले को रास्ता देगा [पैरा 65,66,67] [211-एफ-जी 212-बी-ई]

सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सरकार. भारत और ओआरएस। वी. क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल

( 1995 ) 2 एससीसी 161: [ 1995 ] 1 एससीआर 1036; दीपक

थिएटर वी। पंजाब राज्य 1992 पूरक (1) एस. सी. सी. 684:

[ 1991 ] 3 पूरक। एस. सी. आर. 242; सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन।

भारत का वी. ट्राई (2016) 7 एससीसी 703: [ 2016 ] 9 एससीआर 1 -

उस पर भरोसा करें

मामला कानून संदर्भ

[ 2015 ] 7 एससीआर 215

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 6

( 2018 ) 146 डीएलटी 455

उस पर भरोसा करें

पै

रा 8

[ 1995 ] 1 एससीआर 1036

उस पर भरोसा करें

पै

रा 12

[ 1991 ] 3 पूरक। एससीआर 242

उस पर भरोसा करें

पै

रा 20

[ 2013 ] 12 एससीआर 999

उस पर भरोसा करें

पै

रा 21

[ 2016 ] 9 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पै

रा 22

[ 2012 ] 5 एससीआर 547

उस पर भरोसा करें

पै

रा 31

[ 2006 ] 9 पूरक। एससीआर 602

उस पर भरोसा करें

पै

रा 32

[ 2008 ] 9 एससीआर 165

संदर्भित किया गया है

पै

रा 60

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 7326

7327 2018 से।

निर्णय और आदेश दिनांक 02.03.2018 और 23.05.2018 से

मद्रास में उच्च न्यायालय की रिट याचिका सं। 44126 और 2016 का 44127।

के साथ

सिविल अपील सं। 7328-7329 / 2018 .

स्टार इंडिया पीवीटी। लिमिटेड। वी. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

पी. एस. नरसिम्हा, विक्रमजीत बनर्जी, ए. एस. जी., पी. चिदंबरम, डॉ. ए. एम. सिंघवी, नीरज किशन कौल, गोपाल जैन, राकेश द्विवेदी,

सुश्री रूबी सिंह आहूजा, सिद्धार्थ चोपड़ा, सुश्री स्नेहा जैन, उत्सव त्रिवेदी, स्वकीर्ति सिंघानिया, उत्कर्ष मारिया, श्रीमती माणिक एम/एस के लिए करंजावाला, अभिषेक सिंघवी, सुश्री गीतांजलि मिरियम, संजीत रंजन, समर सिंह कछवाहा, चानन परवानी। करंजावाला एंड कंपनी, संजय कपूर, साकेत सिंह, सुश्री शीना ताकी, सुश्री मेघा कर्णवाल,

सुश्री मानसी कपूर, सैफ-उद-दीन शम्स, एस. एस. शमशेरी, सुश्री श्रद्धा देशमुख, अनमोल चंदन, वी. सी. शुक्ला, राहुल जी. तनवानी, मोहित सेठ, गुरमीत सिंह मक्कर, जयंत मेहता, सुकांत विक्रम, अर्जुन सुरेश, नासिर हुसैन, अंशुमान साहनी, अभिनव अंकित,

धनंजय भास्कर राय, वेंकटरमन आर., तुबा मोहदी, अभिनव अंकित, विभु तिवारी, सुमित आर. शर्मा, अंशुमन शर्मा, विवेक सरीन, अनामिका झा, सतीश सी. कौशिक, सुश्री आकर्शन आदित्य, बलराज दीवान, सुश्री लिज़ मैथ्यू, सुश्री गरिमा प्रसाद, मोहित पॉल, अनुग्रह नीरज एक्का, ओबीरूप घोष, विवेक रंजन, तेजवीर भाटिया, रोहन स्वरूप, कुणाल वत्स, गौरव शर्मा, गुरप्रीत सिंह संधू, विक्रम सिंह, सुश्री भानु पंत, अभिषेक मल्होत्रा, सुश्री नियति अस्थाना, रंजीत बी. मरार, ए. कार्तिक, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे.

1. वर्तमान दीवानी अपीलें कुछ खंडों को चुनौती देती हैं।

दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ इंटरकनेक्शन (पता प्रणाली) विनियम, 2017 (इसके बाद "विनियमन" के रूप में संदर्भित) 3.3.2017 पर अधिसूचित और

दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ (आठवीं)

( पता प्रणाली) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (इसके बाद "ट्राई अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत बनाया गया टैरिफ आदेश, 2017 (इसके बाद "टैरिफ आदेश" के रूप में संदर्भित) दिनांक 3.3.2017। चूंकि टी. आर. ए. आई. अधिनियम के तहत बनाए गए नियम चुनौती के दायरे में थे, इसलिए

मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें डिवीजन बेंच के समक्ष उत्पन्न होने वाले मुख्य मुद्दे इस प्रकार थेः

ए। क्या भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (जिसे इसके बाद "ट्राई" के रूप में संदर्भित किया गया है) के पास केवल "संचरण के साधनों" को विनियमित करने की शक्ति है। प्रसारण का 'कैरिज' पहलू, और [2018] 14 एस. सी. आर.

प्रसारण की 'सामग्री' (यानी चैनल और/या इसके घटक कार्यक्रमों) को विनियमित करने की शक्ति नहीं है? बी। क्या विवादित खंड, वास्तव में, और प्रभावी रूप से, प्रसारण की सामग्री को विनियमित करते हैं (यानी चैनल और/या इसके घटक)

कार्यक्रम)?

सी। क्या विवादित खंडों का प्रसारक द्वारा टेलीविजन चैनल के मूल्य निर्धारण और विपणन पर सीधा प्रभाव पड़ता है और इसलिए प्रसारण की सामग्री (यानी चैनल और/या इसके घटक कार्यक्रमों) में अवैध हस्तक्षेप है?

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया है कि विवादित खंडों में कार्यक्रमों और टेलीविजन चैनलों, उनके मूल्य निर्धारण को विनियमित करने का प्रभाव है

उत्तराधिकारी विपणन और निम्नलिखित अनुपातिक तरीके से पेशकश/बंडलिंग का तरीका, जो ट्राई के अधिकार क्षेत्र से बाहर है

"संचरण के साधन":

ए। ट्राई ने प्रभावी रूप से एक समान अधिकतम खुदरा मूल्य तय किया है।

प्रत्येक टीवी चैनल INR 19/- पर;

चैनलों और प्रसारकों द्वारा भुगतान किया गया वितरण शुल्क टेलीविजन चैनलों के वितरक, 35 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकते हैं

टेलीविजन चैनल का अधिकतम खुदरा मूल्य; ई. टेलीविजन चैनलों की कीमत अलग-अलग वितरण प्लेटफार्मों के लिए अलग-अलग नहीं हो सकती है।

एफ. एक प्रसारक के चैनल दूसरे द्वारा पेश नहीं किए जा सकते हैं। प्रसारक अपने टेलीविजन चैनलों के गुलदस्ते में, इसके बाद भी

उचित प्राधिकरण प्राप्त करना; ए. आर. इंडिया पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग [आर. एफ. नरीमन, जे.]

जी। प्रचार योजनाओं (i) की पेशकश केवल ए-ला-कार्टे मूल्यों पर की जा सकती है।

टेलीविजन चैनलों की पेशकश करने के लिए और गुलदस्ते की कीमतों पर नहीं, (ii) एक बार में 90 दिनों से अधिक नहीं हो सकता है, और (iii) केवल पेश किया जा सकता है।

एक वर्ष में दो बार;

एच. उच्च परिभाषा और मानक परिभाषा चैनल नहीं हो सकते हैं

टेलीविजन चैनलों का एक ही गुलदस्ता;

गुलदस्ता। 2. खंड पीठ में एम. सुंदर, जे. और मुख्य न्यायाधीश शामिल थे

बनर्जी अपने निष्कर्षों में भिन्न थे। एम. सुंदर, जे. के अनुसार,

आयोजितः

" 8 ( ए)। कथा, चर्चा और जो कुछ भी हुआ है, उसके कारण

उपर्युक्त प्रावधानों में से जो ऊपर दिए गए हैं

विनियम और कहा गया प्रशुल्क आदेश जो सामग्री को छूता है प्रसारकों के कार्यक्रमों को रद्द किया जा सकता है क्योंकि नहीं

मूल अधिनियम/पूर्ण अधिनियम के अनुरूप। इसलिए, खंड

6 ( 1 ) , 6 (1) का दूसरा परंतुक, 7 (2), 7 (4) का परंतुक, उक्त विनियमों के 7 (4) और 10 (3) का पहला परंतुक और खंड 3 (1), 3 (2) (बी) का दूसरा परंतुक, 3 (2) (बी) का दूसरा परंतुक, 3 (3) का पहला परंतुक, 3 (3) का दूसरा परंतुक, 3 (3) का तीसरा परंतुक, 3 (3) का चौथा परंतुक, 3 (3) का पांचवां परंतुक, 3 (3) का छठा परंतुक, 3 (3) का छठा परंतुक और 3 (4) मूल अधिनियम, अर्थात टी. आर. ए. आई. के अनुरूप नहीं होने के कारण निरस्त किया गया

8 ( बी)। अन्य दो विवादित प्रावधानों के संबंध में, जैसा कि हम सुनवाई के दौरान यह समझने के लिए दिया गया था कि वे

इसके अलावा कुछ अन्य खंडों के लिए भी प्रासंगिक और आवश्यक हैं

वे उस हद तक बचाए जाने के लायक हैं जब तक वे जीवित रहते हैं और सेवा करते हैं कार्यान्वयन या किसी अन्य उद्देश्य को पूरा करने के अलावा अन्य उद्देश्य

जिन प्रावधानों को हमने निरस्त कर दिया है। इसलिए, अन्य विवादित प्रावधान, अर्थात उक्त विनियमों में खंड 11 (2) और उक्त शुल्क आदेश में खंड 4 (2) भी जारी रहेंगे।

किताबें, लेकिन कुछ भी करने के लिए सेवा में नहीं दबाया जा सकता है

जिन प्रावधानों को हमने निरस्त कर दिया है। दूसरे शब्दों में,

उक्त विनियमों में ये प्रावधान, अर्थात खंड 11 (2) और

उक्त प्रशुल्क आदेश में खंड 4 (2) का संचालन किया जा सकता है यदि यह हो सकता है

उक्त विनियमों के अन्य प्रावधानों के लिए संचालित और कहा शुल्क आदेश, उन आदेशों के अलावा जिन्हें हमने निरस्त कर दिया है। "[2018] 14 एस. सी. आर.

3. एम. सुंदर, जे. से भिन्न, विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित कियाः

" 69. मैं न्यायाधीश एम. सुंदर के इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हूं कि विवादित विनियमन और विवादित शुल्क आदेश के प्रावधान ट्राई अधिनियम के अनुरूप नहीं हैं। मेरे विचार में विवादित प्रावधान न तो प्रसारकों के कार्यक्रमों की सामग्री को छूते हैं और न ही उन्हें निरस्त किया जा सकता है।

हालांकि, गुलदस्ते के एम. आर. पी. पर छूट पर 15 प्रतिशत की सीमा लगाने का खंड मनमाना है। उक्त प्रावधान, मेरे विचार में, लागू करने योग्य नहीं है। मेरे सुविचारित विचार में, विवादित विनियमन और विवादित शुल्क आदेश को चुनौती विफल हो जाती है।

70. चूँकि हम सहमत नहीं हो पाए हैं, इसलिए रिट याचिकाएँ हो सकती हैं

किसी तीसरे न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए। चूँकि मुख्य न्यायाधीश ने असहमतिपूर्ण निर्णय दिया है, इसलिए मामले को अगले उपलब्ध न्यायाधीश के समक्ष वरिष्ठता के क्रम में रखा जा सकता है।

न्यायाधीश जिनके समक्ष मामला रखा जा सकता है।

4. इसलिए वर्तमान प्रत्यर्थियों के मामले में विवाद का समाधान करने वाले तीसरे न्यायाधीश एम. एम. सुंदरेश, जे.

तर्कों और विचाराधीन अधिनियमों का विश्लेषण करते हुए, तीसरे एड न्यायाधीश ने माननीय मुख्य न्यायाधीश का पक्ष लिया और कहाः

" 27.1 . अपने संक्षिप्त, लेकिन स्पष्ट निर्णय में, माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के विपरीत ट्राई अधिनियम के तहत शक्ति की पर्याप्तता है। वे अपने-अपने रास्तों पर यात्रा करते हैं, न कि पार करने के इरादे से। वर्ष 2012 में धारा 37 के साथ किए गए संशोधनों के दायरे को सही ढंग से निपटाया गया था। इस न्यायालय का विचार है कि कॉपीराइट अधिनियम ने उचित रूप से ध्यान दिया है कि यह सहायता प्रदान करता है।

लाइसेंसधारी के विरुद्ध कॉपीराइट धारक को, जो बी. आर. आर. धारक भी हो सकता है। यह उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रावधान कॉपीराइट धारक के अधिकार के संरक्षण से संबंधित हैं। इसके बजाय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 पर चर्चा को ध्यान में रखना उचित है, जिसे प्रासंगिक रूप से इस मुद्दे पर देखा जाना चाहिए, यानी कि क्षेत्र पर कब्जा किया जा रहा है। इस न्यायालय को भी इस निष्कर्ष में कुछ भी गलत नहीं लगता है

टी. आर. ए. आई. के लिए विद्वान वकील द्वारा दी गई तथाकथित रियायत अप्रासंगिक होने पर दी गई, क्योंकि अधिनियम के अधिकार क्षेत्र को ही विचार के लिए लिया गया था। निष्कर्ष को अन्य मुद्दों के साथ प्रासंगिक रूप से देखा जाना चाहिए, जिसमें उत्तरदाता 1 से 4 के जवाबी हलफनामे में लिया गया समग्र रुख भी शामिल है।

इसी तरह स्टार इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग [आर. एफ. नरीमन, जे.]

असाधारण का आह्वान करते हुए स्वयं लगाए गए प्रतिबंध

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र, पात्र है

सहमत होने के लिए।

27.2 . यद्यपि गुलदस्ते के एम. आर. पी. पर 15 प्रतिशत छूट की सीमा निर्धारित करने और शुल्क आदेश के तहत दी गई छूट के संबंध में लिए गए निर्णय पर एक प्रस्तुति दी गई है, लेकिन उपरोक्त निर्णय यह मानने का आधार नहीं हो सकता है कि अन्य मुद्दों पर अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना आवश्यक रूप से इसी का अनुसरण करेगा। आखिरकार, एक संदर्भ न्यायालय के रूप में, यह न्यायालय मतभेदों के बिंदुओं पर किसी भी विद्वान न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से संबंधित है। तदनुसार, असहमत निर्णय कायम है

सहमत हुए।

28. परिणामस्वरूप, इस संदर्भ में मतभेद के बिंदुओं को असहमत निर्णय के साथ सहमत होने का आदेश दिया गया है। कोई लागत नहीं। "

5. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. ए. एम. सिंघवी ने कई कानूनों और निर्णयों का उल्लेख किया है।

एक विशेष आवृत्ति पर एक विशेष उपग्रह के साथ, जिसके बाद ऐसे चैनलों को डाउनलिंक करने के लिए अनुमति प्राप्त करनी होती है। इस बिंदु पर, प्रसारक, डाउनलिंकिंग के बाद, एक बहु-प्रणाली ऑपरेटर (इसके बाद एक "एमएसओ" के रूप में संदर्भित) को संकेत भेजता है, जो बदले में एक केबल टीवी ऑपरेटर को संकेत भेजता है जिससे इसे अंतिम उपभोक्ता को प्रसारित किया जाता है। टेलीविजन कार्यक्रम देखना। इसके लिए, प्रसारक इस तरह के संकेत के परिवहन के लिए एक वितरण शुल्क और एक वहन शुल्क का भुगतान करते हैं, फिर संकेतों को एमएसओ को भेजते हैं, जो बदले में इसे केबल टीवी [2018] 14 एस. सी. आर. को भेजता है।

प्रचालक, जो अंतिम उपभोक्ता को संकेत देता है। वितरण शुल्क, परिवहन शुल्क और नेटवर्किंग क्षमता शुल्क सभी प्रसारक द्वारा देय हैं, जिनके साथ प्रसारक का कोई झगड़ा नहीं हो सकता है। समान रूप से, ऐसी स्थिति में जहां डायरेक्ट टू होम सेवाएं प्रदान की जाती हैं, एमएसओ के बजाय व्यक्ति होते हैं, जैसे, उदाहरण के लिए, टाटा स्काई, जो तब उपग्रह के माध्यम से सीधे उपभोक्ता को संकेत देते हैं। टी. आर. ए. आई. अधिनियम के तहत टी. आर. ए. आई. प्रसारक द्वारा किए गए मूल्य निर्धारण, बंडलिंग या पैकेजिंग को प्रतिबंधित नहीं कर सकता है क्योंकि टी. आर. ए. आई. के कार्य केबल टेलीविजन नेटवर्क के तहत शुरू होते हैं। ( विनियमन) अधिनियम, 1995 (इसके बाद "केबल टीवी अधिनियम" के रूप में संदर्भित) केबल टीवी ऑपरेटर तक सिग्नल पहुंचने के बाद ही। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, उपभोक्ताओं को केबल टीवी ऑपरेटर द्वारा प्रसारित संकेतों के पूर्ववर्ती स्तर पर, प्रसारकों के अधिकार ट्राई अधिनियम द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं, जो केवल परिवहन को नियंत्रित करता है, बल्कि कॉपीराइट अधिनियम, 1957 द्वारा कवर किए जाते हैं, जो सामग्री को नियंत्रित करता है। डॉ. सिंघवी ने हमें टी. आर. ए. आई. अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण, इसकी प्रस्तावना और विशेष रूप से धारा 2 (1) (के), 11 और 36 के माध्यम से यह तर्क दिया कि यह अधिनियम "परिवहन-केंद्रित" है, और इस प्रकार इसमें सेवा के विनियमन तक सीमित है।

अकेले संचरण और संचरण की विषय वस्तु या सामग्री तक विस्तारित या शामिल नहीं है। दूसरी ओर, कॉपीराइट अधिनियम "सामग्री-केंद्रित" है और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित है जो

प्रसारकों के पास कॉपीराइट अधिनियम की धारा 37 के तहत कॉपीराइट के साथ-साथ प्रसारण प्रजनन अधिकार दोनों के रूप में हैं। उन्होंने कॉपीराइट अधिनियम में 2012 के संशोधन पर बहुत अधिक भरोसा किया, और विशेष रूप से उक्त अधिनियम के अध्याय 8 पर। उनके अनुसार, टैरिफ, जो सामग्री से संबंधित है, कॉपीराइट अधिनियम द्वारा नियंत्रित होता है न कि ट्राई अधिनियम द्वारा, जबकि उपभोक्ता को संचरण और वितरण, अर्थात्, परिवहन,

टीवी शो, आदि, जो कॉपीराइट अधिनियम द्वारा कवर किए गए बौद्धिक संपदा अधिकारों के सभी पहलू हैं। वे खेलों पर बहुत अधिक निर्भर थे। ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य साझाकरण) अधिनियम, 2007 (इसके बाद "खेल अधिनियम" के रूप में संदर्भित), इसके विपरीत, और कहा कि इस अधिनियम में "प्रसारक", "प्रसारण" की परिभाषाएँ,

" प्रसारण सेवा "और" सामग्री "ने यह स्पष्ट किया कि इस अधिनियम की पहुंच केवल संकेत के प्रसारण तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि सामग्री तक भी विस्तारित थी, और तर्क दिया कि इसलिए स्टार इंडिया पी. वी. टी. की परिभाषाओं में अंतर है।

लिमिटेड। वी. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग [आर. एफ. नरीमन, जे.]

खेल अधिनियम में निहित यह दर्शाता है कि इसके विपरीत टी. आर. ए. आई. अधिनियम की पहुंच सीमित थी और सामग्री पर नहीं जाती थी। उन्होंने केबल टीवी अधिनियम और विशेष रूप से "प्रसारक" की परिभाषाओं पर भी दृढ़ता से भरोसा किया। और उसमें "केबल ऑपरेटर" के साथ-साथ उसकी धारा 4 ए और 5 को उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा जाता है, जो यह दर्शाता है कि "सामग्री" को निश्चित रूप से खेल अधिनियम के तहत ट्राई द्वारा विनियमित किया जा सकता है, लेकिन केवल उस अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए तरीके से और केबल टीवी ऑपरेटर के मंच से उपभोक्ता को और पहले नहीं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस मामले में, उपरोक्त नियम टी. आर. ए. आई. अधिनियम के तहत टी. आर. ए. आई. की शक्ति से बाहर हैं और इसलिए इन्हें निरस्त किया जाना चाहिए।

6. कुछ अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. चिदंबरम ने डॉ. सिंघवी के समर्थन में तर्क दिया। उन्होंने, विशेष रूप से, कॉपीराइट अधिनियम की धारा 2 (डीडी) और 2 (एफएफ) में निहित परिभाषाओं का उल्लेख किया और कहा कि "प्रसारण" का अर्थ केवल टीवी चैनलों के एक समूह को तैयार रखना होगा, जिसे केबल टीवी ऑपरेटर के एमएसओ द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है या नहीं। के अनुसार वास्तव में, विवादित विनियमन और शुल्क आदेश ट्राई अधिनियम के तहत ट्राई के अधिकार क्षेत्र से बाहर चला गया, जिसमें उन्होंने "सामग्री" को विनियमित करने की मांग की, जिसका अर्थ होगा एक पुस्तक जैसी मूल कृति, जिसे बाद में एक फिल्म में बनाया जा सकता था और अंत में अपीलकर्ताओं द्वारा प्रसारित किया जा सकता था। कुछ भी जो लाइसेंस और असाइनमेंट सहित बनाने, खरीदने, पैकेजिंग या विपणन के मामले में उपरोक्त "सामग्री" पर प्रभाव डालता है, वह सीधे कॉपीराइट अधिनियम के दायरे में आएगा और इसलिए, ट्राई अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा। उन्होंने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड बनाम में इस न्यायालय के फैसले पर भी दृढ़ता से भरोसा किया।

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, (2015) 9 एस. सी. सी. 209 में कहा गया है कि समानांतर तथ्य परिस्थितियों में, बोर्ड द्वारा विचाराधीन वस्तु के लिए कोई शुल्क तय नहीं किया जा सकता है, लेकिन केवल पाइपलाइनों के माध्यम से उक्त वस्तु के परिवहन के लिए।

7. श्री राकेश द्विवेदी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

टी. आर. ए. आई. की ओर से, इन प्रस्तुतियों में से प्रत्येक का विरोध किया। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, टी. आर. ए. आई. अधिनियम को पढ़ने से, उद्देश्यों और कारणों के विवरण के साथ, यह पता चलेगा कि यह एक ऐसा अधिनियम था जिसकी परिकल्पना सार्वजनिक हित में की गई थी ताकि यहां के प्रसारकों जैसे सेवा प्रदाताओं के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके। इसलिए जब कोई उक्त अधिनियम के तहत टी. आर. ए. आई. के प्राधिकरण या अधिकार क्षेत्र की बात करता है तो प्रसारण सेवाओं के उपभोक्ताओं का हित सर्वोपरि है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, टेलीपोर्ट के मंच से जहाँ से एक टीवी चैनल [2018] 14 एस. सी. आर. है।

एक प्रसारक द्वारा एक उपग्रह से अपलिंक किया जाता है और फिर एक एमएसओ से डाउनलिंक किया जाता है, जारी किए गए दिशानिर्देशों के तहत अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दोनों के लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होती है, जिसके बारे में उन्होंने हमें बताया। उक्त दिशानिर्देशों से पता चलेगा कि इस स्तर पर सामग्री निश्चित रूप से विनियमित है, क्योंकि उदाहरण के लिए, राज्य की सुरक्षा के विपरीत टीवी चैनलों को प्रसारित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उनके अनुसार, इस बात की परवाह किए बिना कि जिस टेलीपोर्ट से प्रसारक का संकेत उपग्रह से अपलिंक किया जाता है, वह प्रसारक के स्वामित्व में है या प्रसारक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रसारित किया जाता है, धारा 4 के तहत लाइसेंस

यह कहने के लिए कि प्रसारणकर्ताओं को टेलीग्राफ अधिनियम के तहत लाइसेंसधारी होने की आवश्यकता नहीं है जब वे या तो अपने स्वयं के टेलीपोर्ट से या टेलीपोर्ट के मालिक के साथ संकेत प्रसारित करते हैं, जो भारत में अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचते हैं। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, इसलिए, ट्राई अधिनियम का एक संकुचित अध्ययन उसमें निहित लाभकारी कानून की प्रकृति को बाधित करेगा, जो उपभोक्ता हितों की भी देखभाल करने के लिए है। यह स्पष्ट है कि की परिभाषा " धारा 2 (1) (के) में दूरसंचार सेवा को डॉ. सिंघवी द्वारा सुझाए गए तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता है, और जब प्रसारकों की बात आती है, तो इसमें टेलीपोर्ट से संकेतों का प्रसारण और प्रसारण एमएसओ और उसके बाद केबल टीवी ऑपरेटर के स्तर तक शामिल होगा। उन्होंने विशेष रूप से धारा 11 (1) (बी) पर जोर दिया और कहा कि विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच प्रभावी परस्पर संबंध सुनिश्चित करने के लिए, अधिनियम की धारा 36 के तहत बनाए गए नियमों को निर्धारित करना आवश्यक था जो उपभोक्ताओं के हित के साथ प्रसारकों के हित को संतुलित करते हैं। उन्हें यह बताते हुए दुख हो रहा था कि किसी भी स्तर पर विनियमन या शुल्क आदेश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रसारित होने वाले टेलीविजन चैनल में निहित मामले की सामग्री को विनियमित करने का प्रयास नहीं करता है। एक उदाहरण के रूप में, उन्होंने कहा कि न तो विनियमन और न ही टैरिफ आदेश प्रसारक द्वारा प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों में हस्तक्षेप करता है, बल्कि केवल इस तरह के प्रसारण के तरीके में हस्तक्षेप करता है, दोनों प्रसारकों के हित को ध्यान में रखते हुए।

साथ ही अंतिम उपभोक्ता को ध्यान में रखते हुए। उन्होंने हमें मसौदा विनियमन से पहले के परामर्श पत्रों के बारे में भी बताया जो तैयार किए गए थे, और बताया कि विवादित विनियमन और शुल्क आदेश में जो कुछ भी शामिल था, उनमें से अधिकांश या तो स्वयं प्रसारकों द्वारा अनुरोध किया गया था या उनके हितों की रक्षा के लिए उनके द्वारा सुझाव दिया गया था, जिसका ट्राई ने सैद्धांतिक रूप से पालन किया है। दिलचस्प बात यह है कि यह था

केवल बाद के चरण में, मसौदा विनियमन बनाए जाने से पहले, जो स्टार इंडिया पी. वी. टी. का संदर्भ देता है।

लिमिटेड। वी. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग [आर. एफ. नरीमन, जे.]

सामग्री और कॉपीराइट अधिनियम को पूरी तरह से एक विचार के बाद बनाया गया था। उन्होंने केबल टीवी अधिनियम पर भी भरोसा किया और कहा कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह वही नियामक था, अर्थात् ट्राई, जिसे प्रसारक से एमएसओ, एमएसओ से केबल टीवी ऑपरेटर और केबल टीवी ऑपरेटर से उपभोक्ता तक एक ही संकेत को विनियमित करना था। यह पता लगाना बेहद विसंगतिपूर्ण होगा कि केबल टीवी ऑपरेटर के बाद से वर्तमान मामले में ट्राई द्वारा बनाए गए नियम पारित हो जाएंगे, लेकिन प्रसारक के स्तर से लेकर एमएसओ और एमएसओ से लेकर केबल टीवी ऑपरेटर तक नहीं। वह. यह स्पष्ट किया कि खेल अधिनियम वर्तमान में लागू नहीं होगा

मामला क्योंकि यह प्रसारकों द्वारा कुछ खेल आयोजनों के अनिवार्य प्रसारण से संबंधित था, यही कारण था कि उक्त अधिनियम में सामग्री का उल्लेख किया गया था। उन्होंने दोहराया कि किसी भी स्तर पर ट्राई जो प्रसारित किया जाता है उसकी सामग्री को या वास्तव में विनियमित करने की कोशिश नहीं करता है ताकि इस मामले को तय करने के उद्देश्य से इस अधिनियम का कोई भी संदर्भ पूरी तरह से अप्रासंगिक हो। उन्होंने अपने समर्थन के लिए टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 3 एए और 4 पर भी दृढ़ता से भरोसा किया।

प्रस्तुत करना। उनके अनुसार, चूंकि कॉपीराइट अधिनियम एक में काम करता है

टी. आर. ए. आई. अधिनियम से अलग और अलग क्षेत्र, समान रूप से कॉपीराइट अधिनियम की लाल हेरिंग की टी. आर. ए. आई. अधिनियम के तहत कार्य करने वाली टी. आर. ए. आई. की शक्तियों और कार्यों के लिए कोई वास्तविक प्रासंगिकता नहीं होगी। उन्होंने कुछ फैसलों का भी हवाला दिया जिनका उल्लेख इस फैसले में बाद में किया जाएगा।

8. ट्राई की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास सिंह ने ट्राई अधिनियम की धारा 2 (1) (के) का उल्लेख किया ताकि यह समझाया जा सके कि मुख्य प्रावधान और परंतुक को स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सुझाए गए तरीके से सुसंगत बनाया जाना चाहिए। लिमिटेड वी. टी. आर. ए. आई., (2018) 146 डी. एल. टी. 455, और इतना सामंजस्यपूर्ण, यह स्पष्ट है कि मुख्य प्रावधान में केवल प्रसारण सेवाओं को शामिल नहीं किया गया था।

समय रहते हैं। 2000 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए परंतुक ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रसारण सेवाओं को भी शामिल करने का समय आ गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि वर्तमान मामले में अपीलकर्ता पूरे समय विरोधाभासी रुख अपना रहे थे। इस तरह के रुख के एक उदाहरण के रूप में, उन्होंने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के दिनांक 1 के एक आदेश का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने अपीलार्थियों के रुख का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रतिस्पर्धा आयोग के पास मूल्य निर्धारण और टीवी चैनलों की पेशकश के तरीके पर गौर करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, जो क्षेत्रीय नियामक ट्राई के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसलिए यह एक अधिकृत क्षेत्र है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कैसे एनालॉग प्रणाली ने बड़े पैमाने पर लीकेज का कारण बना, जिससे राजस्व कम हुआ और कैसे डिजिटलीकरण की दिशा में आंदोलन ने प्रसारकों को उनके राजस्व में एक बड़ा बढ़ावा दिया। उन्होंने सभी हितधारकों और उपभोक्ताओं के बीच हुए परामर्श का भी उल्लेख किया जो [2018] 14 एस. सी. आर.

यह विवादित विनियमन तक ले गया, जो एक विनियमन था जो प्रसारकों और उपभोक्ताओं के हितों को संतुलित करता था।

9. मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. वी. विश्वनाथन ने इस पर पूरी तरह से भरोसा जताया

आक्षेपित विनियम के विनियम 3 (1) और 3 (2), जिन्हें उनके अनुसार, अपीलार्थियों द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। इन नियमों से यह स्पष्ट होता है कि प्रसारकों को गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर टीवी चैनलों की पेशकश करनी होगी। एकमात्र कारण है कि मूल्य निर्धारण में उल्लेख किया गया है

विवादित विनियमन विनियमन 3 (2) को पूरा करने के लिए है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए है कि दिया गया प्रस्ताव गैर-भेदभावपूर्ण है और इसलिए, विनियमन और समग्र रूप से पढ़ा गया शुल्क आदेश, वास्तव में, सामग्री को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि संकेतों के परिवहन के लिए नियम होंगे। उन्होंने उन फैसलों पर भरोसा किया जिनमें कहा गया था कि ट्राई की नियामक शक्तियां बेहद व्यापक हैं। उन्होंने कॉपीराइट अधिनियम के कई प्रावधानों पर भी भरोसा किया, जिनमें शामिल हैं -

धारा 52 (1) (बी), जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अपीलार्थियों के तर्कों को सही मानते हुए कॉपीराइट का कोई उल्लंघन नहीं होगा,

जब विशुद्ध रूप से इलेक्ट्रॉनिक संचरण या जनता के लिए संचार की तकनीकी प्रक्रिया में किसी कार्य या प्रदर्शन का क्षणिक या आनुषंगिक भंडारण होता है। 10. श्री श्याम दीवान, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, डायरेक्ट-टू-होम कंपनियों की ओर से पेश हुए। उन्होंने विभिन्न का उल्लेख किया और उन पर भरोसा किया

कॉपीराइट अधिनियम के प्रावधान, विशेष रूप से, इसकी धारा 37, यह स्पष्ट करते हुए कि निर्दिष्ट प्रसारण पुनरुत्पादन अधिकार का जन्म प्रसारण के बाद ही होता है जो प्रसारक से एमएसओ के माध्यम से केबल ऑपरेटर को उपभोक्ता और/या डीटीएच सेवा प्रदाता के माध्यम से उपभोक्ता को दिया जाता है। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि यह अधिकार केवल तभी आता है जब मूल प्रसारण के बाद पुनः प्रसारण या बाद में दूसरा प्रसारण होता है, जो वर्तमान मामले में विनियमन या शुल्क आदेश के दायरे में नहीं आता है।

11. कुछ उपभोक्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णन वेणुगोपाल ने उपभोक्ता मामलों की स्थायी समिति को निर्देश दिया।

संसद, जिसमें यह बताया गया था कि 2012 के बाद से चरणों में पुरानी एनालॉग प्रणाली से स्विच करके केबल टीवी सेवाओं के डिजिटलीकरण ने प्रसारकों के राजस्व में बहुत वृद्धि की है और कहा है कि इन लाभों को संभवतः प्रसारकों द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, स्वयं प्रसारकों को पूरे समय विनियमित किया गया है और वर्तमान विनियमन और शुल्क आदेश को काफी हद तक उनकी सहमति से बनाए जाने के बाद ही वे अधिकार क्षेत्र से संबंधित सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने ट्राई अधिनियम के तहत ट्राई की पहुंच पर कुछ निर्णयों का भी हवाला दिया।

स्टार इंडिया पीवीटी। लिमिटेड। वी. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग [आर. एफ. नरीमन, जे.]

12. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, पहले टी. आर. ए. आई. अधिनियम से निपटना महत्वपूर्ण है। सचिव, सूचना मंत्रालय

& प्रसारण, सरकार। भारत और ओआरएस। वी. क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल, (1995) 2 एस. सी. सी. 161, इस न्यायालय ने सार्वजनिक संपत्ति होने के नाते वायु तरंगों को विनियमित करने के लिए एक व्यापक अधिनियम बनाने की तत्काल आवश्यकता का उल्लेख किया। जनहित ने मांग की कि सेवा प्रदाताओं को विनियमित किया जाए और आवृत्तियों के माध्यम से वायु तरंगों के उपयोग को विनियमित किया जाए। इस प्रकार भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 में महसूस की गई अपर्याप्तताओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को एक व्यापक अधिनियम तैयार करने का निर्देश जारी किया गया था। इस न्यायालय ने कहाः

एजेंसियां। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने श्रव्य-दृश्य प्रभाव और समाज के उस वर्ग को कवर करने के लिए, जहां प्रिंट मीडिया नहीं पहुंचता है, दोनों के कारण सबसे शक्तिशाली मीडिया है। इसलिए प्रसारण तरंगों और कार्यक्रमों की सामग्री का उपयोग करने के अधिकार को संतुलित करने के लिए विनियमन की आवश्यकता है और साथ ही साथ प्रसारित सूचनाओं और विचारों के एकाधिकार को रोकने की आवश्यकता है, जो एक केंद्रीय एजेंसी या कुछ निजी समृद्ध प्रसारकों के हाथों में प्रसारण/प्रसारण के अधिकार के केंद्रीकरण से बहने वाला एक संभावित खतरा है। यही कारण है कि समाज के सभी वर्गों के लिए एक केंद्रीय एजेंसी प्रतिनिधि की आवश्यकता है जो सरकार और समाज के प्रमुख प्रभावशाली वर्गों दोनों के नियंत्रण से मुक्त हो। XXX XXX XXX

120. ..... इसलिए प्रत्येक नागरिक को सर्वोत्तम साधनों का उपयोग करने का अधिकार है।

उद्देश्य के लिए उपलब्ध। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अर्थात। , टी. वी. और रेडियो, संचार का सबसे प्रभावी साधन है। .....

XXX XXX XXX

122. इसलिए हम निम्नलिखित मानते हैंः

[ i] वायु तरंगें या आवृत्तियाँ एक सार्वजनिक संपत्ति हैं। उनके

उपयोग को [2018] 14 एस. सी. आर. में एक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जाना है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जनता के हितों और उनके अधिकारों के आक्रमण को रोकने के लिए। चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वायु तरंगों का उपयोग शामिल है, इसलिए यह कारक इसके उपयोग पर एक अंतर्निहित प्रतिबंध बनाता है किसी अन्य सार्वजनिक संपत्ति के मामले में।

[ (ii) सूचना प्रदान करने और प्राप्त करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) द्वारा गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की एक प्रजाति है। एक नागरिक को प्रदान करने के सर्वोत्तम साधनों का उपयोग करने का मौलिक अधिकार है और

जानकारी प्राप्त करना और इस तरह की पहुंच प्राप्त करना

उद्देश्य के लिए प्रसारण। हालाँकि, प्रसारण तक पहुँच के इस अधिकार की सार्वजनिक संपत्ति के उपयोग के कारण सीमाएँ हैं। , अभ्यास में शामिल वायु तरंगें अधिकार का अधिकार और सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपयोग में शामिल सार्वजनिक संपत्ति की प्रकृति द्वारा लगाई गई यह सीमा संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर लगाए गए प्रतिबंधों के अलावा है।

[ iii] केंद्र सरकार तत्काल कदम उठाएगी

एक स्वतंत्र स्वायत्त सार्वजनिक प्राधिकरण की स्थापना

समाज में सभी वर्गों और हितों के प्रतिनिधि

वायु तरंगों के उपयोग को नियंत्रित और विनियमित करना।

[ iv] चूँकि मैचों का प्रसारण उच्च न्यायालय के विवादित आदेश के अनुसार किया गया है, इसलिए निर्णय लेना आवश्यक नहीं है।

उक्त आदेश की शुद्धता।

पर जीवन रेड्डी जे। :

201.1 . ( ख) वायु तरंगें सार्वजनिक संपत्ति हैं और इनका उपयोग सार्वजनिक भलाई के लिए किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद और खुशी पर और लाभ सहित अपनी पसंद के उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग करने का अधिकार नहीं है।

201.1 . ( ग) प्रसारण माध्यम स्वाभाविक रूप से प्रेस से अलग है।

या संचार/सूचना के अन्य साधन। प्रेस की उपमा भ्रामक और अनुचित है। यह भी नज़रिया है

संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई संवैधानिक न्यायालयों द्वारा व्यक्त किया गया।

XXX XXX XXX एआर इंडिया पीवीटी। लिमिटेड। वी. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग [आर. एफ. नरीमन, जे.]

प्रमुख लोकतांत्रिक देशों ने विशेष रूप से कानून बनाए हैं। प्रसारण मीडिया को नियंत्रित करने वाला, इस देश में कानून स्थिर रहा है, जिसकी जड़ें 1885 के टेलीग्राफ अधिनियम में निहित हैं। धारा 4 (1) और टेलीग्राफ की परिभाषा को छोड़कर, अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान की प्रसारण मीडिया के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं दिखाई गई है। अतः यह है कि

यह आवश्यक है कि संसद एक कानून बनाए

सार्वजनिक/वैधानिक निगम या निगमों के हाथों में मीडिया का प्रसारण, जैसा भी मामला हो। यह आवश्यक है कि जनता के हितों और कानून के हितों की रक्षा करने के साथ-साथ अनिश्चितता, भ्रम और परिणामी मुकदमेबाजी से बचने के लिए।

13. तदनुसार, सरकार ने एक राष्ट्रीय दूरसंचार प्रणाली तैयार की

1994 में और फिर एक अध्यादेश जारी करने का निर्णय लिया जिसके कारण ट्राई अधिनियम लागू किया गया। उद्देश्यों और कारणों का विवरण

एस अधिनियम ने जोर दियाः

" 1. राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 के संदर्भ में, जो अन्य बातों के अलावा, दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता को विश्व मानकों पर लाने के लिए सार्वभौमिक सेवा प्राप्त करने पर जोर देती है।

उचित मूल्य पर ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला के प्रावधान, और बुनियादी के साथ-साथ मूल्य वर्धित दूरसंचार सेवाओं के क्षेत्र में भारत में पंजीकृत कंपनियों की भागीदारी के साथ-साथ ग्राहकों की सुरक्षा और प्रचार की व्यवस्था करना।

उपभोक्ता हित और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना, एक भावना है

सरकारी ऑपरेटरों के साथ प्रतिस्पर्धा होगी, दूरसंचार सेवाओं के विनियमन के लिए एक स्वतंत्र दूरसंचार नियामक निकाय की आवश्यकता है ताकि व्यवस्थित और स्वस्थ विकास हो सके। सुरक्षा के अलावा दूरसंचार अवसंरचना

उपभोक्ता हित।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, एक स्वतंत्र संगठन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था।

दूरसंचार नियामक प्राधिकरण एक गैर-वैधानिक निकाय के रूप में और उस उद्देश्य के लिए भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) विधेयक, 1995 पेश किया गया था और फिर 6 अगस्त, 1995 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। राज्य सभा में उपरोक्त विधेयक पर विचार करते समय, राज्य सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं और संचार पर स्थायी समिति के विचारों को ध्यान में रखते हुए, जिसने आशा व्यक्त की थी कि एक सांविधिक प्राधिकरण की स्थापना के लिए कदम उठाए जाएंगे, एक सांविधिक प्राधिकरण के रूप में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

3. प्रस्तावित प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और न्यूनतम दो और अधिकतम चार सदस्य होंगे। एक व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा। सदस्य वह व्यक्ति होगा जिसने भारत सरकार के सचिव या अतिरिक्त सचिव के पद पर या केंद्र सरकार या राज्य सरकार में न्यूनतम तीन साल की अवधि के लिए किसी समकक्ष पद पर कार्य किया हो।

4. प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य, अन्य बातों के साथ-साथ, ये हैं -

( i) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी अनुकूलता और प्रभावी अंतर संबंध सुनिश्चित करना;

( (ii) सेवा प्रदाताओं के बीच व्यवस्था का विनियमन

प्रदान करने से प्राप्त अपने राजस्व को साझा करना

दूरसंचार सेवा;

( (iii) सभी सेवाओं द्वारा लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

प्रदाता;

( (iv) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना।

दूरसंचार सेवाः

( v) सेवा प्रदाताओं के बीच विवादों का निपटान;

( vi) भारत के भीतर और भारत के बाहर दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए दरों का निर्धारण;
( vii) सार्वभौमिक सेवा का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना।

दायित्व।

एआर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग [आर. एफ. नरीमन, जे.]

5. प्राधिकरण के पास एक अंतर्निहित विवाद निपटान होगा

साथ ही गैर की स्थिति में सजा की एक योजना उसके आदेश का पालन।

6. प्राधिकरण को पारदर्शिता बनाए रखनी होगी जबकि

अपनी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करना। शक्तियाँ और कार्य प्राधिकरण को एक भूमिका निभाने में सक्षम बनाएगा

दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक प्रभावी तरीके से निगरानी।

प्राधिकरण को वैधानिक दर्जा देने का प्रस्ताव है।
8. चूंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा था, इसलिए राष्ट्रपति ने

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की घोषणा की गई

उपर्युक्त के लिए 27 जनवरी, 1996 को अध्यादेश, 1996

उद्देश्य।

9. यह विधेयक उक्त अध्यादेश को बदलने का प्रयास करता है।

( जोर दिया गया।)

14. उक्त अधिनियम को 2000 के अधिनियम 2 द्वारा संशोधित किया गया था, जो प्रतिस्थापित किया गया था

ट्राई अधिनियम का उदाहरण इस प्रकार हैः

" दूरसंचार की स्थापना के लिए एक अधिनियम

भारतीय नियामक प्राधिकरण और दूरसंचार विवाद

निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण को विनियमित करने के लिए दूरसंचार सेवाएँ, विवादों का न्यायनिर्णयन, निपटान

अपील करना और सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा करना और

दूरसंचार क्षेत्र के उपभोक्ता, व्यवस्थित रूप से बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए

दूरसंचार क्षेत्र का विकास और संबंधित मामलों के लिए

इसके साथ या उससे आनुषंगिक "

( जोर दिया गया।)

15. 2000 के संशोधन अधिनियम ने परिभाषा में एक प्रावधान जोड़ा

धारा 2 (1) (के) के तहत संचार सेवा,

सरकार अन्य सेवाओं को दूरसंचार के रूप में अधिसूचित करेगी

जिसमें प्रसारण सेवाएँ भी शामिल हैं। के सुसंगत प्रावधान

इसलिए अधिनियम नीचे दिए गए हैं:

( ङ) "अनुज्ञप्तिधारी" से निर्दिष्ट सार्वजनिक दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है; ( (ङ) "अनुज्ञप्तिदाता" से केंद्र सरकार या टेलीग्राफ प्राधिकरण अभिप्रेत है जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 4 के तहत अनुज्ञप्ति प्रदान करता है;

XXX XXX XXX

( जे) "सेवा प्रदाता" से एक सेवा प्रदाता के रूप में सरकार अभिप्रेत है और इसमें एक लाइसेंसधारी भी शामिल है;

( के) "दूरसंचार सेवा" का अर्थ है किसी भी विवरण की सेवा (इलेक्ट्रॉनिक मेल, वॉयस मेल, डेटा सेवाओं, ऑडियो कर सेवाओं, वीडियो कर सेवाओं, रेडियो पेजिंग और सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं सहित) जो उपयोगकर्ताओं को तार, रेडियो, दृश्य या अन्य विद्युत चुम्बकीय साधनों द्वारा किसी भी प्रकार के संकेतों, संकेतों, लेखन, छवियों और ध्वनियों या बुद्धिमत्ता के प्रसारण या ग्रहण के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन इसमें प्रसारण सेवाएं शामिल नहीं होंगी।

बशर्ते कि केंद्र सरकार प्रसारण सेवाओं सहित अन्य सेवाओं को दूरसंचार सेवा के रूप में अधिसूचित कर सकती है।

XXX XXX XXX

11. प्राधिकरण के कार्य। - ( 1 ) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, प्राधिकरण के कार्य होंगे -

( क) निम्नलिखित मामलों पर या तो स्वतः या लाइसेंसकर्ता के अनुरोध पर सिफारिशें करें, अर्थात्:

( i) नए सेवा प्रदाता की शुरुआत की आवश्यकता और समय;

( (ii) सेवा प्रदाता को लाइसेंस के नियम और शर्तें;
( (ग) शर्तों का पालन न करने के लिए लाइसेंस रद्द करना और

लाइसेंस की शर्तें;

( (iv) प्रतिस्पर्धा को सुविधाजनक बनाने और दक्षता को बढ़ावा देने के उपाय

दूरसंचार सेवाओं के संचालन में ताकि

ऐसी सेवाओं में विकास की सुविधा प्रदान करना; भारत पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. औद्योगिक तेल और संवर्धन विभाग [आर. एफ. नरीमन, जे.]

( v) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में तकनीकी सुधार

सेवा प्रदाता; ( vi) सेवा प्रदाताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का प्रकार

नेटवर्क में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के निरीक्षण के बाद;

( vii) दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास के लिए उपाय और इससे संबंधित कोई अन्य मामला

सामान्य रूप से दूरसंचार उद्योग;

( viii) उपलब्ध स्पेक्ट्रम का कुशल प्रबंधन;

निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करना, अर्थात्:

( (i) अनुज्ञप्ति के नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना; ( भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारंभ से पहले दिए गए लाइसेंस के नियमों और शर्तों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, सेवा प्रदाताओं के बीच अंतर-संपर्क के नियम और शर्तें तय करें;

( iii) तकनीकी अनुकूलता और प्रभावी अंतर सुनिश्चित करना।

विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच संबंध;

( (iv) सेवा प्रदाताओं के बीच व्यवस्था को विनियमित करना।

प्रदान करने से प्राप्त अपने राजस्व को साझा करना

दूरसंचार सेवाएँ;

( v) सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानकों को निर्धारित करना और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवा का आवधिक सर्वेक्षण करना ताकि दूरसंचार सेवा के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके।

विभिन्न सेवा प्रदाता; ( vii) अंतर-संपर्क समझौतों और ऐसे सभी अन्य मामलों के रजिस्टर को बनाए रखना जो विनियमों में प्रदान किए जा सकते हैं;

( viii) खंड (vii) के तहत बनाए गए रजिस्टर को ऐसे शुल्क के भुगतान और ऐसी अन्य आवश्यकता के अनुपालन पर जनता के किसी भी सदस्य के निरीक्षण के लिए खुला रखें जो विनियमों में प्रदान किया जा सकता है; [2018] 14 एस. सी. आर.

( ix) सार्वभौमिक सेवा का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना।

दायित्व;

( ग) ऐसी दरों पर और ऐसी सेवाओं के संबंध में शुल्क और अन्य शुल्क लगाता है जो विनियमों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं;

( घ) ऐसे प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों सहित ऐसे अन्य कार्यों का पालन करना जो केंद्र सरकार द्वारा उसे सौंपे गए हों या प्रावधानों को पूरा करने के लिए आवश्यक हों। इस अधिनियम के बारे में:

बशर्ते कि इस उप-धारा के खंड (ए) में निर्दिष्ट प्राधिकरण की सिफारिशें केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होंगी:

बशर्ते कि प्राधिकरण केंद्र से अनुरोध कर सकता है सरकार ऐसी जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करेगी जो उप-प्रावधानों के तहत सिफारिशें करने के उद्देश्य से आवश्यक हो।

इस उप-धारा के खंड (ए) के खंड (i) और (ii) और वह सरकार ऐसे अनुरोध की प्राप्ति से सात दिनों की अवधि के भीतर ऐसी जानकारी प्रदान करेगी:

बशर्ते कि केंद्र सरकार किसी सेवा प्रदाता को लाइसेंस जारी कर सकती है यदि दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट अवधि के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर प्राधिकरण से कोई सिफारिश प्राप्त नहीं होती है जिस पर केंद्र सरकार और प्राधिकरण के बीच पारस्परिक रूप से सहमति हो सकती है: बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार, प्राधिकरण की उस सिफारिश पर विचार करने के बाद, एक प्राथमिक स्थिति में आती है

यह निष्कर्ष कि ऐसी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया जा सकता है या इसमें संशोधन की आवश्यकता है, यह सिफारिश को अपने पुनर्विचार के लिए प्राधिकरण को वापस भेजेगा, और प्राधिकरण, इस तरह के संदर्भ की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, ए. आर. इंडिया पी. वी. टी. पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार को अपनी सिफारिश भेज सकता है।

लिमिटेड। वी. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग [आर. एफ. नरीमन, जे.]

उस सरकार द्वारा दिया गया संदर्भ। आगे की सिफारिशें, यदि कोई हों, प्राप्त होने के बाद केंद्र सरकार अंतिम निर्णय लेगी।

और जहां उपरोक्त के अनुसार अलग-अलग दरें निर्धारित की गई हैं, प्राधिकरण उसके कारणों को दर्ज करेगा। ( 3 ) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत अपने कार्यों का निर्वहन करते समय प्राधिकरण भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हित के खिलाफ कार्य नहीं करेगा।

( 4 ) प्राधिकरण अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।

XXX XXX XXX

36. विनियम बनाने की शक्ति। - ( 1 ) प्राधिकरण, द्वारा अधिसूचना, इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप विनियम बनाएँ।

( 2 ) विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्: — ( क) प्राधिकरण की बैठकों के समय और स्थान और धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत ऐसी बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें व्यवसाय के लेन-देन के लिए आवश्यक गणपूर्ति भी शामिल है;

( ख) धारा 8 की उप-धारा (4) के तहत प्राधिकरण की बैठकों में व्यवसाय का लेन-देन;

( घ) वे मामले जिनके संबंध में प्राधिकरण द्वारा धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (vii) के तहत रजिस्टर का रखरखाव किया जाना है; ( ङ) शुल्क का उद्ग्रहण और ऐसी अन्य आवश्यकताएं निर्धारित करना जिनकी पूर्ति पर उपखंड के तहत रजिस्टर की एक प्रति प्राप्त की जा सकती है।

( धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (बी) का (viii);

( च) धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के तहत शुल्क और अन्य शुल्कों का उद्ग्रहण।

16. धारा 2 (1) (के) के प्रावधान को दिल्ली न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम में चुनौती दी थी। ट्राई और ओआरएस। , ( ऊपर.)। आईडी फैसले से एक एसएलपी को भी खारिज कर दिया गया था। धारा 2 (1) (के) के तहत कार्रवाई करते हुए, सरकार ने 9.1.2004 पर दो अधिसूचनाएं जारी कीं। S.O.44 (E)

इस प्रकार हैः

" एस. ओ. 44 (ई)। - भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (के) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा प्रसारण सेवाओं और केबल सेवाओं को दूरसंचार सेवा के रूप में अधिसूचित करती है।

[ संचार और संचार मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 39

सूचना प्रौद्योगिकी दिनांक 9 जनवरी 2004। एस. ओ. नं.

44 ( ई) ट्राई द्वारा जारी किया गया, एफ. नं. 13-1/2004] "

15 ( ई) निम्नलिखित रूप में पढ़ता हैः

" S.O.45 (E)। - भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 के उपखंड (1) के खंड (डी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (जिसे इसके बाद -

अधिनियम), केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित कार्य सौंपती हैः

( 1 ) अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ए) में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सिफारिश करना। के बारे में -

( ए) नियम और शर्तें जिन पर संबोधित किया जा सकता है

ग्राहकों को 'सिस्टम' प्रदान किए जाएंगे।

एआर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग [आर. एफ. नरीमन, जे.]

स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों के लिए, 'संबोधित करने योग्य' 'प्रणाली' अपने व्याकरणिक भिन्नता के साथ, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को एक एकीकृत प्रणाली में रखा जाता है जिसके माध्यम से केबल टेलीविजन नेटवर्क के संकेतों को एन्क्रिप्टेड या बिना एन्क्रिप्टेड रूप में भेजा जा सकता है, जिसे द्वारा डिकोड किया जा सकता है

अभिदाता के परिसर में उपकरण या उपकरण

इस तरह के चयन और अनुरोध पर प्राधिकरण की सीमाएँ

ग्राहक को, उस उद्देश्य के लिए केबल ऑपरेटर द्वारा।

( ख) अधिकतम समय को विनियमित करने के लिए मापदंड

भुगतान चैनलों के साथ-साथ अन्य चैनलों में विज्ञापन।

( 2 ) अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अंतरिम उपायों सहित वेतन चैनलों की दरों के संशोधन के लिए मानक मानदंडों और उनकी आवधिकता को भी निर्दिष्ट करना।

[ संचार और संचार मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 39

सूचना प्रौद्योगिकी, दिनांक 9 जनवरी 2004, एस. ओ. नं.

45 ( ई) ट्राई द्वारा जारी, एफ. नं. 13-1/2004] "

17. हम विवादित विनियमन से चिंतित हैं जो था

अधिनियम की धारा 36 के तहत 3.3.2017 पर उसी तारीख को किए गए टैरिफ आर के साथ लिखा गया। जिन नियमों से हम संबंधित हैं, वे नीचे दिए गए हैं:

" 3. प्रसारकों के सामान्य दायित्व। — ( 1 ) कोई प्रसारक नहीं

किसी भी अभ्यास या गतिविधि में संलग्न होगा या किसी में प्रवेश करेगा

विशेष अनुबंधों सहित समझ या व्यवस्था

टेलीविजन चैनलों का कोई भी वितरक जो किसी अन्य चैनल को प्रतिबंधित करता है। टेलीविजन चैनलों के वितरकों को टेलीविजन के संकेत प्राप्त करने से

वितरण के लिए ऐसे प्रसारक का चैनल। ( 2 ) प्रत्येक प्रसारक, संकेत प्राप्त करने के लिए टेलीविजन चैनलों के वितरक से लिखित अनुरोध प्राप्त होने के साठ दिनों के भीतर

टेलीविजन चैनल का या हस्ताक्षर करने के तीस दिनों के भीतर

वितरक के साथ अंतःसंबंध समझौता, जैसा भी मामला हो, गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर, वितरक को टेलीविजन चैनल के संकेत प्रदान करता है या इसके लिए लिखित रूप में कारण बताता है। अनुरोध की अस्वीकृति यदि टेलीविजन चैनल के संकेत हैं

ऐसे वितरक को मना कर दिया गयाः बशर्ते कि द्वारा किसी भी अवधि या शर्त का अधिरोपण

प्रसारक, जो अनुचित है, गठित माना जाएगा

अनुरोध को अस्वीकार करनाः

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बशर्ते कि यह उप-विनियम टेलीविजन चैनलों के वितरक पर लागू नहीं होगा, जो एक के संकेतों का अनुरोध करता है

एक प्रसारक से विशेष टेलीविजन चैनल जबकि एक ही समय में उस टेलीविजन चैनल के वितरण के लिए परिवहन शुल्क की मांग करता है या जो प्रसारक को भुगतान करने में चूक करता है और इस तरह के चूक में बना रहता है। ( 3 ) यदि कोई प्रसारक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, चैनल को इलेक्ट्रॉनिक में किसी भी निर्दिष्ट स्थिति में रखने का प्रस्ताव या शर्त लगाता है।

प्रसारक इसके माध्यम से गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से छूट प्रदान करता है। के अधिकतम खुदरा मूल्य पर इसका संदर्भ इंटरकनेक्ट प्रस्ताव

विनियमन 7 के उप-विनियम (4) में निर्दिष्ट सीमा के भीतर, टेलीविजन चैनलों के वितरकों को इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड में चैनल को किसी निर्दिष्ट स्थान पर रखने या विशेष चैनल संख्या निर्धारित करने के लिए, छूट के ऐसे प्रस्ताव को पूर्व शर्त नहीं माना जाएगा।

व्याख्याः संदेह को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि एक चैनल या गुलदस्ते की सदस्यता प्रतिशत एक वितरक के औसत सक्रिय ग्राहक आधार में से एक विशिष्ट चैनल या गुलदस्ते की सदस्यता लेने वाले ग्राहकों के प्रतिशत को संदर्भित करता है। XXX XXX XXX

6. ला-कार्टे आधार पर चैनलों की अनिवार्य पेशकश। - ( 1 )

प्रत्येक प्रसारक अपने सभी टेलीविजन चैनलों को कार्टे आधार पर टेलीविजन चैनलों के वितरकों को उपलब्ध कराएगाः

बशर्ते कि प्रसारक अपने भुगतान चैनलों की पेशकश भी कर सकता है,

गुलदस्ते के रूप में-ला-कार्टे आधार पर भुगतान चैनलों की पेशकश के अलावाः

एआर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग [आर. एफ. नरीमन, जे.]

बशर्ते कि इस तरह के गुलदस्ते में शामिल नहीं होगा

( क) कोई भी 'फ्री-टू-एयर चैनल'; और

( बी) हाई डेफिनिशन (एचडी) और स्टैंडर्ड डेफिनिशन (एसडी) संस्करण

उसी चैनल से।

7. द्वारा संदर्भ इंटरकनेक्शन प्रस्ताव का प्रकाशन भुगतान चैनलों के लिए प्रसारक। - ( 1 ) प्रत्येक प्रसारक अपनी वेबसाइट पर संदर्भ इंटरकनेक्शन प्रस्ताव प्रकाशित करेगा।

टेलीविजन चैनलों के वितरक को अपने सभी भुगतान चैनलों के संकेत प्रदान करने के लिए प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित नियमों और शुल्क आदेशों के अनुरूप

( क) इन विनियमों के प्रारंभ होने के साठ दिनों के भीतर;

और ( ख) भुगतान चैनल शुरू करने से पहले। और साथ ही, अभिलेख के उद्देश्य से, उसी की एक प्रति प्रस्तुत करें

प्राधिकरण।

( 2 ) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट संदर्भ इंटरकनेक्शन प्रस्ताव में तकनीकी और वाणिज्यिक नियम और शर्तें शामिल होंगी, जिनमें पे चैनल का प्रति माह अधिकतम खुदरा मूल्य, पे चैनलों के गुलदस्ते का प्रति माह अधिकतम खुदरा मूल्य, वितरकों को अधिकतम खुदरा मूल्य पर दी जाने वाली छूट, वितरण शुल्क, 'अधिकतम खुदरा मूल्य के प्रसारक के हिस्से' की गणना का तरीका, वेतन चैनल की शैली और अन्य आवश्यक शर्तें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

बशर्ते कि एक प्रसारक अपने संदर्भ इंटरकनेक्शन प्रस्ताव, टेलीविजन चैनल या भुगतान चैनलों के गुलदस्ते को शामिल कर सकता है

उसकी सहायक कंपनी या होल्डिंग कंपनी या होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी, जिसने अपने नाम पर, अपने टेलीविजन चैनलों के लिए डाउनलिंकिंग की अनुमति प्राप्त की है

केंद्र सरकार, उनके द्वारा लिखित प्राधिकरण के बाद। व्याख्याः इन विनियमों के उद्देश्य के लिए, "सहायक कंपनी" और "धारक कंपनी" की परिभाषा वही होगी जो उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में दी गई है।

( 3 ) प्रत्येक प्रसारक वेतन चैनल या वेतन के गुलदस्ते के अधिकतम खुदरा मूल्य का न्यूनतम बीस प्रतिशत घोषित करेगा।

चैनल, जैसा भी मामला हो, वितरण शुल्क के रूप में:

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बशर्ते कि प्रसारक द्वारा घोषित वितरण शुल्क सभी वितरण प्लेटफार्मों पर समान होगा।

( 4 ) एक प्रसारक को भुगतान चैनल या वेतन के गुलदस्ते के अधिकतम खुदरा मूल्य पर छूट देने की अनुमति होगी। चैनल, टेलीविजन चैनलों के वितरकों के लिए, अधिकतम खुदरा मूल्य के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं

बशर्ते कि उप-विनियम (3) के तहत किसी प्रसारक द्वारा घोषित वितरण शुल्क और इस उप-विनियम के तहत दी जाने वाली छूट की राशि किसी भी मामले में वितरण शुल्क के पैंतीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

भुगतान चैनल का अधिकतम खुदरा मूल्य या भुगतान चैनल का गुलदस्ता, जैसा भी मामला हो, हो सकता हैः बशर्ते कि टेलीविजन चैनलों के वितरकों को छूट की पेशकश, यदि कोई हो, निष्पक्ष, पारदर्शी और उचित आधार पर होगी।

गैर-भेदभावपूर्ण शब्दः

बशर्ते कि छूट के मापदंड मापने योग्य और गणना योग्य हों।

( 5 ) पे चैनल का प्रत्येक प्रसारक अपने संदर्भ इंटरकनेक्शन में टेलीविजन चैनलों के वितरकों से इंटरकनेक्शन प्राप्त करने के लिए अनुरोध प्राप्त करने के लिए नामित व्यक्तियों के नाम, टेलीफोन नंबर और ई-मेल पते का उल्लेख करेगा और

उसकी शिकायतों का निवारण।

( 6 ) संदर्भ इंटरकनेक्शन प्रस्ताव में उल्लिखित नियमों और शर्तों में सभी आवश्यक और पर्याप्त शामिल होंगे।

प्रावधान, जो इसे टेलीविजन चैनलों के वितरण के लिए अन्य पक्ष द्वारा हस्ताक्षर करने पर एक पूर्ण परस्पर संबंध समझौता बनाते हैं।

प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियम और शुल्क आदेश, यह ऐसे प्रसारक को सुनने का अवसर देने के बाद, ऐसे प्रसारक को उक्त संदर्भ को संशोधित करने का निर्देश दे सकता है।

इंटरकनेक्शन प्रस्ताव और ऐसा प्रसारक तदनुसार संदर्भ इंटरकनेक्शन प्रस्ताव में संशोधन करेगा और निर्देश प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर इसे प्रकाशित करेगा।

एआर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग [आर. एफ. नरीमन, जे.]

( 8 ) संदर्भ इंटरकनेक्शन प्रस्ताव में कोई भी संशोधन उसी तरीके से प्रकाशित किया जाएगा जैसा कि इस विनियमन के उप विनियमों (1), (2), (3), (4), (5) और (6) के तहत प्रदान किया गया है।

संशोधित संदर्भ इंटरकनेक्शन प्रस्ताव के अनुसार, इस तरह के विकल्प की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर, या मौजूदा इंटरकनेक्शन समझौते को जारी रखें। XXX XXX XXX

10. टेलीविजन चैनलों के प्रसारक और वितरक के बीच परस्पर संबंध समझौता। — ( 1 ) कोई भी प्रसारक टेलीविजन के वितरक को भुगतान चैनलों के संकेत प्रदान नहीं करेगा।

टेलीविजन चैनलों के ऐसे वितरकों के साथ लिखित परस्पर संबंध समझौता किए बिना चैनल। ( 2 ) टेलीविजन चैनलों का कोई भी वितरक ऐसे प्रसारक के साथ लिखित परस्पर संबंध समझौता किए बिना किसी भी प्रसारक के भुगतान चैनलों का वितरण नहीं करेगा।

( 3 ) टेलीविजन चैनलों के प्रसारक और वितरक के लिए भुगतान चैनलों के वितरण के लिए लिखित परस्पर संबंध समझौता करना अनिवार्य होगा।

11. अंतःसंबंध समझौते का क्षेत्र। — ( 1 ) एक प्रसारक और एक बहु-प्रणाली प्रचालक के बीच हस्ताक्षरित परस्पर संबंध समझौते में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे - टेलीविजन चैनलों के संकेतों के वितरण के उद्देश्य से क्षेत्र का वर्णन करना -

( क) केंद्र द्वारा दिए गए पंजीकरण में उल्लिखित बहु-प्रणाली प्रचालक के संचालन का पंजीकृत क्षेत्र

सरकार; ( ख) उन विशिष्ट क्षेत्रों के नाम जिनके लिए अंतर-संपर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने के समय, शुरू में, टेलीविजन चैनलों के संकेतों के वितरण पर सहमति हुई है; और [2018] 14 एस. सी. आर.

( ग) उन संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के नाम जिनमें इस उप-विनियम के खंड (ख) में निर्दिष्ट ऐसे सहमत क्षेत्र स्थित हैं।

( 2 ) बहु-प्रणाली प्रचालक को तीस दिनों के बाद प्रसारक को लिखित सूचना देकर उप-विनियम (1) के तहत सहमत क्षेत्रों से परे चैनलों को वितरित करने की अनुमति होगी। प्रसारक द्वारा ऐसी लिखित सूचना प्राप्त होने की तारीख से

और उक्त सूचना को मौजूदा परस्पर संबंध समझौते का एक परिशिष्ट माना जाएगाः

बशर्ते कि ऐसे क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं

( क) बहु-प्रणाली प्रचालक के संचालन का पंजीकृत क्षेत्र; और

( ख) वे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिनमें बहु-प्रणाली प्रचालक को संकेत वितरित करने की अनुमति दी गई है।

इंटरकनेक्शन समझौते के तहत टेलीविजन चैनल।

( 3 ) उप-विनियम (2) में निहित कुछ भी लागू नहीं होगा यदि लिखा गया हो।

प्रसारक से कारणों के साथ आपत्तियाँ प्राप्त हुई हैं

उक्त तीस दिनों के नोटिस के दौरान बहु-प्रणाली प्रचालक द्वारा

अवधिः बशर्ते कि प्रसारक द्वारा कोई आपत्ति, जो है

अनुचित, प्रावधान का खंडन माना जाएगा

उपखंड (बी) के तहत सहमत क्षेत्रों से परे संकेतों का

विनियम (1) "।

18. शुल्क आदेश के प्रासंगिक खंड जिनके साथ हम हैं

संबंधित विषय नीचे दिए गए हैंः

" 3. प्रसारकों द्वारा चैनलों की पेशकश का तरीका। — ( 1 )

प्रत्येक प्रसारक अपने सभी चैनलों को ला-ला-कार्टे आधार पर पेश करेगा।

टेलीविजन चैनलों के सभी वितरकों को।

( 2 ) प्रत्येक प्रसारक घोषणा करेगा

( क) इसके प्रत्येक चैनल की प्रकृति या तो 'फ्री-टू-एयर' के रूप में या

' भुगतान करें '; और

( ख) ए-ला-कार्टे पर पेश किए गए अपने प्रत्येक भुगतान चैनल के लिए अभिदाता द्वारा देय प्रति माह अधिकतम खुदरा मूल्य

आधारः

बशर्ते कि भुगतान चैनल का अधिकतम खुदरा मूल्य होगा

'शून्य' से अधिकः

एआर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग [आर. एफ. नरीमन, जे.]

बशर्ते कि एक चैनल का अधिकतम खुदरा मूल्य सभी वितरण प्लेटफार्मों के लिए समान होगा।

( 3 ) एक प्रसारक को गुलदस्ते के रूप में अपने भुगतान चैनलों की पेशकश करने और अभिदाता द्वारा देय ऐसे गुलदस्ते का अधिकतम खुदरा मूल्य प्रति माह घोषित करने की अनुमति होगीः बशर्ते कि भुगतान चैनलों का एक गुलदस्ता बनाते समय, एक प्रसारक को अपने भुगतान चैनलों को संयोजित करने की अनुमति होगी।

सहायक कंपनी या होल्डिंग कंपनी या सहायक कंपनी, जिसने अपने नाम पर अपने टेलीविजन चैनलों के लिए डाउनलिंकिंग की अनुमति केंद्र सरकार से प्राप्त की है।

सरकार, उनके द्वारा लिखित प्राधिकरण के बाद, और घोषणा करती है

उन्नीसवींः बशर्ते कि इस प्रकार का प्रति माह अधिकतम खुदरा मूल्य

भुगतान चैनलों का गुलदस्ता उस गुलदस्ते का हिस्सा बनने वाले ए-ला-कार्टे भुगतान चैनलों के प्रति माह अधिकतम खुदरा मूल्यों के योग के 85 प्रतिशत से कम नहीं होगाः

बशर्ते कि भुगतान चैनलों के ऐसे गुलदस्ते का प्रति माह अधिकतम खुदरा मूल्य सभी वितरण के लिए समान होगा।

प्लेटफार्मः

बशर्ते कि इस तरह के गुलदस्ते में कोई फ्री-टू-एयर चैनल नहीं होगाः बशर्ते कि इस तरह के गुलदस्ते में एक ही चैनल के एचडी और एसडी दोनों प्रकार नहीं होंगे।

व्याख्याः इस आदेश के उद्देश्य के लिए, "सहायक कंपनी" और "होल्डिंग कंपनी" की परिभाषा समान होगी।

जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में उन्हें सौंपा गया है।

( 4 ) एक प्रसारक के लिए अपने ए-ला-कार्टे पे चैनल (ओं) के प्रति माह अधिकतम खुदरा मूल्य (ओं) पर प्रचार योजनाओं की पेशकश करने की अनुमति होगीः

बशर्ते कि ऐसी किसी भी योजना की अवधि एक बार में नब्बे दिनों से अधिक नहीं होगीः

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बशर्ते कि प्रसारक द्वारा ऐसी किसी भी योजना की आवृत्ति एक कैलेंडर वर्ष में दो बार से अधिक न होः

बशर्ते कि ए-ला-कार्टे पे चैनल (ओं) की कीमत

ऐसी किसी भी प्रचार योजना के तहत दी जाने वाली पेशकश को ऐसी प्रचार योजना की अवधि के दौरान अधिकतम खुदरा मूल्य माना जाएगाः

बशर्ते कि प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों और शुल्क आदेशों के प्रावधान ऐसी किसी भी प्रचार योजना के तहत पेश किए गए ला-कार्टे पे चैनल (चैनलों) की कीमत (ओं) पर लागू होंगे।

( 5 ) प्रत्येक प्रसारक, किसी चैनल की प्रकृति में या भुगतान चैनल के अधिकतम खुदरा मूल्य में या भुगतान चैनल के गुलदस्ते के अधिकतम खुदरा मूल्य में या भुगतान चैनल में कोई बदलाव करने से पहले।

भुगतान चैनलों के एक गुलदस्ते की संरचना, जैसा भी मामला हो, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित सभी लागू विनियमों और आदेशों के प्रावधानों का पालन करेगी, जिसमें संदर्भ इंटरकनेक्शन प्रस्ताव के प्रकाशन तक सीमित नहीं है।

4. टेलीविजन चैनलों के वितरकों द्वारा नेटवर्क क्षमता शुल्क और चैनलों की पेशकश के तरीके की घोषणा। - ( 1 ) टेलीविजन चैनलों का प्रत्येक वितरक वितरण नेटवर्क क्षमता का लाभ उठाने के लिए अभिदाता द्वारा देय प्रति माह नेटवर्क क्षमता शुल्क की घोषणा करेगा ताकि इसके संकेत प्राप्त किए जा सकें -

टेलीविजन चैनलः

बशर्ते कि अभिदत्त वितरण नेटवर्क क्षमता के भीतर चैनलों की संख्या की गणना करने के उद्देश्य से एक एच. डी. चैनल को दो एस. डी. चैनलों के बराबर माना जाएगा। ( 2 ) टेलीविजन चैनलों का प्रत्येक वितरक अपने नेटवर्क पर उपलब्ध सभी चैनलों को सभी ग्राहकों को ए. आर. इंडिया पी. वी. टी. के आधार पर उपलब्ध कराएगा।

लिमिटेड। वी. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग [आर. एफ. नरीमन, जे.]

अभिदाता द्वारा देय प्रत्येक भुगतान चैनल का वितरक खुदरा मूल्य प्रति माह घोषित करनाः

बशर्ते कि वितरक खुदरा मूल्य, प्रति माह, अभिदाता द्वारा अभिदान के लिए टेलीविजन चैनलों के वितरक को देय

भुगतान चैनल, किसी भी मामले में, ऐसे भुगतान चैनल के लिए प्रसारकों द्वारा घोषित प्रति माह अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक नहीं होगा।

( 3 ) टेलीविजन चैनलों के प्रत्येक वितरक सभी ग्राहकों को एक प्रसारक द्वारा पेश किए जाने वाले भुगतान चैनलों के प्रत्येक गुलदस्ते की पेशकश करेंगे, और जिनके साथ परस्पर संबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

वह प्रसारक, अपनी संरचना में कोई परिवर्तन किए बिना और अभिदाता द्वारा देय ऐसे गुलदस्ते के लिए वितरक को प्रति माह खुदरा मूल्य घोषित करता हैः

बशर्ते कि वितरक खुदरा मूल्य, प्रति माह, एक द्वारा देय

प्रसारक द्वारा प्रस्तावित भुगतान चैनलों के गुलदस्ते की सदस्यता लेने के लिए टेलीविजन चैनलों के वितरक के लिए अभिदाता

मामला प्रति माह अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक है, जो प्रसारकों द्वारा भुगतान चैनलों के ऐसे गुलदस्ते के लिए घोषित किया गया हैः

बशर्ते कि इस तरह के गुलदस्ते में कोई वेतन नहीं होगा

चैनल जिसके लिए प्रसारक द्वारा घोषित प्रति माह अधिकतम खुदरा मूल्य उन्नीस रुपये से अधिक हैः

बशर्ते कि इस तरह के गुलदस्ते में कोई फ्री-टू-एयर चैनल नहीं होगाः

बशर्ते कि इस तरह के गुलदस्ते में एक ही चैनल के एचडी और एसडी दोनों प्रकार नहीं होंगे।

बशर्ते कि ऐसे गुलदस्ते में कोई भी भुगतान चैनल नहीं होगा जिसके लिए प्रसारक द्वारा घोषित प्रति माह अधिकतम खुदरा मूल्य उन्नीस रुपये से अधिक हैः बशर्ते कि भुगतान चैनलों के ऐसे गुलदस्ते का वितरक खुदरा मूल्य उस गुलदस्ते का हिस्सा बनने वाले भुगतान चैनलों और भुगतान चैनलों के गुलदस्ते के वितरक खुदरा मूल्यों की प्रति माह राशि के 85 प्रतिशत से कम न होः

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बशर्ते कि वितरक टेलीविजन के वितरक द्वारा पेश किए गए भुगतान चैनलों के गुलदस्ते का प्रति माह खुदरा मूल्य

चैनल, किसी भी मामले में, ए-ला-कार्टे पे चैनलों और वेतन के गुलदस्ते के प्रति माह अधिकतम खुदरा मूल्यों के योग से अधिक नहीं होंगे।

प्रसारणकर्ताओं द्वारा घोषित चैनल, उस गुलदस्ते का हिस्सा हैंः बशर्ते कि इस तरह के गुलदस्ते में कोई फ्री-टू-एयर चैनल नहीं होगाः

बशर्ते कि इस तरह के गुलदस्ते में एक ही चैनल के एचडी और एसडी दोनों प्रकार नहीं होंगे। व्याख्याः संदेह को दूर करने के लिए एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि टेलीविजन चैनलों का वितरक इसके तहत गुलदस्ता बनाते हुए

( 5 ) टेलीविजन चैनलों के वितरक के लिए एक या अधिक प्रसारकों के मुक्त प्रसारण चैनलों से बने गुलदस्ते की पेशकश करने की अनुमति होगी। ( 6 ) टेलीविजन चैनलों का कोई भी वितरक कोई भी राशि नहीं लेगा।

नेटवर्क क्षमता शुल्क के अलावा, इसके ग्राहकों से

फ्री-टू-एयर चैनलों या फ्री-टू-एयर चैनलों के गुलदस्ते की सदस्यता लेना।

बशर्ते कि सभी अभिदाताओं के लिए, एक अभिदाता प्रसारणकर्ताओं द्वारा पेश किए जाने वाले किसी भी मुफ्त-से-प्रसारण चैनल, भुगतान चैनल या चैनलों के गुलदस्ते या टेलीविजन चैनलों के वितरकों द्वारा पेश किए जाने वाले चैनलों के गुलदस्ते या एक संयोजन का चयन करने के लिए स्वतंत्र होगा। इसकाः

बशर्ते कि यदि कोई ग्राहक भुगतान चैनलों या गुलदस्ते का विकल्प चुनता है

भुगतान चैनलों में, वह नेटवर्क क्षमता शुल्क के अलावा ऐसे चैनलों और गुलदस्ते के लिए वितरक खुदरा मूल्य (ओं) की राशि के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। ( 8 ) खंड 4 के उपखंड (1) के अधीन, टेलीविजन चैनलों का वितरक एक अवधि के लिए नेटवर्क क्षमता शुल्क में वृद्धि नहीं करेगा।

ऐसी अधिसूचना की तारीख से छह महीने की अवधिः बशर्ते कि ए. आर. इंडिया पी. वी. टी. में कोई बदलाव करने से पहले टेलीविजन चैनलों का वितरक हो।

लिमिटेड। वी. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग [आर. एफ. नरीमन, जे.]

नेटवर्क क्षमता शुल्क, निर्धारित समय से कम से कम तीस दिन पहले

परिवर्तन करें

( क) प्राधिकरण को सूचित करें; और

( ख) चैनल पर स्क्रॉल चलाकर ग्राहकों को सूचित करें।

19. सुंदर के निर्णय में, जे। , डिवीजन बेंच में

उच्च न्यायालय के रूप में, एक उपयोगी तालिका निर्धारित की गई है जिसमें न केवल कहा गया है कि

जिन्हें चुनौती दी गई है, लेकिन विशिष्ट आधार जिन पर चुनौती दी गई है। हम, इसलिए, इस तालिका को अपने में पुनः प्रस्तुत करते हैंकुछ नहीं है:

" इंटरकनेक्शन रेगुलेशन के प्रावधान जो विनियमित करते हैं सामग्री

$ 1 .

प्रावधान

मैदान

नहीं।

6 ( 1 ) सभी चैनल (भुगतान करें)

1 .

प्रसारकों पर प्रभाव

एक टीवी चैनल को पैकेज करने की क्षमता।

चैनल और फ्री टू एयर

प्रसारकों पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है।

चैनल) पर पेश किया जाना है

कॉपीराइट अधिनियम के तहत।

ए-ला-कार्टे आधार।

6 (1) का दूसरा परंतुक

2 .

अड़चनें

प्रसारक का

उस पर

- भुगतान चैनलों का गुलदस्ता एक टीवी चैनल को पैकेज करने की क्षमता। फ्री-टू-एयर नहीं होगा। प्रसारक पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

चैनल।

कॉपीराइट अधिनियम के तहत।

एचडी और एसडी संस्करण

एक ही चैनल में नहीं हो सकता एक ही गुलदस्ता।

प्रावधान 7 (2)-बंडलिंग

प्रसारकों पर प्रभाव

3 .

एक टीवी चैनल को पैकेज करने की क्षमता।

तीसरे पक्ष के चैनल

प्रसारकों पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है।

प्रतिबंधित है।

कॉपीराइट अधिनियम के तहत।

4 .

7 ( 4 ) - प्रसारक पेशकश कर सकता है

एक के मूल्य निर्धारण को सीधे नियंत्रित करता है

टीवी चैनल, इस प्रकार भी

वितरक को छूट नहीं

व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण को विनियमित करना

एम. आर. पी. के 15 प्रतिशत से अधिक।

कार्यक्रम।

5 .

एक के मूल्य निर्धारण को सीधे नियंत्रित करता है

7 (4) का पहला परंतुक-राशि 7 (4) के तहत छूट और

टी. वी. चैनल, इस प्रकार भी 7 (3) के तहत वितरण शुल्क

व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण को विनियमित करना 35 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा

कार्यक्रम। एमआरपी.

6 .

10 ( 3 ) आर/डब्ल्यू 6 (1)-अनिवार्य

उस पर असर डालता है

प्रसारक का समझौता करने के लिए

अन्य माध्यमों को भुगतान करने की स्वतंत्रता केवल गुलदस्ते के एक हिस्से के रूप में और नहीं

डी. पी. ओ. के साथ ए-ला-कार्टे पर

ए-ला-कार्टे के रूप में। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है।

भुगतान चैनलों के लिए आधार।

कॉपीराइट के तहत प्रसारक पर

एक्ट करें।

7 .

11 ( 2 ) माना गया विस्तार

सीधे तौर पर प्रभावित करता है

19 (2) के तहत प्रसारक का अधिकार

भौगोलिक क्षेत्र।

भौगोलिक रूप से निर्दिष्ट करें

शोषण का क्षेत्र।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

टैरिफ आदेश के प्रावधान जो सामग्री को नियंत्रित करते हैं

मैदान

$ 1 .

प्रावधान

नहीं।

1 .

3 ( 1 ) सभी चैनल होंगे

प्रसारकों पर प्रभाव

एक टीवी चैनल को पैकेज करने की क्षमता।

ए-ला-कार्टे आधार पर पेश किया गया

ऐसी कोई पाबंदी नहीं है।

पर

कॉपीराइट के तहत प्रसारक।

एक्ट करें।

2 .

3 ( 2 ) ( ख)-की घोषणा

प्रसारकों पर प्रभाव

ए-ला-कार्टे चैनल की एमआरपी

भुगतान चैनलों की पेशकश करने की

स्वतंत्रता

केवल गुलदस्ते के एक हिस्से के रूप में और

नहीं

ए-ला-कार्टे के रूप में। ऐसी कोई पाबंदी नहीं

है।

कॉपीराइट के तहत प्रसारक पर

एक्ट करें।

3 (2) (बी) का दूसरा परंतुक -

3 .

धारा 33 ए के तहत

कॉपीराइट नियमों के नियम 56,

सभी भुगतान चैनलों की एमआरपी एक समान रहें

2013 , प्रसारक को अधिकार है कि

पार

वितरण मंच।

तय करें

अलग एम. आर. पी.

दर्शकों की विभिन्न श्रेणियाँ।

4 .

3 (3) का पहला परंतुक

इम्पिंग्स। प्रसारक के बारे में

एक टीवी चैनल को पैकेज करने की क्षमता।

तीसरे पक्ष का संयोजन चैनल प्रतिबंधित हैं।

उदाहरण के लिए, तीसरा

पार्टी

चैनल इसका हिस्सा नहीं हो सकते हैं

एक ही गुलदस्ता। ऐसा नहीं है।

प्रसारक पर प्रतिबंध

प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम।

5 .

3 (3) का दूसरा परंतुक

सीधे मूल्य निर्धारण को नियंत्रित करता है

पे चैनल की एमआरपी

एक टीवी चैनल, वहाँ भी

गुलदस्ता रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए

व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण को विनियमित करना

19 /

कार्यक्रम।

3 (3) का तीसरा परंतुक

6 .

सीधे मूल्य निर्धारण को नियंत्रित करता है

गुलदस्ते की कीमत नहीं होगी

एक टीवी चैनल, वहाँ भी

व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण को विनियमित करना

85 प्रतिशत से कम

कीमतें

में से

ए-ला-कार्टे

कार्यक्रम।

अलग-अलग चैनल गुलदस्ता।

3 (3) का चौथा परंतुक

कॉपीराइट के नियम 56 के तहत

7 .

सभी गुलदस्ते की एमआरपी

नियम, 2013, प्रसारक के पास है

वितरण में एक समान

अलग से एम. आर. पी. तय करने का

अधिकार

प्लेटफार्म।

दर्शकों की विभिन्न श्रेणियाँ।

8 .

3 (3) का पाँचवाँ परंतुक

प्रसारकों पर प्रभाव

भुगतान चैनलों का गुलदस्ता

एक टीवी चैनल को पैकेज करने की क्षमता।

ऐसी कोई पाबंदी नहीं है।

फ्री-टू-एयर नहीं होगा

पर

कॉपीराइट के तहत प्रसारक।

चैनल।

एक्ट करें।

9 .

3 (3) एच. डी. के लिए छठा प्रावधान

प्रसारकों पर प्रभाव

एक टीवी चैनल को पैकेज करने की क्षमता।

और सैम ई का एसडी संस्करण

चैनल सैम ई में नहीं हो सकता है

ऐसी कोई पाबंदी नहीं है।

पर

कॉपीराइट के तहत प्रसारक

गुलदस्ता।

एक्ट करें।

10 .

इन सभी प्रतिबंधों पर प्रतिबंध लागू होता है।

3 ( 4 )

गुलदस्ते, प्रसारकों का प्रचार

क्षमता

को

समय ई, व्यावसायिक रूप से मुद्रीकरण करें

प्रतिबंध

उसका

पर

आवृत्ति पर प्रतिबंध।

सामग्री।

अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है

11. 4 ( 2 ) पेशकश करने के लिए वितरक

उसकी पेशकश करने का प्रसारक का अधिकार

ए-ला-कार्टे पर सभी चैनल

केवल ग्राहकों के लिए चैनल

आधार।

एक गुलदस्ता और एक-ला-कार्टे के रूप में

नहीं। एआर इंडिया पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग [आर. एफ. नरीमन, जे.]

20. चूंकि उक्त अधिनियम की धारा 36 के तहत बनाया गया विनियमन है

चुनौती, पहले इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि एक प्रतिबंधात्मक अर्थ नहीं हो सकता है

"विनियमन" या "विनियमन" शब्दों के लिए, अन्यथा बहुत

अधिनियम का उल्लंघन किया जाएगा। दीपक थिएटर बनाम। की स्थिति

अब, 1992 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 684, एक मामला जो पंजाब से संबंधित है।

मास (विनियमन) अधिनियम, 1952 और नियम, इस न्यायालय ने उक्त अधिनियम के तहत अनुज्ञप्ति और विनियमन निम्नानुसार हैः

" 5. चलचित्र देखना एक मनोरंजन बन गया है

हर व्यक्ति; थके हुए और थके हुए लोगों के लिए एक राहत देने वाला;

सुख की खोज करने वाला; शिक्षा और ज्ञान का प्रवर्तक

समाचारों और वर्तमान घटनाओं को जीवंत करना; वैज्ञानिक प्रसारक

लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उपकरण बनें और के निर्देशों के अनुसार प्रभावी रूप से एक सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करें

संविधान के अनुच्छेद 38 के तहत राज्य नीति का आदेश दिया गया है। मास

इस प्रकार चलचित्र के माध्यम से मीडिया इसका वाहन बन गया है। सांस्कृतिक विरासत, ज्ञान आदि का प्रसार करना। द.

समय के साथ इस बढ़ती अनिवार्यता को प्रकट किया गया और

समाज को अपनी भुगतान क्षमता के अनुसार रंगमंच में प्रवेश लेना चाहिए। हालांकि प्रवेश की दरें तय करने का अधिकार एक व्यावसायिक घटना है,

अपीलार्थी ने उसमें आम जनता में रुचि पैदा की है,

राज्य के लिए कदम उठाना और विनियमित करना आवश्यक हो गया है

विभिन्न राज्यों में प्रवेश की अधिकतम दरें निर्धारित करने की गतिविधि

आगे बढ़ने में एक वैध सहायक या आनुषंगिक शक्ति बन गई अधिनियम के तहत विनियमन। प्रवेश और प्रवेश

रंगमंच सिनेमा देखने वाली जनता के लिए एक सुविधा और सहवर्ती अधिकार है।

सीटों का वर्गीकरण और प्रवेश की दरों का निर्धारण

विनियमन। प्रवेश की दरें तय करने की शक्ति में शामिल हैं - और संशोधन करें। क़ानून निहित है

राज्य द्वारा नियंत्रण के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकरण में वह शक्ति

सरकार। इस प्रकार प्रवेश की दरों का निर्धारण किया गया है

शक्ति और विनियमन का एक अभिन्न और आवश्यक हिस्सा बनें

समय-समय पर दरों में संशोधन

सिनेमेटोग्राफ की प्रदर्शनी "।

( जोर दिया गया।)

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21. बीएसएनएल बनाम। ट्राई, (2014) 3 एस. सी. सी. 222, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 80. 2000 के संशोधन के बाद, ट्राई या तो स्वतः संज्ञान ले सकता है या लाइसेंसकर्ता के अनुरोध पर इस पर सिफारिश कर सकता है -

धारा 11 (1) (ए) (आई) से (viii) में सूचीबद्ध विषय। धारा 11 (1) (बी) के तहत, ट्राई को इसके उपखंड (i) से (ix) में गिने गए नौ कार्यों को पूरा करना आवश्यक है। इन खंडों में "सुनिश्चित करें", "ठीक करें", "विनियमित करें" और "निर्धारित करें" जैसे विभिन्न शब्दों का उपयोग किया गया है। "सुनिश्चित करें" शब्द के उपयोग का तात्पर्य है कि ट्राई विशेष विषय पर निर्देश जारी कर सकता है। धारा 11 (1) (बी) के विभिन्न खंडों के तहत कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए, ट्राई उचित रूपरेखा तैयार कर सकता है।

XXX XXX XXX 83. के. रामनाथन बनाम। राज्य टी. एन. [के. रामनाथन बनाम। टी. एन. राज्य, (1985) 2 एस. सी. सी. 116: 1985 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 162], इस न्यायालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 (2) (डी) में दिखाई देने वाले "विनियमन" शब्द की व्याख्या की और कहाः ( एससीसी पीपी। 130 31 , पैरा 18-20)

" 18. 'विनियमन' शब्द का कोई कठोर या अपरिवर्तनीय अर्थ नहीं हो सकता है जो 'निषेध' को बाहर करता है। 'रेगुलेट' शब्द कठिन है। किसी भी सटीक अर्थ के रूप में परिभाषित करने के लिए। यह व्यापक महत्व का शब्द है, जिसका व्यापक अर्थ है और इसका दायरा बहुत व्यापक है। इसके अर्थ और तथ्यों की एक विशेष स्थिति पर इसके अनुप्रयोग के बारे में राय की विविधता है, कुछ अदालतें इस शब्द को कुछ हद तक प्रतिबंधित देती हैं, और अन्य इसे एक उदार, निर्माण देते हैं। अर्थ के विभिन्न रंगों को कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम, खंड में सामने लाया गया है। 76 पी पर। 611 :

" "विनियमन" को विभिन्न रूप से समायोजित करने के अर्थ के रूप में परिभाषित किया गया है; नियम, विधि, या स्थापित तरीके से समायोजन, आदेश, या शासन करना; नियम, विधि, या स्थापित तरीके, या शासी सिद्धांतों या कानूनों द्वारा समायोजन या नियंत्रण करना; शासन करना; नियम द्वारा शासन करना; कुछ नियमों या प्रतिबंधों द्वारा या उनके अधीन शासन करना; नियम के अनुसार शासन या निर्देशन करना; नियम या व्यवस्था द्वारा नियंत्रण, शासन या निर्देशन करना। नियम।

एआर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" "विनियमन" को निर्देश देने के अर्थ के रूप में भी परिभाषित किया गया है; नियम या प्रतिबंध द्वारा निर्देश देना; कुछ मानकों, कानूनों या नियमों के अनुसार निर्देश देना या प्रबंधन करना; शासन करना; संचालन करना; ठीक करना या स्थापित करना;

रोकने के लिए; रोकने के लिए।

( वेबस्टर्स थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी, वॉल्यूम भी देखें। 2 , पी। 1913 और शॉर्टर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, वॉल्यूम। 2 , 3 आरडी एडन। , पी। 1784. )

19. अक्सर यह कहा गया है कि विनियमन की शक्ति में आवश्यक रूप से निषेध करने की शक्ति शामिल नहीं है, और आम तौर पर 'विनियमन' शब्द 'निषेध' शब्द का पर्याय नहीं है। यह सच है।

एक सामान्य अर्थ में और इस अर्थ में कि केवल विनियमन पूर्ण निषेध के समान नहीं है। साथ ही, विनियमन की शक्ति अपने साथ विनियमन के अधीन चीज़ पर पूरी शक्ति रखती है और प्रतिबंधात्मक शब्दों के अभाव में, शक्ति को पूरे विषय पर पूर्ण माना जाना चाहिए। इसका तात्पर्य शासन करने, निर्देशित करने और नियंत्रित करने की शक्ति से है और इसमें पालन किए जाने वाले नियम या मार्गदर्शक सिद्धांत को अपनाना या विनियमित किए जाने वाले विषय के संबंध में नियम बनाना शामिल है। विनियमित करने की शक्ति का तात्पर्य जाँच करने की शक्ति से है और कुछ निश्चित नियमों के तहत निषेध करने की शक्ति का संकेत हो सकता है।

परिस्थितिसभ, जेराव साबसिन एबा मोनसेल 'गोहोमगोनां नेमखान्थियाव दबथायनाय थायो। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि 'विनियमन' शब्द का कोई अपरिवर्तनीय अर्थ नहीं हो सकता है।

जिस संदर्भ में इसका उपयोग किया जाता है और इसके उद्देश्य और उद्देश्य के आधार पर 'विनियमन' शब्द के अर्थ के रूप में प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है कानून। स्लैटरी वी। नायलोर [(1888) एल. आर. 13 ए. सी. 446 (पी. सी.)] प्रिवी की न्यायिक समिति के समक्ष प्रश्न उठा।

नगर परिषद के पास केवल नजरबंदी को विनियमित करने की शक्ति थी जबकि उप-कानून ने उन्हें [2018] 14 एस. सी. आर. में कब्रिस्तान में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था।

सवाल, और यह लॉर्ड हॉबहाउस द्वारा कहा गया था, निर्णय देते हुए

प्रिवी काउंसिलः ( एसी पी। 447)

' एक नियम या उप-कानून को केवल अधिकार से बाहर नहीं माना जा सकता है।

क्योंकि यह जहां विनियमित करने के लिए सशक्त है, को प्रतिबंधित करता है

विनियमन में अक्सर निषेध शामिल होता है। "

XXX XXX XXX

87. इस संबंध में यू. पी. कॉप के फैसले का भी उल्लेख किया जा सकता है। केन यूनियन फेडरेशन बनाम। पश्चिमी यू. पी. चीनी मिल्स एसोसिएशन। [ ( 2004 ) 5 एस. सी. सी. 430] उस मामले में, न्यायालय ने यू. पी. गन्ना (आपूर्ति और खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 में दिखाई देने वाले "विनियमन" शब्द की व्याख्या की और कहाः ( एससीसी पीपी। 454 55, पैरा 20)

" 20. ..... ' 'विनियमन' का अर्थ है नियंत्रित करना या नियम द्वारा समायोजित करना या शासी सिद्धांतों के अधीन होना। यह व्यापक प्रभाव वाला एक शब्द है जिसका व्यापक अर्थ है जो न केवल सभी पहलुओं को समझता है

अधिनियम में विशेष रूप से उल्लिखित है, लेकिन इसके भीतर भी शामिल है

इसमें सद्भावना से परिकल्पित विनियमन के लिए आनुषंगिक शक्तियों को शामिल किया गया है और इसका अर्थ उस संदर्भ में निर्धारित किया जाना है जिसमें इसका उपयोग किया गया है और क़ानून का उद्देश्य है। ”

88. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि "विनियमन" शब्द इतना लोचदार है कि

इसमें निर्देश जारी करने या विनियम बनाने की शक्ति और केवल यह तथ्य शामिल है कि धारा 11 (1) (बी) के खंड (vii) और (viii) में दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति "जैसा कि विनियमों में प्रदान किया जा सकता है" का उपयोग उस उप-धारा के अन्य खंडों में नहीं किया गया है।

इसका अर्थ है कि धारा 11 (1) (बी) के उपखंड (i) से (vi) में निर्दिष्ट विषयों पर धारा 36 (1) के तहत विनियम नहीं बनाए जा सकते हैं। वास्तव में, धारा 36 के तहत विनियम तैयार करके, ट्राई विभिन्न खंडों के तहत कार्यों के अभ्यास की सुविधा प्रदान कर सकता है -

धारा 11 (1) (बी) जिसमें उपखंड (i) से (vi) शामिल हैं।

89. अब हम धारा 36 का विज्ञापन कर सकते हैं। इसकी उप-धारा (1) के तहत ट्राई निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विनियम बना सकता हैः ट्राई अधिनियम की धारा 11,12 और 13 सहित ट्राई अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में निर्दिष्ट किया गया है। धारा 36 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग इस शर्त के साथ किया जाता है कि नियम ट्राई अधिनियम और बनाए गए नियमों के अनुरूप होने चाहिए।

इसके नीचे। ए. आर. इंडिया पी. वी. टी. के लिए टी. आर. ए. आई. की शक्ति पर कोई अन्य प्रतिबंध नहीं है।

लिमिटेड। वी. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग [आर. एफ. नरीमन, जे.]

नियम बनाएँ। धारा 37 के संदर्भ में, विनियम हैं -

संसद के समक्ष रखे जाने की आवश्यकता है जो या तो अनुमोदन कर सके,

उसी को संशोधित या रद्द करें। धारा 36 (2), जो इसके साथ शुरू होती है शब्द "के तहत शक्ति की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना

उप-धारा (1) "विभिन्न विषयों को निर्दिष्ट करती है जिन पर विनियम कर सकते हैं।

ट्राई द्वारा बनाया जाएगा। इनमें से तीन विषय बैठकों से संबंधित हैं -

ट्राई, ऐसी बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया,

ट्राई द्वारा अनुरक्षित। खंडों में निर्दिष्ट शेष दो विषय ( ई) और (च) धारा 36 (2) सीधे धाराओं के लिए संदर्भित हैं।

11 ( 1 ) ( ख) (viii) और 11 (1) (ग)। ये मूल कार्य हैं -

ट्राई. हालाँकि, धारा 36 (2) की भाषा में कुछ भी नहीं है।

जिनसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें निहित प्रावधान

धारा 36 (1) के तहत ट्राई द्वारा शक्ति के प्रयोग को नियंत्रित करना या

कि धारा 36 (2) धारा 36 (1), '9' के दायरे को प्रतिबंधित करती है।

( जोर दिया गया।)

22. हालाँकि, अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने भरोसा किया

लार ऑपरेटर्स एसोसिएशन। भारत का वी। ट्राई, (2016) 7 एससीसी 703 और,

अनुच्छेद 41, जो इस प्रकार हैः

“ 41. हम पाते हैं कि आक्षेपित विनियमन संदर्भित नहीं है

अधिनियम की धारा 11 (1) (बी) (आई) और (वी) इस प्रकार है कि

के नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किया गया था लाइसेंस और न ही इसे किसी भी मानक को निर्धारित करने के लिए बनाया गया है

सेवा की गुणवत्ता जिसके अनुपालन की आवश्यकता हो। इस मामले में,

विवादित विनियमन धारा 11 का उल्लंघन करता है लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है अधिनियम की धारा 11 के साथ असंगत। इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से

बीएसएनएल में आयोजित [बीएसएनएल बनाम। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण,

( 2014 ) 3 एस. सी. सी. 222] ने निर्णय दिया कि धारा 36 के तहत शक्ति है

धारा 11 द्वारा कुचला नहीं गया। यह इस तरह से, आक्षेपित है

विनियमन को धारा 11 के साथ असंगत नहीं कहा जा सकता है।

अधिनियम। हालाँकि, यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या उक्त

विनियमन अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करता है जो, जैसा कि किया गया है

अधिनियम की संशोधित प्रस्तावना के तहत ऊपर बताया गया है,

सेवा प्रदाताओं के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है दूरसंचार क्षेत्र का विकास ताकि व्यवस्थित विकास को बढ़ावा दिया जा सके और सुनिश्चित किया जा सके

दूरसंचार क्षेत्र से। धारा 36 के तहत, न केवल प्राधिकरण करता है अधिनियम और नियमों के अनुरूप विनियम बनाने होंगे

इसके तहत बनाया गया है, लेकिन इसे [2018] 14 एस. सी. आर. के उद्देश्यों को भी पूरा करना है।

अधिनियम, जैसा कि अधिनियम की प्रस्तावना से देखा जा सकता है। अगर, दूर

ऐसे उद्देश्यों के विपरीत, इस तरह के विनियमन को नहीं कहा जा सकता है अधिनियम के अनुरूप, क्योंकि यह दोनों के अनुरूप होना चाहिए

अधिनियम का पत्र और जिन उद्देश्यों के लिए अधिनियम बनाया गया है

अधिनियमित किया। उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के प्रयास में

सेवा प्रदाता के हित की कीमत पर दूरसंचार क्षेत्र

जो औसतन 2 प्रतिशत कॉल ड्रॉप की छूट का अनुपालन करता है

धारा के तहत बनाए गए एक अन्य विनियमन द्वारा इसे दिया गया प्रति माह

11 ( 1 ) ( ख) (v) अधिनियम द्वारा प्राप्त की जाने वाली शेष राशि

दूरसंचार क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास का उल्लंघन किया गया है।

इसलिए, हमारा मानना है कि विवादित विनियमन लागू नहीं होता है

अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करना और इसे अधिकार से बाहर माना जाना चाहिए

इस आधार पर कार्य करें "।

( जोर दिया गया।)

23. इस निर्णय से ध्यान देने वाली बात यह है कि संतुलन

जिसे सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के बीच बनाए रखने की मांग की गई थी, उसे विवादित नियमों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। हालाँकि, हमारे दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है, वह यह है कि ट्राई अधिनियम की धारा 36 के तहत प्राधिकरण को इसे लागू करने का अधिकार है।

उक्त अधिनियम के उद्देश्यों के बारे में जो अधिनियम की प्रस्तावना से ज्ञात किया जा सकता है। अधिनियम की संशोधित प्रस्तावना से जो बात स्पष्ट है वह यह है कि सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के हित सर्वोपरि हैं

जब धारा 36 के तहत विनियम बनाए जाते हैं तो दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

24. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने भी पेट्रोलियम पर भरोसा किया

और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड v. इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड

बोर्ड अधिनियम, 2006 इस न्यायालय द्वारा चर्चा का विषय था। इस न्यायालय ने अधिनियम का अर्थ निकालने के बाद कहा कि जहां एक

इस तरह की कमी को न्यायिक द्वारा भरा नहीं जा सकता है।

अधिनियम के तहत बोर्ड को विनियमन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया गया था। इसके अलावा, अधिनियम की पहुंच, जैसा कि धाराओं के अध्ययन से स्पष्ट है

20 22 से यह स्पष्ट हो जाएगा कि आम लोगों के लिए परिवहन शुल्क

केवल वाहक और अनुबंध वाहक द्वारा विनियमित किया जा सकता है बोर्ड। इसमें स्वाभाविक रूप से एक विनियमन शामिल नहीं होगा जो ए. आर. इंडिया पी. वी. टी. होगा।

लिमिटेड। वी. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग [आर. एफ. नरीमन, जे.]

यह शहर या स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क के लिए नेटवर्क शुल्क से संबंधित है क्योंकि ऐसा नेटवर्क न तो एक सामान्य वाहक है और न ही अधिनियम द्वारा कवर किया गया अनुबंध वाहक है। इसके अलावा, की स्थापना

वर्तमान मामले के तथ्यों पर आवेदन, इस तथ्य को देखते हुए कि धारा 11 (2) के साथ पढ़ी गई प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि इसके तहत बनाया गया विनियमन और शुल्क आदेश दोनों पहुंच के भीतर होंगे। ट्राई अधिनियम के तहत ट्राई।

25. इस स्तर पर, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 जैसे कुछ प्रावधानों को निर्धारित करना भी महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम में 2004 में संशोधन किया गया था -धारा 3 (1ए. ए.)। इस अधिनियम की प्रासंगिक धाराएँ निर्धारित की गई हैं

नीचेः

तार, दृश्य या अन्य विद्युत चुंबकीय उत्सर्जन, रेडियो तरंगों या हर्ट्ज़ियन तरंगों, गैल्वेनिक, विद्युत या चुंबकीय साधनों द्वारा किसी भी प्रकृति के संकेतों, संकेतों, लेखन, छवियों और ध्वनियों या बुद्धि का; स्पष्टीकरण। - " रेडियो तरंग "या" हर्ट्ज़ियन तरंग "का अर्थ है 3,000 गीगा से कम आवृत्तियों वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें-प्रति चक्र

दूसरा कृत्रिम गाइड के बिना अंतरिक्ष में प्रचारित किया गया।

XXX XXX XXX

4. तार और शक्ति के संबंध में विशेष विशेषाधिकार

बशर्ते कि केंद्र सरकार ऐसी शर्तों पर और ऐसे भुगतानों पर विचार करते हुए, जो वह उचित समझे, किसी भी व्यक्ति को भारत के किसी भी हिस्से में टेलीग्राफ स्थापित करने, बनाए रखने या काम करने के लिए लाइसेंस दे सकती हैः बशर्ते कि केंद्र सरकार, इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित, ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन रहते हुए अनुमति दे सकती है जो वह उचित समझती है,

रखरखाव और काम करना

( क) भारतीय क्षेत्रीय जल क्षेत्र के भीतर और भारत या भारतीय क्षेत्रीय जल क्षेत्र के भीतर या ऊपर विमानों पर तारारहित तार, और [2018] 14 एस. सी. आर.

( ख) किसी भी क्षेत्र में तारहित तारों के अलावा अन्य तारों का

भारत का हिस्सा।

स्पष्टीकरण। लाइसेंस देने के लिए किए गए भुगतान

इस उप-धारा के तहत ऐसी राशि शामिल होगी जो

सार्वभौमिक सेवा दायित्व जो केंद्र द्वारा निर्धारित किया जा सकता है

( 2 ) केंद्र सरकार, आधिकारिक में अधिसूचना द्वारा राजपत्र, टेलीग्राफ प्राधिकरण को इसके सभी या किसी भी प्रतिनिधि

श

क्तियाँ

उप-धारा (1) के प्रथम परंतुक के अधीन। टेलीग्राफ प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार प्रत्यायोजित किसी भी शक्ति का प्रयोग

ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन होगा जैसे कि केंद्रीय

सरकार, अधिसूचना द्वारा, लागू करना उचित मान सकती है। 26. भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 2 (2) और 5,

इन्हें भी नीचे दिया गया है:

" 2 ( 2 ) " वायरलेस टेलीग्राफी उपकरण "का अर्थ है कोई भी उपकरण,

वायरलेस में उपयोग किए जाने वाले या उपयोग करने में सक्षम उपकरण, उपकरण या सामग्री

संचार, और बनाए गए नियम द्वारा निर्धारित कोई भी वस्तु शामिल है

धारा 10 के तहत वायरलेस टेलीग्राफी उपकरण होगा, लेकिन करता है

इसमें ऐसा कोई उपकरण, उपकरण, उपकरण या सामग्री शामिल नहीं है। आमतौर पर अन्य विद्युत उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, जब तक कि

बेतार संचार या रूपों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन या अनुकूलित

विशेष रूप से किसी उपकरण, उपकरण, उपकरण या सामग्री का भाग

इस तरह से डिज़ाइन या अनुकूलित, और न ही नियम द्वारा निर्धारित कोई वस्तु बनाई गई

XXX XXX XXX 5. लाइसेंस। भारतीय के तहत गठित टेलीग्राफ प्राधिकरण

टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) सक्षम प्राधिकारी होगा।

वायरलेस टेलीग्राफी उपकरण रखने के लिए लाइसेंस जारी करना

यह अधिनियम, और ऐसी शर्तों पर इस तरह से लाइसेंस जारी कर सकता है

और ऐसे भुगतानों के अधीन जो निर्धारित किए जाएं।

27. यह स्पष्ट है कि केवल एक व्यक्ति जो धारा 5 के तहत लाइसेंस प्राप्त है

भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम भारत से एक टेलीपोर्ट का उपयोग कर सकता है।

जिसे एक टीवी चैनल को उपग्रह से अपलिंक किया जाना है।

समान रूप से, स्टार इंडिया पी. वी. टी. बनना। लिमिटेड। वी. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग [आर. एफ. नरीमन, जे.]

उपग्रह से अपलिंक किया जाता है और उसके बाद ऐसे उपग्रह से एमएसओ से डाउनलिंक किया जाता है, इसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति की आवश्यकता होगी। यह अपलिंकिंग के लिए अलग-अलग दिशानिर्देशों को पढ़ने से स्पष्ट होगा।

और भारत सरकार द्वारा जारी किए गए डाउनलिंकिंग चैनल।

28. जहाँ तक अपलिंकिंग दिशानिर्देशों का संबंध है, 5.12.2011 पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय (प्रसारण शाखा) ने निर्धारित किया है

विस्तृत शर्तों का उल्लेख करें जिनके द्वारा टीवी चैनलों की अपलिंकिंग की जा सकती है। उक्त दिशानिर्देशों के खंड 5.9 के तहत, भारत सरकार को दुरुपयोग को रोकने के लिए सार्वजनिक हित में या राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में एक निर्दिष्ट अवधि के लिए कंपनी की अनुमति को निलंबित करने का अधिकार होगा।

29. इसी तरह, जहां तक टीवी चैनलों की डाउनलिंकिंग के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों का संबंध है, मंत्रालय ने उसी तारीख यानी 5.12.2011 के बारे में विस्तृत दिशानिर्देश दिए हैं। अन्य बातों के अलावा, यह कहा गया हैः

" 2.4 . किसी भी समाचार और समसामयिक मामलों के चैनल को डाउनलिंक करने की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि यह निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों को पूरा नहीं करता हैः
2.4. 1. कि इसमें भारतीय उद्देश्य से कोई विज्ञापन नहीं है

दर्शक;

2.4. 2. कि यह विशेष रूप से भारतीय दर्शकों के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है;
2.4. 3. कि यह एक मानक अंतर्राष्ट्रीय चैनल हैः

2.4. 4. कि इसे देश में प्रसारित करने की अनुमति दी गई है

उस देश के नियामक प्राधिकरण द्वारा इसकी अपलिंकिंग;

XXX XXX XXX

5. बुनियादी शर्तें/दायित्व

5.1 . पंजीकृत चैनलों को डाउनलिंक करने की अनुमति प्राप्त कंपनी केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का पालन करेगी।

5.2 . कंपनी 2007 के खेल प्रसारण संकेत (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य साझाकरण) अधिनियम 11 और उसके तहत जारी नियमों, दिशानिर्देशों, अधिसूचनाओं के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समय-समय पर टीवी चैनलों पर सामग्री के विनियमन के लिए सूचना और प्रसारण, भारत सरकार। 5.4 . आवेदक कंपनी भारत में अपने वाणिज्यिक संचालन के लेखा परीक्षित वार्षिक खाते प्रस्तुत करेगी।

5.6 . आवेदक कंपनी उपग्रह टीवी चैनल उपलब्ध कराएगी। केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 के तहत पंजीकृत केवल एमएसओ/केबल ऑपरेटरों के लिए या

भारत सरकार द्वारा जारी डी. टी. एच. दिशानिर्देशों के तहत पंजीकृत डी. टी. एच. ऑपरेटर या इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आई. पी. टी. वी.) सेवा प्रदाता को उनके मौजूदा दूरसंचार लाइसेंस के तहत विधिवत अनुमति या दूरसंचार विभाग द्वारा अधिकृत या सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी एच. आई. टी. एस. ऑपरेटरों के लिए नीति दिशानिर्देशों के तहत विधिवत अनुमति प्राप्त एच. आई. टी. एस. ऑपरेटर को।

प्रसारण, भारत सरकार ऐसी सेवा प्रदान करेगी।

5.7 . आवेदक कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उसका कोई भी चैनल, जो अपंजीकृत है या प्रसारित होने से प्रतिबंधित है या

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 या डी. टी. एच. दिशानिर्देशों या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत भारत में संचारित या पुनः संचारित, भारत में कूटलेखन या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

5.8 . केंद्र सरकार को जनहित में या राष्ट्रीय हित में एक निर्दिष्ट अवधि के लिए कंपनी की अनुमति/चैनल के पंजीकरण को निलंबित करने का अधिकार होगा। चैनल के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा। कंपनी इस संबंध में जारी किसी भी निर्देश का तुरंत पालन करेगी।

5.9 . किसी चैनल को डाउनलिंक करने की अनुमति मांगने वाली आवेदक कंपनी सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमति दिए जाने की तारीख से एक साल के भीतर चैनलों का संचालन करेगी, जिसमें विफल रहने पर अनुमति दी जाएगी।

इस संबंध में बिना किसी सूचना के वापस लिया जा सकता है।

हालाँकि, ए. आर. इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग [आर. एफ. नरीमन, जे.]

कंपनी को इस तरह की निकासी से पहले सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा। 5.10 . कंपनी/चैनल विनियमन के लिए स्थापित किसी भी नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंडों, नियमों और विनियमों का पालन करेगा।

और देश में प्रसारण सेवाओं की निगरानी करना,

5.11 . आवेदक कंपनी इस तरह के बदलाव के 15 दिनों के भीतर कंपनी में निदेशक पद, प्रमुख अधिकारियों या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बदलाव के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सूचित करेगी। यह अपने निदेशकों और प्रमुख अधिकारियों में इस तरह के परिवर्तनों के लिए सुरक्षा मंजूरी भी प्राप्त करेगा। 5.12 . आवेदक कंपनी 90 दिनों की अवधि के लिए डाउनलिंक किए गए कार्यक्रमों का रिकॉर्ड रखेगी और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सरकार की किसी भी एजेंसी के समक्ष पेश करेगी।

5.13 . आवेदक कंपनी ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगी जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आवश्यक हो।

समय-समय पर।

5.14 . आवेदक कंपनी आवश्यक प्रदान करेगी सूचना मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा कार्यक्रमों या सामग्री की निगरानी के लिए अपनी लागत पर निगरानी सुविधा

और प्रसारण या कोई अन्य सरकारी एजेंसी जब भी हो

आवश्यकता है। 5.15 . आवेदक कंपनी द्वारा जारी डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों में निर्धारित दायित्वों और शर्तों का पालन करेगी।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, और विशिष्ट

डाउनलिंकिंग अनुमति समझौता और प्रत्येक का पंजीकरण

चैनल।

5.16 . किसी भी युद्ध, आपदा/राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं की स्थिति में, सरकार के पास एक निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिबंध लगाने की शक्ति होगी। डाउनलिंकिंग/रिसेप्शन/प्रसारण और पुनः संचरण की अवधि

किसी भी या सभी चैनलों से। कंपनी तुरंत इसका पालन करेगी।

इस संबंध में जारी किए गए ऐसे किसी भी निर्देश के साथ।

30. हमारा विचार है कि ट्राई अधिनियम के प्रावधानों को सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं दोनों के हितों की सुरक्षा के आलोक में देखा गया है। ऐसा होने पर, यह स्पष्ट है कि इस अधिनियम के प्रावधानों को कोई सीमित नहीं किया जा सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 11 (1) (ए) (iv) के तहत, [2018] 14 एस. सी. आर. के कार्यों में से एक है।

प्राधिकरण, हालांकि अनुशंसित, प्रतिस्पर्धा को सुविधाजनक बनाने के लिए है और दूरसंचार सेवाओं के संचालन में दक्षता को बढ़ावा देना (जो

इसमें प्रसारण सेवाएं शामिल हैं) ताकि ऐसी सेवाओं में वृद्धि को सुविधाजनक बनाया जा सके। धारा 11 (1) (बी) से यह भी स्पष्ट है कि विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच परस्पर संपर्क के नियम और शर्तें तय की जानी चाहिए। जिसमें अनिवार्य रूप से ऐसे शब्द शामिल हैं जो न केवल डॉ. सिंघवी द्वारा प्रस्तुत कैरिज सिम्प्लिसिटर से संबंधित हैं, बल्कि इसके सभी नियमों और शर्तों से संबंधित हैं।

प्रसारक, एमएसओ, केबल टीवी संचालक और अंतिम उपभोक्ता के बीच परस्पर संपर्क, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिनियम के उद्देश्य को पूरा किया जाए, अर्थात्, प्रसारक और उपभोक्ता दोनों को एक उचित सौदा मिले। इस उद्देश्य के लिए, धारा 11 (2) यह स्पष्ट करती है कि प्राधिकरण, समय-समय पर उन दरों को अधिसूचित करें जिन पर इस अधिनियम के तहत भारत के भीतर और भारत के बाहर प्रसारण सेवाओं सहित दूरसंचार सेवाएं प्रदान की जाएंगी। डॉ. सिंघवी ने तर्क दिया कि इस उप-धारा की शाब्दिक भाषा, जो निस्संदेह टैरिफ आदेश में निर्धारित दरों को लाएगी, को प्रावधान के अंतिम भाग की भाषा से संकुचित करना होगा, अर्थात। , " जिन दरों पर संदेश भेजे जाते हैं, वे भी शामिल हैं

भारत के बाहर किसी भी देश में प्रेषित किया जाएगा। हमें डर है कि यह निर्माण के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है, क्योंकि अभिव्यक्ति "शामिल" केवल अभिव्यक्ति से पहले के एक हिस्से को संदर्भित करेगी और इसलिए उस हिस्से को संकुचित नहीं कर सकती है जो पहले चला गया है। धारा 11 (2) की सरल शाब्दिक भाषा यह स्पष्ट करती है कि भारत के भीतर और बाहर प्रसारण सेवाओं की पेशकश की जाने वाली दरों को ट्राई द्वारा तय किया जा सकता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि जब विभिन्न सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के बीच कई दौर के परामर्श के बाद दरें तय की जाती हैं, तो प्रत्येक के हित को देखते हुए, यह कहना असंभव है कि किसी भी प्रसारक के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। श्री द्विवेदी बिल्कुल सही हैं। यह कहते हुए कि किसी भी स्तर पर किसी टीवी चैनल की सामग्री को विनियमित करने की मांग नहीं की जाती है, और विनियमन और शुल्क आदेश में निर्धारित टीवी चैनलों से संबंधित मूल्य निर्धारण प्रसारकों के अधिकारों और उपभोक्ताओं के हितों के बीच एक संतुलनकारी कार्य है, जिसे हम जल्दबाजी में जोड़ सकते हैं, इस आधार पर आक्षेप नहीं किया गया है कि किसी भी अधिकार या मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है, बल्कि केवल इस आधार पर कि विनियमन के साथ-साथ शुल्क आदेश ट्राई के "अधिकार क्षेत्र" से बाहर हैं। इसलिए इस मुद्दे पर डॉ. सिंघवी का तर्क विफल होना चाहिए।

31. वास्तव में, अविषेक गोयनका बनाम। भारत संघ, (2012) 5 एस. सी. सी. 275, यह न्यायालय पहले ही अभिनिर्धारित कर चुका हैः

एआर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 18. यदि कोई अधिनियम की धारा 11 के तहत अभिनिर्धारित ट्राई की शक्तियों और कार्यों की जांच करता है, तो यह स्पष्ट है कि ट्राई न केवल दूरसंचार विभाग को उन नियमों और शर्तों की सिफारिश करेगा, जिन पर एक सेवा प्रदाता को लाइसेंस दिया जाता है, बल्कि इसका अनुपालन भी सुनिश्चित करना होगा और इसे रद्द करने की सिफारिश कर सकता है।

विनियमों का पालन न करने की स्थिति में लाइसेंस। इसे अपने मुख्य कार्यों में से एक बहुत ही वस्तुनिष्ठ रूप से करना पड़ता है अर्थात सुविधा प्रदान करना।

प्रतिस्पर्धा और संचालन में दक्षता को बढ़ावा देना

दूरसंचार सेवाएँ, ताकि ऐसी सेवाओं में वृद्धि हो सके। इस नियामक प्राधिकरण से सेवा की गुणवत्ता की निगरानी करने और उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवधिक सर्वेक्षण करने की भी अपेक्षा की जाती है।

32. हमें यह भी जोड़ना होगा कि अधिनियम की धारा के तहत शक्ति बहुत व्यापक है और 11 के प्रावधानों द्वारा सीमित नहीं है, जैसा कि बी. एस. एन. एल. बनाम में आयोजित किया गया था। ट्राई (ऊपर)।

33. समान रूप से, होटल और रेस्तरां एसोसिएशन में। वी. स्टार इंडिया (पी)

( 2006 ) 13 एस. सी. सी. 753, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया हैः

" 24. टी. आर. ए. आई. अधिनियम की धारा 11 में टी. आर. ए. आई. के कार्यों का प्रावधान है। टी. आर. ए. आई. अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) का खंड (ए) टी. आर. ए. आई. को इसमें उल्लिखित मामलों पर स्वतः या लाइसेंसकर्ता के अनुरोध पर सिफारिश करने का अधिकार देता है। इसका खंड (ख) इसे अन्य बातों के साथ-साथ आपस में जुड़ाव के नियमों और शर्तों को तय करने का अधिकार देता है।

इसकी उप-धारा (2) से संबद्ध ट्राई को समान दूरसंचार सेवाओं के लिए अलग-अलग व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग के लिए अलग-अलग दरों को अधिसूचित करने का अधिकार देता है और जहां अलग-अलग दरें निर्धारित की जाती हैं, जैसा कि उपरोक्त ट्राई उसके कारणों को दर्ज करेगा।

55. टी. आर. ए. आई. एक व्यापक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। इसका अधिकार क्षेत्र केवल यह नहीं है कि

शुल्क निर्धारित करना लेकिन प्रदान करने के लिए नियम और शर्तें भी निर्धारित करना

सेवाएँ। प्रथम दृष्टया, यह मानदंडों और तरीके और तरीके को ठीक कर सकता है जिसमें उपभोक्ता को सेवाएँ मिलेंगी।

56. नियामक की भूमिका अलग-अलग हो सकती है। एक विनियमन प्रदान कर सकता है

लागत के लिए, गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर सेवा की आपूर्ति, मोड

और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के लिए आपूर्ति करने के प्रावधानों का तरीका

समान अवसर प्रदान करना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना,

एकाधिकार की रोकथाम। के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं

केबल प्रचालक भी मान्यता प्राप्त हैं। बनाते समय इस प्रकार विनियमों में कई कारकों को शामिल करने की आवश्यकता है

खाता। मैदान में एक खिलाड़ी की रुचि नहीं होगी

दूसरों के हित को ध्यान में रखते हुए हवा "।

( जोर दिया गया।)

34. यह ध्यान रखना दिलचस्प है, जैसा कि श्री द्विवेदी ने कहा है,

29.1.2016, स्टार के परामर्श पत्र पर स्टार इंडिया की प्रतिक्रिया

स्वयं अनुरोध किया है कि विनियमन और शुल्क आदेश तय किया जाए

उन सिद्धांतों का आधार जो अब उसमें निहित हैं। उदाहरण के लिए, क्या एक उचित थोक मूल्य सीमा हो सकती है, इस पर भारत की प्रतिक्रिया

सामूहिक शैलियों के लिए निश्चित, निम्नानुसार थाः

" बड़े पैमाने पर उचित थोक मूल्य सीमा सुनिश्चित की जाएगी

शैलियाँ

- विभिन्नता और विविधता पैदा करने के लिए चैनलों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है

नवीन सामग्री

● मौजूदा प्रमुख चैनल इससे पीड़ित हैं

विरासत मूल्य और गुलदस्ता फ्रीज।

. सभी चैनलों को उपभोक्ताओं के एआरपीयू का उचित हिस्सा अर्जित करना चाहिए।

• हमारे शोध निष्कर्षों से पता चलता है कि वर्तमान एआरपीयू के आधार पर,

प्रमुख चैनलों की दर्शकों की संख्या और मौजूदा राजस्व का हिस्सा

पता लगाने योग्य बाजार में प्रसारकों का हिस्सा, मूल्य

बाजार द्वारा प्रमुख चैनलों को महत्वपूर्ण रूप से श्रेय दिया जाता है

इन चैनलों की मौजूदा थोक सूची कीमतों से अधिक।

भारत पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. औद्योगिक तेल और संवर्धन विभाग [आर. एफ. नरीमन, जे.]

● तदनुसार, फ्लैगशिप का खुदरा मूल्य

उपभोक्ताओं द्वारा मनोरंजन चैनल, एक में अनुवाद

Rs.11/- से Rs.28/- का थोक मूल्य। विस्तृत जानकारी के लिए देखें संलग्नक ए।

• इसलिए अनुमति देने के लिए थोक सीमा Rs.28/- होनी चाहिए।

प्रमुख चैनलों के इष्टतम मुद्रीकरण के लिए। अगर चैनल मूल्यों को उपभोक्ता के आधार पर ठीक करने की अनुमति है

ए. आर. पी. यू. में चैनल के हिस्से की मांग की जाएगी नेतृत्व किए बिना उनके वास्तविक मूल्य प्रस्ताव को प्रतिबिंबित करने के लिए पुनः डिज़ाइन किया गया

किसी भी मनमाने या विकृत मूल्य वृद्धि के लिए। इसके अलावा प्रस्तावित छूट सीमा प्रभावी रूप से मूल्य संबंधी विकृतियों को समाप्त कर देगी।

● हालांकि, एक सुचारू और निर्बाध को सक्षम करने के हित में

कोई भी बनाए बिना पूर्ण पता लगाने की क्षमता में परिवर्तन

अनावश्यक अराजकता हम निम्नलिखित सीमा का प्रस्ताव कर रहे हैं,

मौजूदा चैनल जिनकी दरों को 2003-2004 में रोक दिया गया था उनके वास्तविक मूल्य को महसूस करने से।

प्रस्तावित

सामूहिक शैली

कीमत

कैप (रु.)

जनरल

12.00

मनोरंजन ( हिंदी और क्षेत्रीय)

फिल्में (हिंदी और हिंदी)

10.00

क्षेत्रीय) खेलकूद

18.00

- ये सीमाएँ स्वचालित वार्षिक संशोधन के अधीन होनी चाहिए,

आधार मुद्रास्फीति "।

क्या प्रसारकों को थोक छूट की पेशकश करनी चाहिए

ए. टी. आई. एन. प्लेटफॉर्म प्रचालक (इसके बाद "डी. पी. ओ". के रूप में संदर्भित) संदर्भ के हिस्से के रूप में पारदर्शी रूप से उपलब्ध होना चाहिए

ई. सी. टी. प्रस्ताव (इसके बाद "आर. आई. ओ". के रूप में संदर्भित), स्टार इंडिया के पास है।

होलसेल छूट अधिकतम समग्र के अधीन होगी

• जैसा कि ऊपर बताया गया है, विभिन्न प्रकार के मापदंड हैं जिन्हें एक एकल प्रसारक विभिन्न आधारों पर संचालित करना चाहेगा।

व्यावसायिक आवश्यकताएँ

● 33 % छूट प्रभावी रूप से केवल एक को चलाने के लिए पर्याप्त होगी

कुछ व्यावसायिक आवश्यकताएँ

33 प्रतिशत से कम की कोई भी छूट सीमा प्रदान करेगी

छूट संरचना अप्रभावी/अव्यवहारिक "।

जहाँ तक उच्च परिभाषा चैनलों का संबंध है, स्टार इंडिया

ओ कहें:

एच. डी. चैनल दर्शकों को विशिष्ट अनुभव प्रदान करते हैं।

एस. डी. चैनलों से फेरेंट

- एच. डी. का उत्पादन, प्रसारण और पुनः प्रसारण

चैनलों में पर्याप्त निवेश होता है।

- एच. डी. चैनल सामग्री की शूटिंग, निर्माण, निर्माण के बाद, प्रसारण और पुनः प्रसारण से लेकर उपयोग की जाने वाली अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से दर्शकों को स्पष्ट रूप से बेहतर ऑडियो और वीडियो गुणवत्ता प्रदान करते हैं। विस्तृत व्याख्या के लिए देखें अनुलग्नक बी।

- एच. डी. चैनल की खपत के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है।

उपभोक्ता द्वारा एच. डी. टीवी और एच. डी. सेट-टॉप बॉक्स में निवेश। इस प्रकार, ये चैनल आकांक्षी हैं और समृद्ध दर्शकों के लिए हैं जो बेहतर सामग्री और गुणवत्ता की पेशकश की मांग करते हैं और इसके लिए भुगतान करने की क्षमता रखें।

एच. डी. चैनलों के लिए मूल्य संयम जारी रहना चाहिए।

- एच. डी. चैनल को केवल उन्हीं ग्राहकों द्वारा सदस्यता दी जा सकती है जो विशेष एच. डी. सेट-टॉप बॉक्स के साथ-साथ एच. डी. टीवी का खर्च उठा सकते हैं, जो प्रीमियम पर आता है।

- एच. डी. चैनल बाजार में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। और प्रसारकों को गुणवत्ता और नवीन सामग्री में निवेश करने की अनुमति दी है। पिछले चार वर्षों में बाजार की ताकतों ने मदद की है।

चैनल अपनी वास्तविक कीमतों और वांछित की खोज करने के लिए

प्रवेश। - एच. डी. चैनलों को विनियामक दायरे से बाहर रखने के प्राधिकरण के प्रशंसनीय निर्णय के कारण यह संभव हुआ है। आगामी 3 डी, 4 डी और आभासी वास्तविकता के साथ यह एआर इंडिया पी. वी. टी. होगा।

लिमिटेड। वी. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग [आर. एफ. नरीमन, जे.]

वास्तव में यह एक प्रतिगामी कदम होगा यदि प्राधिकरण अब एच. डी. चैनलों को विनियमित करता है जिससे एक नकारात्मक संकेत जाता है।

इन प्रौद्योगिकियों में संभावित निवेश के लिए।

- इसलिए हम अनुशंसा करते हैं कि प्राधिकरण को जारी रहना चाहिए।

एच. डी. चैनलों को विनियामक दायरे से बाहर रखना।

- ग्राहकों के हितों की रक्षा करने और इस खंड में आगे के विकास को बढ़ावा देने के लिए, हम अनुशंसा करते हैं कि एच. डी. चैनलों को थोक और खुदरा में दोहरी शर्तों और छूट सीमा का पालन करना चाहिए।

- डी. पी. ओ. एस. के लिए एक व्यवहार्य ए-ला-कार्टे फॉलबैक विकल्प सुनिश्चित करने के लिए थोक कीमतों पर छूट को 33 प्रतिशत तक सीमित किया जाना चाहिए।

- खुदरा ए-ला-कार्टे कीमतों को थोक कीमतों से जोड़ा जाना चाहिए।

( एस. डी. चैनलों के लिए उपयोग किए जाने वाले समान लिंकेज गुणक)।

-खुदरा स्तर पर भी छूट 33 प्रतिशत तक सीमित होगी ताकि उपभोक्ता के लिए एक व्यवहार्य ए-ला-कार्टे फॉलबैक विकल्प सुनिश्चित किया जा सके।

3. एच. डी. और एस. डी. चैनलों को जोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

थोक और खुदरा दोनों स्तरों पर। 4. एच. डी. चैनलों के लिए प्रवेश शुल्क का प्रभार नहीं लिया जाना चाहिए

खुदरा स्तर पर अनुमति दी गई।

5. डी. पी. ओ. एच. डी. चैनलों को ए-ला-कार्टे के साथ-साथ बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। एचडी चैनलों का गुलदस्ता।

6. उपभोक्ताओं और डी. पी. ओ. के पास सदस्यता लेने का विकल्प होना चाहिए।

केवल एचडी चैनल या केवल एसडी चैनल या दोनों संयुक्त

लेकिन अलग से खरीदा गया।

समान रूप से, जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या फ्री टू एयर और पे चैनल गुलदस्ते से संबंधित हैं, स्टार इंडिया ने खुद कहा कि उन्हें बंडल नहीं किया जाना चाहिए

वह इस प्रकार हैः

" एफ. टी. ए. और भुगतान चैनलों को एक साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

- जैसा कि प्रस्तावना में रेखांकित किया गया है, हम मानते हैं कि

एफ़. टी. ए. चैनल उपभोक्ता के लिए मुफ़्त होने चाहिए।
- भुगतान और एफ. टी. ए. चैनलों को एक साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

गुलदस्ता।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

- ए-ला-कार्टे दर की घोषणा मौजूदा नियमों के अनुसार केवल भुगतान चैनलों के संबंध में है। एफ. टी. ए. चैनलों के ए-ला-कार्टे मूल्य निर्धारण की अनुमति देना इस प्रकार के अनुसार नहीं है

विनियामक संरचनाओं का विस्तार।

- खुदरा स्तर पर एफ. टी. ए. चैनलों के मूल्य निर्धारण और उन्हें भुगतान चैनलों के साथ जोड़ने से गुलदस्ते को बढ़ावा देकर कीमतों में विकृति आती है।

आकार और कीमत, जो उपभोक्ता के हित में नहीं है।

अलग-अलग वेतन गुलदस्ते बनाने से उपभोक्ता सुनिश्चित होंगे

भुगतान चैनल मूल्य निर्धारण की वास्तविक दृश्यता प्रदान की जाती है।

35. यह केवल तब है जब ट्राई ने एक दूसरा परामर्श पत्र दिनांक 4.5.2016 जारी किया कि स्टार इंडिया ने जून, 2016 में अपना जवाब प्रस्तुत किया, जहां उसने कॉपीराइट अधिनियम से संबंधित मुद्दे को पहली बार विचार के बाद उठाया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रतिक्रिया में भी,

स्टार इंडिया ने दोहराया कि छूट सीमा प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि यह बातचीत के दौरान भेदभावपूर्ण व्यवहार की जांच करता है और समझदार अंतर के आधार पर छूट मानदंड तैयार करने में सुविधा प्रदान करेगा जो उपभोक्ताओं की विविध जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। मसौदा विनियमों और शुल्क आदेश की तीसरी प्रतिक्रिया में, स्टार इंडिया ने ट्राई के अधिकार क्षेत्र के मुद्दों को उठाया।

36. इन और अन्य सूचनाओं के अनुसार, ट्राई ने अपनी व्याख्या में कहा है

प्रशुल्क आदेश के लिए निम्नलिखित कारण दिए गए ज्ञापनः

" 64. प्राधिकरण ने नोट किया है कि वर्तमान में गुलदस्ते की सदस्यता की तुलना में ला-ला-कार्टे आधार पर चैनलों का उपयोग नगण्य है। विश्लेषण से पता चलता है कि ए-ला-कार्टे चैनलों के इस तरह के खराब उपयोग का प्रमुख कारण यह है कि चैनलों की ए-ला-कार्टे दरें गुलदस्ते की दरों की तुलना में असमान रूप से अधिक हैं और इसके अलावा, इन दोनों दरों के बीच कोई अच्छी तरह से परिभाषित संबंध नहीं है। टी. आर. ए. आई. के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, टेलीविजन चैनलों के वितरकों द्वारा भुगतान चैनलों की ए-ला-कार्टे दरों के योग की 80% -90% तक की छूट पर कुछ गुलदस्ते पेश किए जा रहे हैं। ये छूट आधारित हैं।

कुछ पात्रता मानदंडों/शर्तों को पूरा करने के लिए

प्रसारकों से उन छूटों का लाभ उठाने के लिए टेलीविजन चैनलों के वितरक। इस तरह की उच्च छूट ग्राहकों को केवल गुलदस्ते लेने के लिए मजबूर करती है और इस तरह ग्राहकों की पसंद कम हो जाती है। नतीजतन, जबकि तकनीकी रूप से, चैनलों की ए-ला-कार्टे दरें घोषित की जाती हैं, ये ए. आर. इंडिया पी. वी. टी. हैं।

लिमिटेड। वी. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग [आर. एफ. नरीमन, जे.]

वे भ्रामक हैं और ग्राहकों के पास गुलदस्ते चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। प्रसारकों द्वारा बनाए गए गुलदस्ते में केवल कुछ ही होते हैं

लोकप्रिय चैनल। टेलीविजन चैनलों के वितरकों को अक्सर पूरा गुलदस्ता लेने के लिए कहा जाता है क्योंकि अन्यथा उन्हें लोकप्रिय चैनलों से पूरी तरह से वंचित कर दिया जाता है या आर. आई. ओ. दरों पर ऐसे लोकप्रिय चैनल दिए जाते हैं। मामले को और खराब करने के लिए, टेलीविजन चैनलों के वितरकों को भुगतान करना पड़ता है जैसे कि गुलदस्ते में सभी चैनलों को पूरे ग्राहक आधार द्वारा देखा जा रहा है, जबकि वास्तव में केवल

लोकप्रिय चैनलों के दर्शकों की संख्या अधिक होगी। ऐसे परिदृश्य में, खुदरा स्तर पर, टेलीविजन चैनलों के वितरक किसी तरह इन चैनलों को अधिकतम ग्राहकों तक पहुँचाते हैं ताकि लागत की वसूली की जा सके। गुलदस्ते पर आधारित यह विपणन रणनीति

अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत चैनलों की तुलना में गुलदस्ते के 'विकृत मूल्य निर्धारण' में परिणाम देता है। इसके चलते ग्राहक मजबूर हैं कि

उनकी पसंद के ला-कार्टे चैनलों की सदस्यता लेने के बजाय गुलदस्ते की सदस्यता लें। इस प्रकार, इस प्रक्रिया में, जनता, सामान्य रूप से, "अवांछित" चैनलों के लिए भुगतान करती है और यह, वास्तव में, प्रतिबंधित करता है।

अभिदाता विकल्प। गुलदस्ते में बड़ी संख्या में अवांछित चैनलों को जोड़ने से वितरकों की नेटवर्क क्षमता पर कृत्रिम कब्जा हो जाता है। यह नए टीवी चैनलों के लिए प्रवेश बाधा के रूप में कार्य करता है।

65. ग्राहकों को अलग-अलग चैनल चुनने के लिए सांसदों के इरादे के अनुरूप अपने विकल्पों का उपयोग करने में सुविधा प्रदान करने के लिए, नए ढांचे में प्रसारक ग्राहकों/ग्राहकों को अपने ए-ला-कार्टे चैनलों की एमआरपी और भुगतान चैनलों के गुलदस्ते की घोषणा करेंगे। ए-ला-कार्टे चैनलों की कीमतों को उचित बनाए रखने के लिए, गुलदस्ते के निर्माण में अनुमत अधिकतम छूट को उस गुलदस्ते को बनाने वाले भुगतान चैनलों की ए-ला-कार्टे कीमतों के योग के साथ जोड़ा गया है। एक प्रसारक उस गुलदस्ते में सभी भुगतान चैनलों के एमआरपी के योग पर अपने चैनलों के गुलदस्ते की पेशकश करते हुए अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट की पेशकश कर सकता है ताकि ए-ला कार्टे पेशकश के माध्यम से ग्राहक की पसंद को सक्षम किया जा सके और ए-ला-कार्टे और गुलदस्ते के मूल्य निर्धारण को भी रोका जा सके (उदाहरण 1 देखें)। प्रसारकों द्वारा ग्राहकों को दिया जाने वाला गुलदस्ता टेलीविजन चैनलों के वितरकों द्वारा ग्राहकों को गुलदस्ता की संरचना में बिना किसी बदलाव के प्रदान किया जाएगा। यदि किसी प्रसारक को लगता है कि [2018] 14 एस. सी. आर.

गुलदस्ते के निर्माण में अधिक छूट प्रदान की जा सकती है, इसका अप्रत्यक्ष रूप से मतलब है कि पहले चरण में ए-ला-कार्टे की कीमतों को अधिक रखा गया है और इस तरह के ए-ला-कार्टे की कीमतों को नीचे की ओर संशोधित करने की आवश्यकता है। प्रसारकों को इस तरह की स्थितियों को सुधारने के लिए-ला-कार्टे के आधार पर अपने भुगतान चैनलों की कीमत घोषित करने के लिए पूर्ण लचीलापन दिया गया है, यदि ऐसा हो सकता है। 66. कुछ हितधारकों की राय है कि गुलदस्ते बनाते समय ग्राहकों को छूट सीमित करना ग्राहक विरोधी है। इस संबंध में, प्राधिकरण ग्राहकों/ग्राहकों के लिए ला-कार्टे विकल्प की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना चाहता है, लेकिन इसका उद्देश्य प्रसारकों और वितरकों की व्यापार करने की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करना नहीं है। केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2011 पर विचार के प्रस्ताव पर संसद में चर्चा के दौरान तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) के लिए एक प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

ग्राहक अपनी पसंद के ए-ला-कार्टे चैनल चुन सकते हैं। प्राधिकरण ने इस संबंध में कई प्रयास भी किए हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से सफल नहीं हो सका। यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्राधिकरण सामग्री के मूल्य निर्धारण के अभाव में चैनलों का मूल्य निर्धारण करने में सक्षम नहीं है। वर्तमान रुझानों से संकेत मिलता है कि अधिकांश चैनलों की कीमत मौजूदा सीमा से बहुत कम है, लेकिन प्रसारकों को लचीलापन देने के लिए उच्च सीमा निर्धारित की गई थी

उनके चैनलों का मुद्रीकरण करना और व्यापार करने की स्वतंत्रता। इसके अलावा, एक ही शैली में भी अलग-अलग चैनलों में उत्पादन की अलग-अलग लागत और मुद्रीकरण की क्षमता हो सकती है, लेकिन ढांचे के भीतर। एक प्रसारक गैर-चालक चैनलों की कीमत भी बहुत अधिक कर सकता है। उच्च मूल्य जो वे आदेश कर सकते हैं। बाजार में किसी चैनल की उचित कीमत की खोज न होना उन बाधाओं में से एक है जिसे ए-ला-कार्टे में एक चैनल की कीमत निर्धारित करने के लिए हेरफेर और दुरुपयोग किया जा सकता है जिससे भ्रम होता है। इस तरह की उच्च ए-ला-कार्टे कीमतें प्रसारकों/वितरकों को गैर-प्रसारकों को आगे बढ़ाने के लिए उच्च छूट देने की अनुमति देती हैं।

ग्राहकों को गुलदस्ते के रूप में चालक चैनल देते हैं जबकि

संसद में सांसदों द्वारा आवश्यकतानुसार पसंद के ए-ला-कार्टे चैनलों को चुनने की संभावना को कम करना। उच्च छूट का उपयोग करके एक-ला-कार्टे विकल्प पर गुलदस्ते को मजबूर करने की संभावना को निम्नलिखित उदाहरण से और समझा जा सकता है, जहां एक प्रसारक के पास कुल 35 भुगतान चैनल हैं जिनमें से केवल 5 चालक चैनल हैंः

स्टार इंडिया पीवीटी। लिमिटेड। वी. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग [आर. एफ. नरीमन, जे.]

चैनल

छूट

छूट

छूट

छूट

छूट

75 %

60 %

45 %

15 %

30 %

चैनल 1 ए-ला-कार्टे कीमत

19

19

19

19

19

चैनल 2 ए-ला-कार्टे कीमत

10

10

10

10

10

चैनल 3 ए-ला-कार्टे कीमत

12

12

12

12

12

चैनल 4 ए-ए-कार्टे कीमत

5

5

5

5

5

4

चैनल 5 ए-ला-कार्टे कीमत

4

4

4

4

4

5-50 की ए-ला-कार्टे कीमतों का योग

50

50

50

50

चालक भुगतान चैनल 30-30 की ए-ला-कार्टे कीमतों का योग

30

30

30

30

1) 35 ए-ला-कार्टे 80 की कुल कीमत

80

80

80

80

भुगतान चैनल

35 पे 20 के गुलदस्ते की कीमत

32

56

68

44

चैनल (छूट के साथ) ए-ला-कार्टे कीमतों का योग)

उपरोक्त तालिका स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि छूट की राशि

प्रसारक द्वारा प्रस्तुत, ए-ला-कार्टे की कीमतों के योग पर

बहुत अधिक (75 प्रतिशत), गुलदस्ते की कीमत उससे बहुत कम हो जाती है ए-ला-कार्टे कीमतों का योग इस हद तक कि यह लगभग बराबर है

एक चालक चैनल का ए-ला-कार्टे मूल्य। छूट की ऐसी राशि है विरोधी ग्राहक/ग्राहक क्योंकि यह एक-ला-कार्टे चयन को हतोत्साहित करता है

चैनल। गुलदस्ता बनाने पर छूट की राशि के रूप में

चालक चैनलों की ए-ला-कार्टे कीमतों के योग की तुलना में; इस प्रकार ग्राहक को अपने चैनल चुनने के लिए प्रोत्साहित करना।

चयन करें।

67. वर्तमान नियामक ढांचे में घटनाएं सामने आई हैं।

प्रसारकों द्वारा कीमतें दी गई हैं। जाहिर है कि इस तरह के प्रयास मारे जाते हैं। प्रतिस्पर्धा करें और ए-ला-कार्टे विकल्प को कम करें जो अभिदाता विरोधी है।

तदनुसार, प्राधिकरण ने 15 प्रतिशत की छूट निर्धारित की है

प्रसारकों द्वारा थोक स्तर पर और आगे 15 प्रतिशत प्रदान किया जाएगा।

खुदरा स्तर पर वितरकों द्वारा प्रदान किया जाना।

सी. आर. का शुद्ध प्रभाव।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

खुदरा स्तर पर ग्राहकों को चैनलों के गुलदस्ते पर लगभग 30 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसलिए प्रसारकों और एम. एस. ओ. दोनों को गुलदस्ते के गठन का लचीलापन इस हद तक दिया गया है कि कुल अनुमेय छूट ए-ला कार्टे विकल्प को खत्म नहीं करती है। प्राधिकरण ने एक ऐसी रूपरेखा निर्धारित करने में सावधानी बरती है जो गैर-चालक चैनल को ग्राहकों को उनकी पसंद के खिलाफ धकेलने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है। गैर-चालक चैनल जो गुलदस्ते के हिस्से के रूप में प्रदान किए जाते हैं, न केवल अला-कार्टे चैनलों की पसंद को खत्म करते हैं, बल्कि वितरकों के पास उपलब्ध चैनल ले जाने की क्षमता को भी खत्म कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप नए/प्रतिस्पर्धी वितरण मंचों पर कृत्रिम क्षमता की कमी हो सकती है।

चैनल। इस तरह के प्रतिबंध अभिदाता विरोधी हैं और इन्हें सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जाना चाहिए। तदनुसार, प्राधिकरण ने सचेत रूप से

ग्राहकों/दर्शकों और साथ ही सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा के लिए ए-ला-कार्टे और गुलदस्ते की कीमतों के बीच संबंध निर्धारित करने की वर्तमान रूपरेखा तय की गई। हालांकि, प्राधिकरण बाजार के विकास पर नजर रखेगा और लगभग दो साल की अवधि में गुलदस्ते की पेशकश करते समय अधिकतम स्वीकार्य छूट की समीक्षा कर सकता है। 68. एक प्रसारक ग्राहकों को गुलदस्ते के रूप में अपने भुगतान चैनलों की पेशकश करने के लिए स्वतंत्र है। गुलदस्ते की सदस्यता लेते समय, एक ग्राहक को प्रत्येक चैनल की कीमत के बारे में पता नहीं होगा।

गुलदस्ता। भुगतान चैनल की असामान्य उच्च कीमत के परिणामस्वरूप गुलदस्ते की अधिक कीमत हो सकती है जिससे ग्राहकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

रुचियाँ। यह एक स्थापित तथ्य है कि चैनलों को जोड़ना उनके मूल्य निर्धारण को जटिल और अस्पष्ट बनाता है। कीमतें अस्पष्ट हैं क्योंकि ग्राहक हमेशा बंडल मूल्य और प्रत्येक घटक के लिए मूल्य के बीच के संबंध को नहीं समझते हैं।

हालांकि, चैनलों का संयोजन ग्राहकों के साथ-साथ सेवा प्रदाताओं को सदस्यता में सुविधा प्रदान करता है।

प्रबंधन। इन वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए और अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए, प्राधिकरण ने रुपये की सीमा निर्धारित की है। 19 / - भुगतान चैनलों के एम. आर. पी. पर जो गुलदस्ते के हिस्से के रूप में प्रदान किए जा सकते हैं। इसलिए, रुपये से अधिक की एमआरपी वाला कोई भी भुगतान चैनल। 19 / - किसी भी गुलदस्ते का हिस्सा नहीं बन सकते। रुपये की राशि। 19 / - रुपये की प्रचलित उच्चतम शैलीवार सीमा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है। 15.12 सबके लिए

थोक स्तर पर प्रसारक और डी. पी. ओ. के बीच संबोधित करने योग्य प्रणालियाँ और डी. पी. ओ. एस. स्टार इंडिया पी. वी. टी. के लिए खाते में इसे 125 गुना और बढ़ाएँ।

लिमिटेड। वी. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग [आर. एफ. नरीमन, जे.]

वितरण शुल्क। प्रसारकों को भी कीमत तय करने की पूरी स्वतंत्रता है।

उनके भुगतान चैनल जो किसी भी गुलदस्ते का हिस्सा नहीं हैं और

प्राधिकरण बाजार के विकास पर नजर रखेगा। और उस तरीके की समीक्षा कर सकते हैं जिसमें एक चैनल प्रदान किया जा सकता है

एक गुलदस्ते के हिस्से के रूप में, लगभग दो साल की अवधि में।

( जोर दिया गया।)

37. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि विनियमन के साथ-साथ

शुल्क आदेश व्यापक चर्चा का विषय रहा है। ट्राई, सभी हितधारकों और उपभोक्ताओं के बीच, जिसके अनुसार प्रसारकों द्वारा स्वयं दिए गए अधिकांश सुझावों को स्वीकार कर लिया गया है और उन्हें विनियमन और शुल्क आदेश में शामिल किया गया है। स्पष्टीकरण ज्ञापन से पता चलता है कि प्राधिकरण का ध्यान हमेशा दोनों प्रसारकों के लिए समान अवसर प्रदान करने पर रहा है

और ग्राहक। उदाहरण के लिए, जब प्रसारकों द्वारा दिए जाने वाले गुलदस्ते के लिए उच्च छूट की पेशकश की जाती है, तो प्रभाव यह होता है कि

ग्राहक केवल गुलदस्ते लेने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि इन गुलदस्ते में पाए जाने वाले भुगतान चैनलों की ए-ला-कार्टे दरें बहुत अधिक हैं। इसके परिणामस्वरूप व्यक्तिगत भुगतान चैनलों की तुलना में गुलदस्ते के विपरीत मूल्य निर्धारण होते हैं। इस प्रक्रिया में, जनता अवांछित चैनलों के लिए भुगतान करती है, जिससे नए और बेहतर टीवी चैनल अवरुद्ध हो जाते हैं और ग्राहकों की पसंद सीमित हो जाती है। यही कारण है कि छूट की सीमा तय की गई है। हालांकि, ऐसा करते समय, प्रसारकों को ए-ला-कार्टे आधार पर अपने भुगतान चैनलों की कीमतों की घोषणा करने के लिए पूरी छूट दी गई है। प्राधिकरण ने दिखाया है कि यह प्रसारकों की अपनी पसंद के अनुसार अपने व्यवसाय की व्यवस्था करने की स्वतंत्रता का अतिक्रमण नहीं करता है। इसके अलावा, जब इस तरह की छूट सीमित होती है, तो एक ग्राहक अपनी पसंद के ला-कार्टे चैनल चुनने के लिए स्वतंत्र हो सकता है। इस प्रकार, एक गुलदस्ता के गठन के लचीलेपन, यानी, ऐसे चैनलों की सामग्री के साथ गुलदस्ते में शामिल किए जाने वाले चैनलों के चयन को प्राधिकरण द्वारा छुआ नहीं जाता है। यह केवल विफल करने के उद्देश्य वाले प्रयास हैं।

प्रतिस्पर्धा और ए-ला-कार्टे विकल्प को कम करना जिसमें इसलिए हस्तक्षेप किया जा रहा है। समान रूप से, जब अधिकतम पर 19 रुपये की अधिकतम सीमा हो। भुगतान चैनलों का खुदरा मूल्य जो एक गुलदस्ते के हिस्से के रूप में प्रदान किया जा सकता है, प्राधिकरण द्वारा तय किया जाता है, प्राधिकरण का ध्यान ग्राहकों के साथ-साथ प्रसारकों दोनों के लिए उचित होना है। आई. एन. आर. 19 पहले के विनियमन द्वारा तय आई. एन. आर. 15.12 की पिछली सीमा में सुधार है जिसे किसी ने चुनौती नहीं दी है। [2018] 14 एस. सी. आर. के बीच संतुलन बनाए रखना।

अभिदाताओं के हितों और प्रसारकों के हितों, प्राधिकरण फिर से यह स्पष्ट करता है कि प्रसारकों को मूल्य चैनलों की पूरी स्वतंत्रता है जो किसी भी गुलदस्ते का हिस्सा नहीं हैं और केवल ए-ला कार्टे के आधार पर पेश किए जाते हैं। बाजार नियामक के रूप में, प्राधिकरण का कहना है कि विवादित विनियमन और शुल्क आदेश पत्थर में नहीं लिखे गए हैं, लेकिन बाजार में विकास पर नजर रखते हुए इसकी समीक्षा की जाएगी। इसलिए, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि विनियमन और शुल्क आदेश हितधारकों और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं और ट्राई अधिनियम की धारा 36 में निहित विनियमन शक्ति के अंतर्गत हैं। नतीजतन, हम विद्वान मुख्य न्यायाधीश और मद्रास उच्च न्यायालय के तीसरे विद्वान न्यायाधीश के इस निष्कर्ष से सहमत हैं कि ये रिट याचिकाएं खारिज किए जाने के योग्य हैं।

38. चूँकि डॉ. सिंघवी द्वारा विभिन्न अन्य अधिनियमों की पहुंच पर प्रस्तुतियाँ दी गई हैं, इसलिए उनसे निपटना थोड़ा महत्वपूर्ण है।

39. डॉ. सिंघवी ने खेल अधिनियम पर बहुत अधिक भरोसा किया। इस अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण से यह स्पष्ट होता है कि

जनहित के खेल आयोजनों के प्रसारण संकेत उन व्यक्तियों को प्रसारित नहीं किए जाते हैं जिनके पास उपग्रह और केबल टीवी तक पहुंच नहीं है, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। चूंकि सरकार के डाउनलिंकिंग और अपलिंकिंग नीति दिशानिर्देशों को अदालतों में कानूनी मंजूरी के अभाव के रूप में चुनौती दी गई है, इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजन आम जनता तक फ्री टू एयर आधार पर पहुँचें। यही कारण है कि "प्रसारक", "प्रसारण" आदि की परिभाषाएँ सामग्री को संदर्भित करती हैं। खेल अधिनियम के तहत परिभाषित कुछ प्रासंगिक शब्द निम्नलिखित हैं:

" 2. ( 1 ) ( क) "प्रसारक" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो सामग्री प्रदान करता है। प्रसारण सेवा और इसमें एक प्रसारण नेटवर्क सेवा प्रदाता शामिल है जब वह अपने स्वयं के टेलीविजन का प्रबंधन और संचालन करता है या

रेडियो चैनल सेवा;
( ख) "प्रसारण" का अर्थ है किसी भी प्रकार की संचार सामग्री को इकट्ठा करना और प्रोग्राम करना, जैसे संकेत, संकेत, लेखन, चित्र,

छवियाँ और ध्वनियाँ, और या तो इसे निर्दिष्ट आवृत्तियों पर विद्युत-चुंबकीय तरंगों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखना और इसे वाहक तरंगों पर लगातार उपलब्ध कराने के लिए अंतरिक्ष या केबलों के माध्यम से संचारित करना, या इसे कंप्यूटर नेटवर्क पर डिजिटल डेटा रूप में लगातार प्रसारित करना, ताकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करने वाले उपकरणों के माध्यम से एकल या कई उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हो सके; और इसके सभी व्याकरणिक बदलाव और संज्ञानात्मक अभिव्यक्तियाँ; ए. आर. इंडिया पी. वी. टी.।

लिमिटेड। वी. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग [आर. एफ. नरीमन, जे.]

लगातार प्रसारण नेटवर्क या नेटवर्क के माध्यम से ताकि सभी या कई उपयोगकर्ताओं में से किसी को अपने रिसीवर उपकरणों को अपने संबंधित प्रसारण नेटवर्क से जोड़कर इसे एक्सेस करने में सक्षम बनाया जा सके और इसमें सामग्री प्रसारण सेवाएं और प्रसारण नेटवर्क सेवाएँ;

( घ) "प्रसारण नेटवर्क सेवा" से ऐसी सेवा अभिप्रेत है, जो निर्देशित या निर्देशित विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से निर्दिष्ट आवृत्तियों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रसारण सामग्री को कई उपयोगकर्ताओं तक ले जाने के लिए केबलों या संचारित उपकरणों के बुनियादी ढांचे का एक नेटवर्क प्रदान करती है, और इसमें निम्नलिखित में से किसी का प्रबंधन और संचालन शामिल हैः

( i) टेलीपोर्ट/हब/अर्थ स्टेशन;

( (ii) डायरेक्ट-टू-होम (डी. टी. एच.) प्रसारण नेटवर्क,

( v) उपग्रह रेडियो प्रसारण नेटवर्क,
( vi) कोई अन्य नेटवर्क सेवा जो इसके द्वारा निर्धारित की जाए।

केंद्र सरकार;

XXX XXX XXX

( ज) "सामग्री" का अर्थ है कोई भी ध्वनि, पाठ, डेटा, चित्र (स्थिर या गतिशील), अन्य श्रव्य-दृश्य प्रतिनिधित्व, संकेत या किसी भी विषय की बुद्धिमत्ता।

एक प्रसारण नेटवर्क पर निर्दिष्ट आवृत्तियों पर विद्युत-चुंबकीय तरंगों पर इसे संचारित या पुनः संचारित करना ताकि उन्हें जोड़कर कई उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जा सके। नेटवर्क पर उपकरण प्राप्त करना, और इसमें निम्नलिखित में से किसी का प्रबंधन और संचालन शामिल हैः

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

( i) स्थलीय टेलीविजन सेवा,

( (ii) स्थलीय रेडियो सेवा,

( (ग) उपग्रह टेलीविजन सेवा,

( (iv) उपग्रह रेडियो सेवा,

( v) केबल टेलीविजन चैनल सेवा,

( vi) सामुदायिक रेडियो सेवा,

( vii) कोई अन्य सामग्री प्रसारण सेवाएँ जो हो सकती हैं।

केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित "।

खेल अधिनियम का केंद्र इसकी धारा 3 और 5 में निहित है,

निम्नलिखित रूप में राज्यः

" 3. कुछ खेल प्रसारण का अनिवार्य साझाकरण संकेत देते हैं। ( 1 ) कोई भी सामग्री अधिकार स्वामी या धारक और कोई भी टेलीविजन या रेडियो प्रसारण सेवा प्रदाता राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजनों के भारत में प्रसारित किसी भी केबल या डायरेक्ट-टू-होम नेटवर्क या रेडियो कमेंट्री पर लाइव टेलीविजन प्रसारण नहीं करेगा, जब तक कि वह एक साथ लाइव प्रसारण साझा न करे।

अपने विज्ञापनों के बिना, प्रसार भारती के साथ संकेत दें ताकि वे अपने स्थलीय नेटवर्क पर इसे फिर से प्रसारित कर सकें और इस तरह से और इस तरह की शर्तों पर डायरेक्ट टू होम नेटवर्क बना सकें और

शर्तें जो निर्दिष्ट की जा सकती हैं।

( 2 ) उप-धारा (1) के तहत नियम और शर्तों में यह भी प्रावधान होगा कि विज्ञापन राजस्व का बंटवारा

सामग्री अधिकार स्वामी या धारक और प्रसार भारती 75 से कम के अनुपात में नहीं होंगेः 25 टेलीविजन कवरेज के मामले में और

50: 50 रेडियो कवरेज के मामले में।

( 3 ) केंद्र सरकार एक प्रतिशत निर्दिष्ट कर सकती है उप-धारा (2) के तहत प्रसार भारती द्वारा प्राप्त राजस्व, जिसका उपयोग प्रसार भारती द्वारा अन्य प्रसारणों के लिए किया जाएगा।

खेल आयोजन।

XXX XXX XXX

5. दिशा-निर्देश जारी करने की केंद्र सरकार की शक्ति।

केंद्र सरकार खेल से संबंधित प्रसार भारती के साथ प्रसारण संकेतों को अनिवार्य रूप से साझा करने के लिए दिशानिर्देश जारी करके ऐसे सभी उपाय करेगी, जो उसे उचित या समीचीन लगे।

राष्ट्रीय महत्व की घटनाएँः

एआर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग [आर. एफ. नरीमन, जे.]

बशर्ते कि खेल प्रसारण संकेत (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य साझाकरण) अध्यादेश, 2007 (अध्यादेश। 2007 का 4) इस धारा के प्रावधान के तहत वैध रूप से जारी किया गया माना जाएगा।

40. श्री द्विवेदी इसलिए सही हैं कि खेल के उद्देश्य का ट्राई अधिनियम के तहत ट्राई द्वारा विनियमन और शुल्क आदेश की वैधता से कोई लेना-देना नहीं है। वस्तुओं और कारणों में बताए गए कारण के लिए खेल में सामग्री का उल्लेख किया जाता है। दूसरा, जैसा कि श्री द्विवेदी ने सही तर्क दिया है और जैसा कि हमने माना हैई, ट्राई अधिनियम, साथ ही विनियमन और शुल्क आदेश, प्रसारित होने वाले टीवी चैनलों की सामग्री को प्रभावित नहीं करते हैं।

ई इन मामलों में प्रसारक।

41. डॉ. सिंघवी ने तब केबल टीवी अधिनियम पर इस प्रकार भरोसा कियाः

" 2. ( क) "प्राधिकरण" से भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत स्थापित भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

( ग) "केबल टेलीविजन नेटवर्क" से कोई भी प्रणाली अभिप्रेत है जिसमें बंद संचरण पथों का एक समूह और संबंधित संकेत उत्पादन शामिल है। केबल प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए नियंत्रण और वितरण उपकरण

कई ग्राहकों द्वारा स्वागत के लिए सेवा;

4 - ए. ( 3 ) यदि केंद्र सरकार संतुष्ट है कि यह आवश्यक है ऐसा करने के लिए लोक हित में, और यदि प्राधिकरण द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया गया है, तो वह प्राधिकरण को [2018] 14 एस. सी. आर. में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करने का निर्देश दे सकता है।

सरकारी राजपत्र में, बुनियादी सेवा स्तर बनाने वाले चैनलों के पैकेज में शामिल किए जाने वाले एक या अधिक मुफ्त-से-एयर चैनल और ऐसे किसी भी एक या अधिक चैनल को अधिसूचना में मनोरंजन, सूचना, शिक्षा और ऐसे अन्य कार्यक्रमों का कार्यक्रम मिश्रण प्रदान करने के लिए शैलीवार निर्दिष्ट किया जा सकता है और बुनियादी सेवा स्तर के लिए शुल्क तय किया जा सकता है जो केबल ऑपरेटरों द्वारा उपभोक्ताओं को दिया जाएगा और उपभोक्ता के पास ऐसे किसी भी स्तर की सदस्यता लेने का विकल्प होगाः

बशर्ते कि केबल ऑपरेटर इस उप-धारा के तहत निर्दिष्ट शुल्क पर अभिदाता को ला कार्टे आधार पर बुनियादी सेवा स्तर में चैनल भी प्रदान करेगा।

( 4 ) केंद्र सरकार या प्राधिकरण में निर्दिष्ट कर सकता है उप-धारा (3) में निर्दिष्ट अधिसूचना, स्वतंत्र रूप से प्रसारित किए जाने वाले चैनलों की संख्या को चैनल बनाने के पैकेज में शामिल किया जाएगा।

XXX XXX XXX स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए

( क) "पता लगाने योग्य प्रणाली" का अर्थ है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (जिसमें हार्डवेयर और उससे संबंधित सॉफ्टवेयर शामिल हैं) या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिन्हें एक एकीकृत प्रणाली में रखा गया है।

केबल टेलीविजन नेटवर्क के कौन से संकेत एन्क्रिप्टेड रूप में भेजे जा सकते हैं, जिन्हें उपकरण या उपकरणों द्वारा डिकोड किया जा सकता है, जिसमें सशर्त अभिगम प्रणाली के माध्यम से किए गए प्राधिकरण की सीमा के भीतर ग्राहक के परिसर में एक सक्रिय सशर्त अभिगम प्रणाली है।

ग्राहक प्रबंधन प्रणाली, ऐसे ग्राहक की स्पष्ट पसंद और अनुरोध पर, केबल ऑपरेटर द्वारा

अभिदाता;

सदस्यता लेने के विकल्प के साथ, उस क्षेत्र के ग्राहकों को एक ही कीमत पर जिसमें उनका केबल टेलीविजन नेटवर्क प्रदान कर रहा है

सेवा भारत पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. औद्योगिक तेल और संवर्धन विभाग [आर. एफ. नरीमन, जे.]

( ग) केबल टेलीविजन के संकेत के संबंध में "एन्क्रिप्टेड"

नेटवर्क, का अर्थ है इस तरह के संकेत को व्यवस्थित तरीके से बदलना ताकि संकेत का उपयोग किए बिना समझ में न आए

एक पता प्रणाली और अभिव्यक्ति "अनएन्क्रिप्टेड" होगा

( घ) केबल टेलीविजन नेटवर्क के संबंध में "फ्री-टू-एयर चैनल" का अर्थ है एक ऐसा चैनल जिसके लिए केबल ऑपरेटर द्वारा केबल पर इसके पुनः प्रसारण के लिए प्रसारक को कोई सदस्यता शुल्क का भुगतान नहीं किया जाना है। ( ङ) केबल टेलीविजन नेटवर्क के संबंध में "भुगतान चैनल" का अर्थ है एक चैनल जिसके लिए केबल ऑपरेटर द्वारा प्रसारक को सदस्यता शुल्क का भुगतान किया जाना है और केबल पर इसके पुनः प्रसारण के लिए प्रसारक से उचित प्राधिकरण लेने की आवश्यकता है।

( † ) " अभिदाता प्रबंधन प्रणाली "से ऐसी प्रणाली या उपकरण अभिप्रेत है जो अभिदाता द्वारा उपयोग किए जा रहे हार्डवेयर के संबंध में नाम, पता और अन्य जानकारी, अभिदाता द्वारा अभिदाता किए गए चैनलों या गुलदस्ते, ऐसे चैनलों की कीमत या प्रणाली में परिभाषित चैनलों के गुलदस्ते, किसी भी चैनल या चैनलों के गुलदस्ते के लिए सक्रियण या निष्क्रिय करने की तारीखें और समय, अभिदाता के रिकॉर्ड पर किए गए सभी कार्यों का लॉग, प्रत्येक अभिदाता पर उठाए गए चालान और अभिदाता को भुगतान या छूट के लिए दी गई राशि के संबंध में विवरण संग्रहीत करता है।

प्रत्येक बिलिंग अवधि।

XXX XXX XXX

प्रोग्राम कोड। कोई भी व्यक्ति किसी केबल सेवा के माध्यम से किसी भी कार्यक्रम को प्रसारित या पुनः प्रसारित नहीं करेगा जब तक कि ऐसा कार्यक्रम न हो।निर्धारित कार्यक्रम संहिता के अनुरूपताः

* ] "

इसके बाद उन्होंने केबल टेलीविजन नेटवर्क के नियम 6 का उल्लेख किया।

94 , इस प्रकार हैः

प्रोग्राम कोड।

केबल सेवा में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए जोः

( क) अच्छे स्वाद या शालीनता के खिलाफ अपराध करता हैः

( ख) मित्र देशों की आलोचना शामिल है;

( ग) धर्मों या समुदायों पर हमला या धार्मिक समूहों की अवमानना करने वाले दृश्य या शब्द या जो सांप्रदायिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं;

( घ) कुछ भी अश्लील, मानहानिकारक, जानबूझकर, गलत शामिल है।

और सूचक आरोप और आधे सच;

( ई) हिंसा को प्रोत्साहित करने या उकसाने की संभावना है या इसमें कुछ भी शामिल है

कानून और व्यवस्था बनाए रखने के खिलाफ या जो बढ़ावा देते हैं-विरोधी

राष्ट्रीय दृष्टिकोण; ( च) न्यायालय की अवमानना के बराबर कुछ भी शामिल है;

( छ) राष्ट्रपति की अखंडता के खिलाफ आक्षेप शामिल हैं।

( के) किसी भी तरह से चित्रण के माध्यम से महिलाओं को बदनाम करता है। किसी महिला की आकृति, उसके रूप या शरीर या उसके किसी भाग का इस तरह से कि वह महिलाओं के लिए अशोभनीय या अपमानजनक हो, या उसके अपमानित करने, भ्रष्ट करने या घायल करने की संभावना हो।

सार्वजनिक नैतिकता या नैतिकता;

( 1 ) बच्चों को अपमानित करता है;

( एम) दृश्य या शब्द होते हैं जो एक निंदा को दर्शाते हैं, कुछ जातीय, भाषाई और क्षेत्रीय समूहों के चित्रण में विडंबनापूर्ण और घटिया रवैया;

( एन) सिनेमेटोग्राफ अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है,

1952 .

( ओ) अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए उपयुक्त नहीं है

उन्होंने कहा कि कोई भी फिल्म या फिल्म का गीत या फिल्म का प्रोमो या फिल्म का ट्रेलर या एस. आई. सी. वीडियो या संगीत एल्बम या उनके प्रोमो, चाहे वे निर्मित हों।भारत या विदेश में, केबल सेवा के माध्यम से तब तक ले जाया जाएगा जब तक कि

केंद्रीय फिल्म सत्यापन बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया

बी. एफ. सी.)) भारत में अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए उपयुक्त।

एआर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग [आर. एफ. नरीमन, जे.]

स्पष्टीकरण-इस खंड के प्रयोजन के लिए, "अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 (1952 का 37) में दिया गया है। ( 2 ) केबल प्रचालक को अपनी केबल सेवा में ऐसे कार्यक्रम चलाने का प्रयास करना चाहिए जो महिलाओं को सकारात्मक, नेतृत्व की भूमिका में पेश करते हैं।

संयम, नैतिक और चरित्र निर्माण के गुण।

( 3 ) कोई भी केबल ऑपरेटर अपनी केबल सेवा में किसी भी कार्यक्रम को नहीं ले जाएगा या शामिल नहीं करेगा जिसके संबंध में कॉपीराइट के तहत अस्तित्व में है।

प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम, 1972 (1972 का 14) जब तक कि उसे इस अधिनियम के तहत प्रतिलिपि अधिकार के मालिकों द्वारा लाइसेंस नहीं दिया गया है। कार्यक्रम।

( 4 ) यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि बच्चों के लिए बनाए गए कार्यक्रमों में किसी भी तरह की अभद्र भाषा या स्पष्ट दृश्य न हों।

( 5 ) बच्चों के लिए अनुपयुक्त कार्यक्रमों को उस समय केबल सेवा में नहीं ले जाना चाहिए जब बच्चों की सबसे बड़ी संख्या देख रही हो। ( 6 ) कोई भी केबल ऑपरेटर अपनी केबल सेवा में किसी भी टेलीविजन प्रसारण या चैनल को नहीं ले जाएगा या शामिल नहीं करेगा, जिसे भारत के क्षेत्र के भीतर देखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं किया गया है।

बशर्ते कि एक केबल ऑपरेटर अपनी केबल सेवा में किसी भी टेलीविजन प्रसारण या चैनल को ले जाना या शामिल करना जारी रख सकता है, जिसका केंद्र सरकार को पंजीकरण के लिए आवेदन 11 मई, 2006 को या उससे पहले किया गया था और 31 मई, 2008 तक या जब तक ऐसा पंजीकरण प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक विचाराधीन है।

या मना कर दिया, जो भी पहले हो

यह भी कहा गया है कि भारत से अपलिंकिंग करने वाले चैनल 2 दिसंबर, 2005 से पहले अपलिंकिंग के लिए दी गई अनुमति के अनुसार, इसे पंजीकृत टेलीविजन चैनल माना जाएगा और इसे केबल सेवा में ले जाया या शामिल किया जा सकता है।

43. डॉ. सिंघवी का तर्क है कि चूंकि यह अधिनियम केबल टीवी ऑपरेटर से उपभोक्ता के लिए डाउनस्ट्रीम को नियंत्रित करता है, इसलिए इसका

टी. आर. ए. आई. अधिनियम में सी. ई. इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण है कि सामग्री टी. आर. ए. आई. अधिनियम का विषय है। जैसा कि हम ऊपर मान चुके हैं, वही उत्तर प्राप्त करना चाहिए, अर्थात्, यह अधिनियम भी [2018] 14 एस. सी. आर. है।

वर्तमान मामले में अप्रासंगिक है क्योंकि ट्राई अधिनियम, जैसा कि हम ऊपर मान चुके हैं, प्रसारक द्वारा प्रसारित किए जाने वाले टीवी चैनलों की सामग्री को विनियमित नहीं करता है।

44. डॉ. सिंघवी और श्री चिदंबरम दोनों की दलीलों का मुख्य जोर कॉपीराइट अधिनियम के प्रचुर संदर्भ से भी था।

1957 , उनके अनुसार, यह दर्शाता है कि एक बार कॉपीराइट अधिनियम लागू होने के बाद, ट्राई को अनिवार्य रूप से बाहर निकल जाना चाहिए। उन्होंने इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों का चरणबद्ध तरीके से उल्लेख किया। मूल रूप से अधिनियमित कॉपीराइट अधिनियम, 1957 ने अपने उद्देश्यों और कारणों में कहा हैः कॉपीराइट के विषय पर एक स्वतंत्र स्व-निहित कानून बनाना आवश्यक है। लेखकों के अधिकारों और दायित्वों के बारे में बढ़ती सार्वजनिक चेतना और पिछले चालीस वर्षों के दौरान मौजूदा कानून के काम करने में प्राप्त अनुभव के प्रकाश में। संचार के नए और उन्नत साधन जैसे प्रसारण, लिथो

फोटोग्राफी, आदि, मौजूदा कानून में कुछ संशोधनों की भी मांग करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रसारण अधिकारियों को उनके द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों के संबंध में कॉपीराइट के समान कुछ अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इस अधिनियम में, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, धारा 2 (v) ने "रेडियो-प्रसार" को निम्नानुसार परिभाषित किया हैः

" 2 ( वी) "। रेडियो प्रसार में वायरलेस प्रसार के किसी भी माध्यम से जनता के लिए संचार शामिल है, चाहे वह ध्वनि के रूप में हो।

या दृश्य चित्र या दोनों। ”

45. धारा 37, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, ने रेडियो द्वारा प्रसारण प्रजनन अधिकार को मान्यता दी-केवल सरकार या सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा प्रसार निम्नानुसार हैः

" 37. प्रसारण प्रजनन अधिकार

( 1 ) जहाँ कोई कार्यक्रम रेडियो द्वारा प्रसारित किया जाता है-सरकार या किसी अन्य प्रसारण प्राधिकरण द्वारा प्रसार, एक विशेष कार्यक्रम "प्रसारण प्रजनन अधिकार" के रूप में ज्ञात होने का अधिकार बना रहेगा।

इस तरह के कार्यक्रम में

( 2 ) सरकार या अन्य प्रसारण प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, प्रसारण पुनरुत्पादन अधिकार का मालिक होगा और ऐसा अधिकार उस वर्ष के बाद के कैलेंडर वर्ष की शुरुआत से पच्चीस साल तक बना रहेगा जिसमें कार्यक्रम का पहली बार प्रसारण किया जाता है।

( 3 ) एक प्रसारण प्रजनन अधिकार की निरंतरता के दौरान

किसी भी कार्यक्रम के संबंध में, कोई भी व्यक्ति, जो स्टार इंडिया पीवीटी हो।

लिमिटेड। वी. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग [आर. एफ. नरीमन, जे.]

( ए) अधिकार के मालिक के लाइसेंस के बिना

( i) विचाराधीन कार्यक्रम या उसके किसी महत्वपूर्ण हिस्से का पुनः प्रसारण करता है या

( (ii) विचाराधीन कार्यक्रम या किसी महत्वपूर्ण कार्य का कारण बनता है। उसका कुछ हिस्सा सार्वजनिक रूप से सुना जाएगा; या

( ख) संबंधित कार्यक्रम या उसके किसी महत्वपूर्ण हिस्से को रिकॉर्ड करने के उद्देश्य से प्रसारण का उपयोग करने के अधिकार के मालिक के लाइसेंस के बिना, ऐसा कोई रिकॉर्ड बनाता है, प्रसारण का उल्लंघन करने वाला माना जाएगा। प्रजनन अधिकार। ”

46. धारा 38, जैसा कि मूल रूप से निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया गया हैः

" 38. प्रसारण पर लागू होने वाले इस अधिनियम के अन्य प्रावधान

प्रजनन अधिकार।

( 1 ) धारा 18,19,30,53,55,58,64,65 और 66, किसी भी आवश्यक अनुकूलन और संशोधनों के साथ, के संबंध में लागू होगी प्रसारण पुनरुत्पादन अधिकार किसी भी कार्यक्रम में जैसा कि वे लागू होते हैं

किसी कार्य में प्रतिलिप्याधिकार के संबंध मेंः

XXX XXX "

47. कॉपीराइट अधिनियम की धारा 18 और 19 असाइनमेंट से संबंधित है।

के लिए मालिक को देय कॉपीराइट और रॉयल्टी या अन्य प्रतिफल

इस तरह का कार्य। प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम की धारा 30 अधिकार को संदर्भित करती है

एजेंट। 48. कॉपीराइट अधिनियम में 1983 के संशोधन द्वारा, रेडियो प्रसार को परिभाषित करने वाली धारा 2 (v) को हटा दिया गया था और इसके बजाय धारा 2 (dd) को "प्रसारण" को निम्नानुसार परिभाषित करते हुए जोड़ा गया थाः

" 2 ( डीडी) "। "प्रसारण" का अर्थ है जनता के लिए संचार -

( i) वायरलेस प्रसार के माध्यम से, चाहे वह किसी एक या अधिक रूपों या संकेतों, ध्वनियों या दृश्य छवियों में हो; या
( (ii) तार द्वारा,

और इसमें पुनः प्रसारण शामिल है।

49. धारा 2 (एफ. एफ.) को भी जोड़ा गया था, जिसमें "जनता के लिए संचार" को निम्नानुसार परिभाषित किया गया थाः

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 2 ( च) "जनता के लिए संचार" का अर्थ है जनता के लिए किसी भी तरीके से संचार, जिसमें संचार के माध्यम से संचार भी शामिल है।

उपग्रह "।

51. 1994 में, भारत पर लगाए गए संधि दायित्वों के परिणामस्वरूप, निजी प्रजनन अधिकारों को शामिल करने के लिए प्रजनन अधिकारों का विस्तार किया गया।प्रसारण संगठन। पूर्वनिर्धारित संशोधन के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में यह स्पष्ट किया गया है किः

" ..... कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों से संबंधित कानून की कुछ समय से सरकार की व्यापक समीक्षा की जा रही है।

विभिन्न समूहों द्वारा व्यक्त कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए प्रतिलिप्याधिकार स्वामी और अन्य, मौजूदा कानून के प्रशासन से प्राप्त अनुभव और द्वारा बनाई गई स्थिति

विभिन्न तकनीकी विकास जो हुए हैं।

2. कॉपीराइट अधिनियम, 1957 ने भारत में कॉपीराइट से संबंधित कानून को संशोधित और समेकित किया। इसे और संशोधित किया गया था

1983 और 1984 के कॉपीराइट (संशोधन) अधिनियम और कुछ

सुधार किए गए। कॉपीराइट (संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा कॉपीराइट की अवधि को दस साल की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था। अब इसमें और संशोधन करना उचित समझा जाता है।

कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के प्रावधान XXX XXX XXX

केबल, उपग्रह और एक से अधिक घरेलू या निजी निवास स्थान पर एक साथ कार्यों के संचार के अन्य साधनों के संबंध में कानून को और स्पष्ट करना, जिसमें शामिल हैं - किसी होटल या छात्रावास के आवासीय कमरे।

XXX XXX XXX

प्रतिलिपि अधिकार से संबंधित कानून को सरल बनाना और उसमें सुधार करना और संबंधित अधिकार, आम जनता और विशेष रूप से उपयोगकर्ताओं के साथ-साथ ऐसे अधिकारों के मालिकों के हित में।

52. "जनता के लिए संचार" को परिभाषित करने वाली धारा 2 (एफ. एफ.) को अधिक व्यापक परिभाषा के साथ निम्नानुसार परिभाषित किया गया थाः

एआर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 2 ( च) "जनता के लिए संचार" का अर्थ है किसी भी कार्य को देखने या सुनने या अन्यथा आनंद लेने के लिए उपलब्ध कराना।

प्रत्यक्ष रूप से या इसके अलावा प्रदर्शन या प्रसार के किसी भी माध्यम से सार्वजनिक

इस तरह के काम की प्रतियां जारी करके, इस बात की परवाह किए बिना कि जनता का कोई सदस्य वास्तव में इस तरह से उपलब्ध कराए गए काम को देखता है, सुनता है या अन्यथा आनंद लेता है।

व्याख्याः इस खंड के प्रयोजन के लिए, संचार

उपग्रह या केबल या किसी अन्य माध्यम से एक साथ

आवासीय कमरे या किसी होटल या छात्रावास सहित एक से अधिक घरों या निवास स्थान से संचार माना जाएगा। जनता के लिए संचार होना "।

ईक्शन 37 को पूरी तरह से निम्नानुसार पुनर्गठित किया गया थाः

" 37. प्रसारण प्रजनन अधिकार। - ( 1 ) प्रत्येक प्रसारण

संगठन को प्रसारण के रूप में जाने जाने का विशेष अधिकार होगा।

( 2 ) प्रसारण पुनरुत्पादन अधिकार बीस तक बना रहेगा। अगले कैलेंडर वर्ष की शुरुआत से पाँच वर्ष

वह वर्ष जिसमें प्रसारण किया जाता है।

( 3 ) किसी भी प्रसारण के संबंध में प्रसारण पुनरुत्पादन अधिकार के जारी रहने के दौरान, कोई भी व्यक्ति जो अधिकार के मालिक के लाइसेंस के बिना निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करता है।

प्रसारण या उसका कोई महत्वपूर्ण भाग -

( ख) किसी भी शुल्क के भुगतान पर जनता द्वारा प्रसारण को सुना या देखा जाता है; या ( ग) किसी भी ध्वनि रिकॉर्डिंग या दृश्य रिकॉर्डिंग करता है

प्रसारण; या

( घ) ऐसी ध्वनि रिकॉर्डिंग या दृश्य रिकॉर्डिंग का कोई भी पुनरुत्पादन करता है जहां ऐसी प्रारंभिक रिकॉर्डिंग बिना किए की गई थी।

अनुज्ञप्ति या, जहाँ इसे अनुज्ञप्ति दी गई थी, किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं

ऐसे लाइसेंस द्वारा परिकल्पित; या

( ई) जनता को बेचता है या काम पर रखता है, या इस तरह की बिक्री या किराए पर लेने का प्रस्ताव देता है, ऐसी कोई ध्वनि रिकॉर्डिंग या दृश्य रिकॉर्डिंग

खंड (ग) या खंड (घ),

धारा 39 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, ऐसा माना जाएगा कि

प्रसारण पुनरुत्पादन अधिकार का उल्लंघन किया। "[2018] 14 एस. सी. आर.

धारा 38 के स्थान पर निम्नलिखित रूप में एक नई धारा 39 ए लाई गईः

" 39 ए. प्रसारण पर लागू होने वाले अन्य प्रावधान

प्रजनन अधिकार और कलाकार का अधिकार। ( 1 ) धारा 18,19,30,53,55,58,64,65 और 66, किसी भी आवश्यक अनुकूलन और संशोधनों के साथ, के संबंध में लागू होगी

प्रसारण पुनरुत्पादन अधिकार किसी भी प्रसारण और कलाकारों में '

किसी भी प्रदर्शन में अधिकार जैसा कि वे एक में कॉपीराइट के संबंध में लागू होते हैं

कामः

XXX XXX "

55. धारा 33 और 33 ए, जिन पर निर्भर किया गया है

अपीलार्थियों के लिए एड वकील, निम्नानुसार पढ़िएः

" 33. कॉपीराइट सोसायटी का पंजीकरण। - ( 1 ) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ, के लागू होने के बाद

प्रतिलिपि अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 1994 शुरू हुआ या जारी है

में किसी भी कार्य के संबंध में लाइसेंस जारी करने या देने का व्यवसाय पंजीकरण के तहत या उसके अनुसार के अलावा इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अन्य अधिकार के संबंध में जो कॉपीराइट मौजूद है

उप-धारा (3) के तहत अनुदानः

बशर्ते कि कॉपीराइट का मालिक अपनी व्यक्तिगत क्षमता में,

अपने स्वयं के संबंध में लाइसेंस देने का अधिकार जारी रखना

बशर्ते कि लाइसेंस जारी करने या देने का व्यवसाय साहित्यिक, नाटकीय, संगीत और कलात्मक कार्यों का सम्मान

सिनेमेटोग्राफ फिल्मों या ध्वनि रिकॉर्डिंग में शामिल किया जाएगा

केवल विधिवत पंजीकृत कॉपीराइट सोसायटी के माध्यम से किया जाए

इस अधिनियम के तहतः बशर्ते कि एक प्रदर्शन करने वाले अधिकार समाज में कार्य करना

प्रतिलिपि अधिकार के लागू होने से तुरंत पहले ( संशोधन) अधिनियम, 1994 को कॉपीराइट सोसायटी माना जाएगा।

इस अध्याय और ऐसे प्रत्येक समाज के प्रयोजनों के लिए स्वयं की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर पंजीकृत

प्रतिलिपि अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 1994 का प्रारंभ।

एआर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग [आर. एफ. नरीमन, जे.]

( 2 ) व्यक्तियों का कोई भी संघ जो ऐसी शर्तों को पूरा करता है जो निर्धारित की जा सकती हैं, व्यवसाय करने की अनुमति के लिए आवेदन कर सकता है। उप-धारा (1) में कॉपीराइट पंजीयक को निर्दिष्ट किया गया है जो केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

( 3 ) केंद्र सरकार, इस अधिनियम के तहत लेखकों और अधिकारों के अन्य मालिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए, जनता और विशेष रूप से उन व्यक्तियों के समूहों के हित और सुविधा को ध्यान में रख सकती है जिनके प्रासंगिक अधिकारों और उनकी क्षमता और व्यावसायिक क्षमता के संबंध में लाइसेंस लेने की सबसे अधिक संभावना है।

आवेदक ऐसे व्यक्तियों के संघ को ऐसी शर्तों के अधीन कॉपीराइट सोसायटी के रूप में पंजीकृत करते हैं जो निर्धारित की जा सकती हैं: बशर्ते कि केंद्र सरकार सामान्य रूप से पंजीकरण नहीं करेगी

एक ही वर्ग के कार्यों के संबंध में व्यवसाय करने के लिए एक से अधिक कॉपीराइट सोसायटी। ( 3 - क) उप-धारा (3) के तहत कॉपीराइट सोसायटी को दिया गया पंजीकरण पांच साल की अवधि के लिए होगा और निर्धारित प्रपत्र में अनुरोध पर हर पांच साल की समाप्ति से पहले समय-समय पर नवीनीकरण किया जा सकता है और केंद्र सरकार नवीनीकरण कर सकती है।

के पंजीयक की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद पंजीकरण धारा के तहत कॉपीराइट सोसायटी के काम करने पर कॉपीराइट

बशर्ते कि कॉपीराइट सोसायटी के पंजीकरण का नवीनीकरण कॉपीराइट सोसायटी के निरंतर सामूहिक नियंत्रण के अधीन होगा जो कॉपीराइट के मालिकों या रॉयल्टी प्राप्त करने के अधिकार के रूप में कार्यों के लेखकों के साथ साझा किया जा रहा है:

बशर्ते कि प्रत्येक कॉपीराइट सोसायटी कॉपीराइट (संशोधन) अधिनियम के लागू होने से पहले से ही पंजीकृत हो,

2012 प्रतिलिप्याधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर इस अध्याय के तहत खुद को पंजीकृत कर लेगा।

( 4 ) केंद्र सरकार, यदि यह संतुष्ट हो कि एक कॉपीराइट सोसायटी का प्रबंधन ब्याज के लिए हानिकारक तरीके से किया जा रहा है, तो कर सकती है।

लेखकों और संबंधित अधिकार के अन्य मालिकों का, ऐसी जांच के बाद ऐसी सोसायटी का पंजीकरण रद्द कर दें जो निर्धारित की जाए। ( 5 ) यदि केंद्र सरकार की राय है कि लेखकों और संबंधित अधिकार के अन्य मालिकों के हित में या गैर [2018] 14 एस. सी. आर.

धारा 33-ए, धारा 35 की उप-धारा (3) और धारा 36 का अनुपालन या केंद्र सरकार द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के उस लिखत में किया गया कोई परिवर्तन जिसके द्वारा कॉपीराइट सोसायटी की स्थापना या निगमन और पंजीकरण किया गया है, यह आवश्यक है।

प्रतिलिप्याधिकार समिति अपनी प्रशुल्क योजना को उस तरीके से प्रकाशित करेगी जो निर्धारित की जाए। ( 2 ) शुल्क योजना से व्यथित कोई भी व्यक्ति अपीलीय बोर्ड से अपील कर सकता है और बोर्ड, यदि ऐसी जांच करने के बाद संतुष्ट हो जाता है जो वह आवश्यक समझे, तो ऐसे आदेश दे सकता है जो किसी भी अनुचित तत्व, विसंगति या विसंगति को दूर करने के लिए आवश्यक हों:

बशर्ते कि पीड़ित व्यक्ति कॉपीराइट सोसायटी को कोई भी शुल्क का भुगतान करेगा जो अपीलीय बोर्ड में अपील करने से पहले देय हो गया है और यह जारी रहेगा

अपील का निर्णय होने तक इस तरह के शुल्क का भुगतान करें, और बोर्ड अपील के निपटारे तक इस तरह के शुल्क के संग्रह पर रोक लगाने का कोई आदेश जारी नहीं करेगा:

बशर्ते कि अपीलीय बोर्ड सुनवाई के बाद

पक्ष एक अंतरिम शुल्क तय करते हैं और पीड़ित पक्षों को अपील के निपटारे तक तदनुसार भुगतान करने का निर्देश देते हैं।

56. समान रूप से, धारा 39, जैसा कि संशोधन अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, निम्नानुसार है:

( (क) ऐसी ध्वनि अभिलेखन करने वाले व्यक्ति के निजी उपयोग के लिए या केवल प्रामाणिक शिक्षण या अनुसंधान के उद्देश्यों के लिए किसी ध्वनि अभिलेखन या दृश्य अभिलेखन का निर्माण; या ( ख) वर्तमान घटनाओं की रिपोर्टिंग में या प्रामाणिक समीक्षा, शिक्षण या अनुसंधान के लिए किसी प्रदर्शन या प्रसारण के अंशों का उचित व्यवहार के अनुरूप उपयोग; या ए. आर. इंडिया पी. वी. टी.।

लिमिटेड। वी. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग [आर. एफ. नरीमन, जे.]

( ग) ऐसे अन्य कार्य, किसी भी आवश्यक अनुकूलन के साथ और संशोधन, जो कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं करते हैं

धारा 52 के तहत "।

57. कॉपीराइट अधिनियम में 2012 के संशोधन पर भरोसा किया गया था

अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा बहुत जोर दिया गया। इसके उद्देश्यों और कारणों का विवरण

डिमेंट अधिनियम निम्नलिखित रूप में वर्णित हैः

2. अधिनियम में अब स्पष्टता के लिए कुछ बदलाव करने, परिचालन संबंधी कठिनाइयों को दूर करने और डिजिटल प्रौद्योगिकियों और इंटरनेट के संदर्भ में सामने आए कुछ नए मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से संशोधन करने का प्रस्ताव है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यू. आई. पी. ओ.) की दो इंटरनेट संधियों, अर्थात् डब्ल्यू. आई. पी. ओ. कॉपीराइट संधि (डब्ल्यू. सी. टी.), 1996 और डब्ल्यू. आई. पी. ओ. प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि (डब्ल्यू. पी. पी. टी.), 1996 ने इन क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित किए हैं। डब्ल्यू. सी. टी. और डब्ल्यू. पी. पी. टी. पर 1996 में डिजिटल प्रौद्योगिकी द्वारा कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों के संरक्षण के लिए उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए बातचीत की गई थी, विशेष रूप से इसके प्रसार के संबंध में। इंटरनेट जैसे डिजिटल नेटवर्क पर संरक्षित सामग्री। डब्ल्यू. आई. पी. ओ. के सदस्य देश बदले हुए वैश्विक तकनीकी परिदृश्य में इंटरनेट संधियों की उपयोगिता पर सहमत हुए और उन्हें सर्वसम्मति से अपनाया। साहित्यिक, नाटकीय, संगीत और कलात्मक कार्यों, सिनेमेटोग्राफ फिल्मों और ध्वनि के संबंध में इंटरनेट और अन्य कंप्यूटर नेटवर्क जैसे डिजिटल नेटवर्क पर भारत में कॉपीराइट सामग्री की सुरक्षा का विस्तार करने के लिए [2018] 14 एस. सी. आर.

कलाकारों के कार्यों की रिकॉर्डिंग, दो डब्ल्यू. आई. पी. ओ. इंटरनेट संधियों के प्रावधानों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिस हद तक आवश्यक और वांछनीय माना जाता है। डब्ल्यू. सी. टी. साहित्यिक और कलात्मक कार्यों जैसे लेखन, कंप्यूटर प्रोग्राम, मूल डेटाबेस के लेखकों के लिए सुरक्षा से संबंधित है।

संगीत कार्य; दृश्य-श्रव्य कार्य; ललित कला के कार्य और

तस्वीरें. डब्ल्यू. पी. पी. टी. कुछ "संबंधित अधिकारों" की रक्षा करता है जो फोनोग्राम के कलाकारों और निर्माताओं के अधिकार हैं। हालाँकि, भारत ने अभी तक उपर्युक्त दो संधियों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसके अलावा, अधिनियम में संशोधन करने का मुख्य उद्देश्य यह माना जाता है कि आज हम जिस ज्ञान समाज में रह रहे हैं, उसमें उद्यम और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना अनिवार्य है ताकि रचनात्मक लोग उनकी क्षमता का एहसास करना और तेजी से बढ़ते ज्ञान और आधुनिक समाज की चुनौतियों के साथ तालमेल रखना आवश्यक है।

XXX XXX XXX

( xvii) कॉपीराइट समितियों द्वारा एक शुल्क योजना के निर्माण के लिए प्रावधान करें जो कॉपीराइट बोर्ड द्वारा जांच के अधीन हो।

58. इस संशोधन द्वारा, धारा 2 (एफ. एफ.) "संचार को परिभाषित करती है

उब्लिक "को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया थाः

" 2 ( च) "जनता के लिए संचार" का अर्थ है किसी भी कार्य या प्रदर्शन को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या प्रदर्शन या प्रसार के किसी भी माध्यम से देखने या सुनने या अन्यथा आनंद लेने के लिए उपलब्ध कराना, इसके अलावा इसकी भौतिक प्रतियां जारी करना, चाहे वह एक साथ हो या व्यक्तिगत रूप से चुने गए स्थानों और समय पर, इस बात की परवाह किए बिना कि जनता का कोई सदस्य वास्तव में इस तरह से उपलब्ध कराए गए कार्य या प्रदर्शन को देखता है, सुनता है या अन्यथा आनंद लेता है।

उपग्रह या केबल के माध्यम से या एक से अधिक घरों या आवासीय कमरों या किसी होटल या छात्रावास सहित निवास स्थान से एक साथ संचार के किसी अन्य साधन को माना जाएगा। जनता के लिए संचार होना "।

59. धारा 37 (3) (ई) में कुछ संशोधन किए गए। धारा 33 और 33 ए के प्रावधानों का विस्तार करने के लिए धारा में संशोधन किया गया था

प्रसारण पुनरुत्पादन अधिकारों का आरएस निम्नानुसार हैः

स्टार इंडिया पीवीटी। लिमिटेड। वी. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 39 ए. प्रसारण पुनरुत्पादन के लिए लागू अन्य प्रावधान

सही और कलाकार का सही।

( 1 ) धारा 18,19,30,30 क, 33,33 क, 34,35,36,53,55,58,63,64,

65 , 65 ए, 65 बी और 66, किसी भी आवश्यक अनुकूलन के साथ और

संशोधन, प्रसारण प्रजनन अधिकार के संबंध में लागू होते हैं

प्रसारण और किसी भी प्रदर्शन में कलाकारों का अधिकार

किसी में भी

वे किसी कार्य में कॉपीराइट के संबंध में लागू होते हैं। XXX XXX "

60. विद्वानों के अनुसार, उपरोक्त प्रावधानों का पठन

अपीलार्थियों के वरिष्ठ अधिवक्ता, यह स्पष्ट करते हैं कि प्रसारक, वास्तव में, किसी कार्य के मूल कॉपीराइट के मालिक हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, यदि उन्होंने स्वयं एक धारावाहिक का निर्माण किया है। वे इस धारावाहिक के प्रसारण के कॉपीराइट मालिक भी हो सकते हैं जो कॉपीराइट अधिनियम के तहत एक अलग अधिकार है जिसका वे दोहन करने में सक्षम हैं, और यदि पहले से ही कॉपीराइट किया जा चुका है, तो यह फिर से कॉपीराइट अधिनियम के अध्याय VIII द्वारा संरक्षित है। तर्क है,

जो ऊपर बताए गए तरीके से अपने कॉपीराइट के साथ अलग होने के लिए प्रसारकों को देय है। इस मामले में, जब ट्राई दरें तय करता है और/या सामग्री में हस्तक्षेप करता है, तो यह कॉपीराइट अधिनियम के तहत संसद द्वारा निर्धारित विशेष क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहा है। ट्राई अधिनियम के बाद से और कॉपीराइट अधिनियम, दोनों संसद द्वारा पारित अधिनियम होने के नाते, सामंजस्य बनाए रखना होगा, इस तरह का सामंजस्य केवल तभी बनाए रखा जा सकता है जब ट्राई को कॉपीराइट अधिनियम के दायरे से पूरी तरह से बाहर रखा जाए। अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने भी एंटरटेनमेंट नेटवर्क (इंडिया) लिमिटेड बनाम में निहित टिप्पणियों पर दृढ़ता से भरोसा किया। सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, (2008) 13 एस. सी. सी. 30, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार व्याख्या कीः

" 125. क्या "रॉयल्टी" और "क्षतिपूर्ति" शब्द नहीं हैं?

पर्यायवाची? " रॉयल्टी "का अर्थ है किसी लेखक को दिया गया पारिश्रमिक। किसी कार्य के दोहन के संबंध में, आमतौर पर भुगतान [2018] 14 एस. सी. आर.

अधिग्रहण के लिए एकमुश्त भुगतान के बजाय निरंतर आधार पर (जैसे बिक्री मूल्य का 10 प्रतिशत)

अधिकारों की। यह कलाकारों को भुगतान करने के लिए भी लागू किया जा सकता है।

126. हालाँकि, "क्षतिपूर्ति" शब्द का उपयोग इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया होगा कि यदि यह एक वैधानिक अनुदान है तो यह वैधानिक लाइसेंस का मामला है। हम इस तथ्य से अनजान नहीं हैं कि अन्य वैधानिक लाइसेंसों में "रॉयल्टी" शब्द का उपयोग किया गया है। यहाँ तक कि "आम तौर पर" शब्द का भी उपयोग किया गया है। श्री दीवान ने स्वयं 1958 के नियमों में जोड़े गए नियम 11-ए और फॉर्म II-ए का उल्लेख किया है। वैध रूप से बनाए गए प्रपत्र के खंड (10) और (11) में "रॉयल्टी" शब्द का उपयोग किया गया है।

" 10. रॉयल्टी की दर, जिसे आवेदक उचित समझता है, का भुगतान कॉपीराइट स्वामी को किया जाना है।

11. रॉयल्टी के भुगतान के लिए आवेदक के साधन "।

127. इसलिए विधायिका सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए "मुआवजे" को "रॉयल्टी" के बराबर मानती है। अधिनियम के संदर्भ में, रॉयल्टी एक वंश है और क्षतिपूर्ति एक प्रजाति है। जहां लाइसेंस दिया जाना है, वह एक अवधि के लिए होना चाहिए। "क्षतिपूर्ति" का भुगतान वार्षिकी के रूप में किया जा सकता है। एक "मुआवजा" माना जा सकता है आवधिक आधार पर देय, मुआवजे के अलावा, अन्य नियम और शर्तें भी लागू की जा सकती हैं। मुआवजे की

कुछ अन्य नियमों और शर्तों के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया जाना चाहिए

जो थोपा जा सकता है। "

कॉपीराइट नियम, 2013 की धारा 56, जिस पर भी भरोसा किया गया है, निर्धारित की गई हैः

" 56. शुल्क योजना। - ( 1 ) जितनी जल्दी हो सके, लेकिन किसी भी मामले में कॉपीराइट सोसायटी की तारीख से तीन महीने के बाद नहीं।

यदि वह अपना कॉपीराइट व्यवसाय शुरू करने का हकदार हो गया है, तो वह शुल्क की एक योजना बनाएगा जिसे "शुल्क योजना" कहा जाएगा।

अधिनियम की धारा 33 ए की प्रकृति और मात्रा निर्धारित करती है

रॉयल्टी जो उसके द्वारा प्रशासित कार्यों की विशिष्ट श्रेणियों में अधिकार या अधिकारों के समूह के संबंध में एकत्र करने का प्रस्ताव है।

( 2 ) प्रत्येक प्रतिलिप्याधिकार समिति अपनी शुल्क योजना प्रदर्शित करेगी -

इसे अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करें।

( 3 ) टैरिफ योजना ए. आर. इंडिया पी. वी. टी. के लिए अलग-अलग दरों का संकेत देगी।

लिमिटेड। वी. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग [आर. एफ. नरीमन, जे.]

( क) उपयोगकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियाँ;

( ख) दोहन के विभिन्न माध्यम, जैसे टेलीफोन, प्रसारण या इंटरनेट;
( ग) विभिन्न प्रकार के शोषण चाहे वे किसी व्यक्ति द्वारा हों या समूहों द्वारा या चाहे एकल या एकाधिक उपयोग या विज्ञापन के लिए;

( (घ) उपयोग की विभिन्न अवधियाँ और क्षेत्र; और
( ई) समाज द्वारा इंगित कोई अन्य भेदभाव कारक,

जैसा कि यह उचित लग सकता है।

( 4 ) शुल्क तय करते समय कॉपीराइट सोसायटी किसी भी न्यायालय या बोर्ड, यदि कोई हो, द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करेगी और उनसे परामर्श कर सकती है। उपयोगकर्ता समूह।

( 5 ) जहां टैरिफ योजना एकमुश्त राशि प्रदान करती है, कॉपीराइट सोसायटी एक लाइसेंसधारी से रॉयल्टी अग्रिम रूप से एकत्र करेगी।

रॉयल्टी का भुगतान। ऐसे मामलों में जहां शुल्क योजना किश्तों में भुगतान का प्रावधान करती है, प्रत्येक किश्त में एकत्र किया जाएगा

आगे बढ़ें। हालांकि, ऐसे मामलों में जहां टैरिफ योजना वास्तविक उपयोग के आधार पर रॉयल्टी के भुगतान का प्रावधान करती है, कॉपीराइट सोसायटी लाइसेंस जारी करने के समय अग्रिम राशि एकत्र कर सकती है और

अंत में वास्तविक उपयोग के आधार पर अंतिम भुगतान का निपटान करें।

जिस अवधि के लिए लाइसेंस जारी किया जाता है या दिया जाता है।

बशर्ते कि कॉपीराइट सोसायटी को ऐसे लाइसेंसधारी से न्यूनतम गारंटी की प्रकृति में कोई भुगतान प्राप्त नहीं होगा, जिसकी रॉयल्टी का भुगतान वास्तविक उपयोग पर आधारित है, जिसका निपटान कंपनी के साथ किया जाना है।

लाइसेंस अवधि के अंत में सोसायटी को छोड़कर जहां, कोई भी

असाधारण परिस्थितियां विशेष रूप से शुल्क में शामिल हैं।

योजना और व्यक्तिगत मामले को मंजूरी दे दी गई है

शासी परिषद। ( 6 ) कॉपीराइट सोसायटी टैरिफ योजना को संशोधित कर सकती है।

समय-समय पर लेकिन बारह महीने की अवधि से पहले नहीं

नियमों का पालन करें। यह संशोधित शुल्क योजना के लागू होने की तारीख को कम से कम दो महीने पहले प्रकाशित करेगा और

उसी को इसकी वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा।

62. इस समय तुलना करना थोड़ा महत्वपूर्ण है और

कॉपीराइट अधिनियम की धारा 2 (डी. डी.) के तहत "प्रसारण सेवाओं" के साथ विवादित विनियमन और शुल्क आदेश में जुर्माना लगाया गया है। खंड 2 (जे) आक्षेपित विनियमन द्वारा, "प्रसारण सेवाओं" को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

" 2 ( जे) "प्रसारण सेवा" से संकेतों, संकेतों, लेखन, चित्रों, छवियों और सभी प्रकार की ध्वनियों जैसे संचार के किसी भी रूप का प्रसार अंतरिक्ष के माध्यम से या केबलों के माध्यम से विद्युत-चुंबकीय तरंगों के संचरण द्वारा होता है, जिन्हें प्राप्त करने का इरादा है।

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आम जनता और उसके सभी व्याकरणिक बदलावों और संज्ञानात्मक अभिव्यक्तियों का अर्थ उसी के अनुसार लगाया जाएगा।

विवादित विनियमन की तुलना की जाती है, जो स्पष्ट है वह यह है कि शब्द " आम जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करने का इरादा "प्रसारण" की परिभाषा से पूरी तरह से गायब है।

इलेक्ट्रॉनिक संचरण या संचार की तकनीकी प्रक्रिया सार्वजनिक एक ऐसा कार्य नहीं है जो कॉपीराइट का उल्लंघन होगा। धारा 52 (1) (बी) इस प्रकार है:

" 52. कुछ कार्य जो अधिकार का उल्लंघन नहीं हैं। - ( 1 )

XXX XXX XXX

( ख) किसी कार्य या प्रदर्शन का क्षणिक या आनुषंगिक भंडारण

विशुद्ध रूप से इलेक्ट्रॉनिक संचरण की तकनीकी प्रक्रिया में या

जनता के लिए संचार; "

64. इसलिए, जो तस्वीर सामने आती है, वह यह है कि कॉपीराइट का उद्देश्य मालिक के स्वामित्व हित की रक्षा करना है, जो वर्तमान में

केस एक प्रसारक है, "कार्य" में, यानी मूल कार्य, इसका प्रसारण और/या उसके द्वारा इसका पुनः प्रसारण। अंतिम उपयोगकर्ता या उपभोक्ता का हित कॉपीराइट अधिनियम का केंद्र नहीं है। दूसरी ओर, ट्राई अधिनियम को प्रसारक द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रसारण सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो अंतिम उपभोक्ता को प्रभावित करते हैं। इसलिए, ट्राई का ध्यान एक नियामक प्राधिकरण पर है, जो प्रसारक और ग्राहक दोनों के हित को देखता है ताकि दोनों के लिए एक समान अवसर प्रदान किया जा सके जिसमें नियमों को निर्धारित किया जा सके जो तरीके और सेवाओं को प्रभावित करते हैं।

अंतिम उपभोक्ताओं तक प्रसारण का परिवहन। एक बार जब दोनों अधिनियमों के सापेक्ष दायरे को ऊपर के रूप में समझा जाता है, तो यह कहने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है कि दोनों अधिनियम अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। हम विवादित विनियमन के साथ-साथ स्टार इंडिया पी. वी. टी. द्वारा बनाए गए शुल्क आदेश को पढ़ने में नहीं पाते हैं।

लिमिटेड। वी. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग [आर. एफ. नरीमन, जे.]

कि टी. आर. ए. आई. ने कॉपीराइट भूमि में अतिक्रमण किया है। यह कारण है, जैसा कि ऊपर कहा गया है, कि नियम जो कथित रूप से पैकेजिंग टीवी चैनलों, टीवी चैनलों के मूल्य निर्धारण और प्रसारक के अपने व्यवसाय को अपनी इच्छानुसार व्यवस्थित करने के अधिकार को प्रभावित करते हैं, इन सभी को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

इसके अलावा, एक नियामक के रूप में, सार्वजनिक हित में, प्रसारकों द्वारा प्रदान की जाने वाली और अंतिम उपभोक्ता द्वारा प्राप्त प्रसारण सेवाओं का। 65. जैसा कि डॉ. सिंघवी ने बार-बार जोर देकर कहा है कि धारा 11 (2) के तहत दरों के निर्धारण से सीधे तौर पर देय मुआवजे पर असर पड़ेगा।

प्रसारकों के कॉपीराइट के लिए, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कॉपीराइट अधिनियम के साथ-साथ ट्राई अधिनियम दोनों केंद्रीय अधिनियम हैं जो स्पष्ट रूप से यह प्रदान नहीं करते हैं कि एक दूसरे को ओवरराइड करता है। इस स्थिति में, कानूनों की व्याख्या का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि दोनों अधिनियम

दोनों के बीच किसी भी टकराव/संघर्ष की स्थिति में सामंजस्य स्थापित करना ताकि दोनों को प्रभावी बनाया जा सके। वास्तव में, ट्राई अधिनियम की धारा 38 इस प्रकार हैः

" 38. कुछ कानूनों का प्रयोग। - इस अधिनियम के प्रावधान भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम, 1933 (1933 का 17) के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे और विशेष रूप से, इस अधिनियम में कुछ भी किसी भी [2018] 14 एस. सी. आर. को प्रभावित नहीं करेगा।

अधिकारिता, शक्तियाँ और कार्य जिनका प्रयोग किया जाना आवश्यक है या

किसी भी क्षेत्र के संबंध में टेलीग्राफ प्राधिकरण द्वारा किया गया प्रदर्शन ऐसे प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में "।

66. टेलीग्राफ प्राधिकरण के बाद से, टेलीग्राफ अधिनियम के तहत कार्य करना

और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम, जनहित में कार्य करने के लिए आवश्यक है,

उक्त प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र को टी. आर. ए. आई. अधिनियम के प्रावधानों द्वारा अनियंत्रित छोड़ दिया गया है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि ट्राई और टेलीग्राफ प्राधिकरण दोनों ही जनहित में कार्य करते हैं। टी. आर. ए. आई. अधिनियम, टेलीग्राफ अधिनियम और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, समान सामग्री में क़ानून होने के कारण, एक संहिता बनाते हैं, जहाँ तक वायरलेस टेलीग्राफी और प्रसारण का संबंध है।

चिंतित हैं।

67. इसलिए, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि यदि इसका प्रयोग करते हुए

टी. आर. ए. आई. अधिनियम के तहत टी. आर. ए. आई. द्वारा जनहित में विनियमित, पहला बाद वाले को रास्ता देगा। चूँकि इन अपीलों में कोई योग्यता नहीं है, इसलिए इन्हें खारिज कर दिया जाता है। देविका गुजराल

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।